खण्ड-342, अंक-2
बुधवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1901
(29 अगस्त, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 342 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	11–15
सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी की मांग . .	16
प्रश्नोत्तर	16–67
औचित्य का प्रश्न	67
विधान सभा सदस्य, श्री हेमराज लोधी व श्री मकबूल हुसैन खां तथा भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री घनश्याम दास, मंगलदेव विशारद, सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी व गिरधारी लाल के निधन पर शोकोद्गार	67–74
विभाजित जनता पार्टी के नामकरण की घोषणा पर आपत्ति (जारी) . .	74–76
उत्तर प्रदेश अश्लील सिनेमा पोस्टर (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	76
विभाजित जनता पार्टी के नामकरण की घोषणा पर आपत्ति . .	76
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	76
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	76
उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर (निरसन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	77
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कर कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया) . .	77
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) विधेयक, 1979 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) . .	77
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1979 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	77
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) . .	77
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	77
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	78
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	78
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	78
उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) . .	78

(ख)

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	78
उत्तर प्रदेश गोबध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	79
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1979 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	79
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	79
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं	79
व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	80
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति (1978–79) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	80
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	81–82
व्यवस्था का प्रश्न	82
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	82–83
उत्तर प्रदेश स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	83
उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर (निरसन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	83
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	83–84
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	84
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	84
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	84–85
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	85
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	85
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुर:स्थापित किया गया)	85–86
मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	86–172
अगले दिन सदन की बैठक 1 बजे अपराह्न से किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	172
नत्थियाँ	173–177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष; श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 422

अकबर हुसैन, श्री
अर्जब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओकार नाथ, श्री
ओंकार नाथ सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐंजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णा कान्त मिश्र, श्री
कृष्णा कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री.
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद महरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदालाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्दसिंह नेगी, श्री
गोविन्दसिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रभान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागनसिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहरवार, श्री
डी0पी0 बोरा, श्री
तेजभानसिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रदत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धमवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेमसिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री

पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्न भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफियालाल जुवाँठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाँकेलाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दूलाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धूराम, श्री
बृज वल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवतदयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकट, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री

मुलायमसिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिम अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीतसिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खाँ, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
राघवराम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पान्डे, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
रामबरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देबी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामेश्वरनाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खाँ, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवतसिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजयराज सिंह, श्री

विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्रपति यादव. श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्मूनाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देबी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रतापसिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरीसिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मंत्री, श्री रामाधार पाँडेय, श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा नियोजन राज्य मंत्री श्री महिपाल सिंह शास्त्री भी सदन में उपस्थित थे।

सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, आज सीट्स का अरेजमेन्ट नहीं हुआ है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
सीट्स का अरेजमेन्ट बतला दिया जाय, कैसे हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष——
दोनों तरफ की लाबीज़ में नक्शा लगा हुआ है कृपया उसमें देख लें ।

श्री देव बहादुर सिंह——
जो अरेजमेन्ट हुआ है, उसे बतला तो दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—
लाबीज में देख लें, नक्शा वहां लगा हुआ है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—
ये दोनों ही बचे है और सबको सीट्स मिल गयी हैं पता नहीं सत्ता पक्ष में हैं या विरोध पक्ष में हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
उप सचिव वहाँ पहुंच गये हैं आपको स्थान बतला देंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—
सीट्स की संख्या कम है और सदस्यों की संख्या ज्यादा है ?

श्री उपाध्यक्ष——
व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—
ये सत्ता पक्ष की ओर हो गए हैं उनको उधर बिठा दिया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र—
इनको ही बिठा दीजिए ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 29 अगस्त, 1979

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कामता प्रसाद श्याम सुन्दर साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को रसायन शास्त्र की मान्यता

*1—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—
तृतीय सत्र 1978 के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में डिग्री कालेजों में नए विषयों की कक्षाएं खोलने की अनुमति देने में शासन की क्या नीति रही है और शासन द्वारा उस बारे में निर्धारित मानक में कौन सी कमी थी जिसके फलस्वरूप कामता प्रसाद श्याम सुन्दर साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को रसायन शास्त्र की कक्षाएं खोलने की अनुमति नहीं मिली ? उक्त

क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार निकट भविष्य में इसकी अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

क्षेत्रीय आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्राइवेट डिग्री कालेजों को नये विषयों/संकायों में अस्थायी सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स प्रदान की जाती है। इस कालेज को उक्त विषय में स्नातकोत्तर स्तर को अस्थायी सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स देने पर उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार विचार किया जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

9 मई, 1979 को यह प्रश्न सदन के सामने आया था। उस समय भी शिक्षा मन्त्री का यही उत्तर था और आज भी वह वही पुराना उत्तर दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा ? आप अपने निर्देश का पालन करवायें तभी कोई सप्लीमेन्टरी सवाल किया जा सकता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

यह जो स्वीकृति दी जाती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में वित्त विभाग की स्वीकृति ली जाती है। म माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस कालेज को शासन की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, शासन द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद अब यह मामला किस स्टेज पर है ? क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस वर्ष जो शिक्षा सत्र चालू होगा, उसमें ये कक्षायें चालू हो जायेंगी या नहीं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हाँ ।

श्री दुर्गा गीता विद्यालय, बाबूगंज, लखनऊ के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 व 9 मार्च, 1979 को श्री दुर्गा गीता विद्यालय हा0 से0 स्कूल, बाबूगंज, लखनऊ के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, बेसिक विभाग को तोड़ने का कुचक्र आदि के विषय में इस विद्यालय के अध्यापकों का शासन को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, यह प्रश्न 21 अप्रैल, 1979 को दिया गया था। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह विद्यालय लखनऊ में ही है, इसका मुख्यालय भी यहाँ पर है, तो इसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में अब और कितना समय लगेगा ? बेसिक विभाग को तोड़कर, उनके अध्यापकों की रोजी-रोटी का सवाल है। उन्होंने शासन को एक शिकायती-पत्र भी भेजा है। इस सम्बन्ध में शासन ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

शासन स्तर पर कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मण्डलीय बालिका विद्यालय और शिक्षा उप निदेशिका को लिखा गया है कि उन्हें कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ ह या नहीं ? यदि कोई ऐसा पत्र मिला होगा, तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इस मामले को 8 महीने हो गए, और अभी तक सूचना एकत्र की जा रही है तो क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि 10 महीने में सूचना एकत्र हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री, एक निश्चित समय बता दें कि कब तक इसके ऊपर आप पूरा उत्तर दे सकेंगे क्योंकि इसमें काफी समय हो गया है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इस शिकायती-पत्र की कापी मुझे दे दें, मैं तत्काल कार्यवाही करा दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अभी बताया गया है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें इस विद्यालय में हैं और मन्त्री जी को एक शिकायती-पत्र दिया गया है, तो क्या शासन ने इस मामले की इंक्वायरी करन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया है, जो इस मामले को देखकर रिपोर्ट कर सके ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, जहाँ तक उस विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों का सवाल है मुझे इसके सम्बन्ध में एक प्रतिलिपि मिल जाय, मैं तत्काल कार्यवाही करुंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय शिक्षा मन्त्री ने कहा कि उन्होंने मण्डलीय बालिका विद्यालय और शिक्षा उप निदेशिका से पूछा है कि उनके यहाँ कोई शिकायती-पत्र मिला है ? मैं पूछना चाहता हूं कि उनको पूछने से काम चलेगा ? तत्काल क्या मन्त्री जी शिकायतों के बारे में निर्देश देंगे और जाँच करके सरकार को रिपोर्ट करने के आदेश देंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मुझे इसकी एक कापी मिल जाय, मैं तत्काल कार्यवाही करुंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने 3 प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि उनको कापी मिल जाय, तो वे कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध 1–2 वर्ष पहले से कोई जाँच हो रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

पहले दो के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

एस० एम० ए० ओ० इण्टर कालेज, आगरा को अल्पसंख्यक संस्था की मान्यता

*3—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एस0एम0ए0 ओ0 इण्टर कालेज, आगरा को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा संस्था माना गया है ? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त कालेज की सरकार द्वारा मान्य कोई प्रबन्ध योजना है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विचार करेगी कि उपरोक्त संस्था की अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था होने की मान्यता को समाप्त किया जाय ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ ।

प्रशासन योजना के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है और उसके तथा विद्यालय के संविधान के प्रकाश में मामले में विचार किया जायगा ?

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस कालेज को माइनारिटी कम्युनिटी चला रही है। क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उस कालेज पर जो लाठी डण्डे से कब्जा कर लेता है वही उस कालेज को चलाता है ?

दूसरा यह कि मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि इसमें प्रशासनिक योजना है कि नहीं। प्रश्न 23 अप्रैल, 1979 का था और अभी तक विभागीय अधिकारी नहीं बता सके हैं कि कोई प्रशासनिक योजना है कि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा लाठी डण्डे के सम्बन्ध में, तो मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, पहले यह कायदा था 1975 के पूर्व कि जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से माइनारिटी इंस्टीट्यूशन का फैसला हो जाता था और उसके बाद शासन के द्वारा होता है। मैंन अपने उत्तर में निवेदन कर दिया ह कि माइनारिटी इंस्टीट्यूशन के बारे म विस्तृत विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक से मंगाया है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

प्रश्न पूछा था हापुड़ का और उत्तर दे रहे हैं पापड़ का। मैंने पूछा था कि क्या शासन के पास प्रशासनिक योजना है। किसी अधिकारी के पास जब तक वह नहीं होगी तब तक मान्यता किस प्रकार दी जायगी। मै जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासनिक योजना उस कालेज की है ? यदि है, तो वह क्या है ? उसके लिए जो चुनाव की प्रणाली है वह क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्रशासनिक योजना शिक्षा उप निदेशक से मंगाई गयी है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मेरा प्रश्न है कि वह योजना है कि नहीं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

बिना प्रशासनिक योजना के किसी विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाती। मैं समझता हूं कि निश्चित ही इसकी प्रशासनिक योजना होगी।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

इसकी प्रशासनिक योजना जो थी, वह 1947 के पहले की है जिसमें लिखा हुआ है कि यह कालेज ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार रहेगा जो अब अमान्य है। वस्तुस्थिति यह है कि इसकी कोई प्रशासनिक योजना नहीं है। इसकी मान्यता सन् 1947 के पहले की है जो कि भारतीय संविधान के विरुद्ध है और वह मान्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसका पता लगा लीजिए कि जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है उसमें कहाँ तक सत्यता है और फिर सूचना दें।

मिर्जापुर जिले के डोगिया बांध, घघरौल बांध, जिरगो बांध आदि के संबध में रिपोर्ट

*4—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर–दिसम्बर, 1978 के बीच मिर्जापुर जिले में डोगिया बाँध (रिजर्वायर) घघरौल बाँध, जिरगो बाँध, अहिरौरा बाँध, सोम पम्प कैनाल व घोबा पम्प कैनाल, बेलन, बकहर, मडिहान नहर परियोजना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट वर्ष 1978 में शासन को प्राप्त हुई थी जिसमें परियोजना में भारी धनराशि व्यय करने व गबन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच की माँग की गयी थी ? यदि हाँ, तो वह पूरी रिपोर्ट क्या है, तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मिर्जापुर जिले में डोगिया बाँध, घंघरौल बाँध, जिरगो बाँध, अहिरौरा बाँध, सोन पम्प कनाल एवं घोबा पम्प कैनाल परियोजनाओं के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल वर्मा

विधायक की रिपोर्ट दिसम्बर, 78 में प्राप्त हुई थी। इन परियोजनाओं के लाभदायक होने के सम्बन्ध में विधायक महोदय ने आशंका व्यक्त की थी एवं इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्ड देने हेतु अनुरोध किया था।

विधायक महोदय के कथन की पुष्टि न हो सकने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय सिचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट दिसम्बर, 1978 में आपको प्राप्त हुई, उसमें मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें की गयीं और जाँच किस अधिकारी ने की, जांच के आदेश शासन ने कब दिए और उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई?

श्री राजेन्द्र सिह—

श्रीमन्, यह मिर्जापुर जिले की कुछ योजनायें हैं जिसके बारे में विधायक महोदय ने शंका व्यक्त की थी। वहाँ पर सिचाई की सुविधाओं की नितांत आवश्यकता है। यह जो योजनाएं बनती हैं वह सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन से एप्रूव होती ह। केन्द्रीय सरकार के भी इसमें अधिकारी होते हैं जो परीक्षण करते ह। यह काफी लम्बी आख्या है। इसको पढ़ने में एक घंटा लगेगा। आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में थोड़ा बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिह—

20, 25 योजनाएं हैं जो वहाँ के किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं जिनको माननीय सदस्य ने अहितकारी समझा है। यह सरकार किसानों के विरुद्ध जो बात होगी उसको नहीं मान पाएगी।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैंने प्रश्न किया था कि रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुई, उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उनकी जाँच किस अधिकारी ने की और वह रिपोर्ट क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया। जो उत्तर उन्होंने पढ़कर बताया उसमें कहा कि जो शिकायत थीं वह निराधार पाई गयीं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब किस अधिकारी से आप ने जाँच करवाया है, यह इन्हें बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिह—

असल में परेशानी यह है कि जिन व्यक्तियों का किसानों से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, जिनके मन में उन्हें लाभ पहुंचाने की जरा भी बात नहीं है, वही किसान योजना का विरोध करते हैं। माननीय विधायक हमारे साथ क्षेत्रीय विकास में सहायक रहे हैं, उन्होंने बड़े लम्बे-लम्बे सकुलर जारी किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका लाभ उठाया जाय, लेकिन बहरहाल इसका लाभ तो उठा नहीं पाऊंगा।

श्री मित्रसेन—

मैं यह जानना चाहूंगा कि जो शिकायती-पत्र विधायक जी का मिला है, आपने कहा उसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो उसकी पुष्टि के सम्बन्ध में विधायक जी को तलब किया गया है या नहीं?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायक जी द्वारा भ्रष्टाचार और गबन के सम्बन्ध में जो शिकायत की गयी है, उसकी उन्होंने कोई विभागीय जाँच कराई है या नहीं? यदि करायी है तो उन्होंने यह जाँच किसके द्वारा कराई है, किन व्यक्तियों के द्वारा कराई है? यदि विभागीय जाँच नहीं कराई है, तो यह एक गम्भीर मामला है। इसकी जाँच मन्त्री जी किसी दूसरे विभाग जैसे सी0आई0डी0 आदि द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य ने जो पत्र भेजा है, उसमें किसी गबन आदि की कोई बात नहीं है, उन्होंने केवल उसके टेकनिकेलटी के हिसाब से आपत्ति की है। मैं नहीं जानता कि उन्हें किस टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, जिस आधार पर उन्होंने कहा है उन्होंने यही कहा कि यह टेक्निकली सही नहीं है, इसका कुछ लाभ नहीं होगा इसमें पैसा बहुत लगेगा, इसलिए इसे खत्म कर दिया जाय—कोई योजना मिर्जापुर जिले में किसानों की भलाई की न बनाई जाय।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

किस अधिकारी के द्वारा जाँच कराई है, इसके उत्तर को उन्होंने तीनों विधायकों को उत्तर देने में छिपाया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने तो कहा है कि ऐसा कोई आरोप लगाया नहीं गया है।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

सोन पम्प कैनाल के बारे में जो शिकायत मिली है, वह क्या है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सोन पम्प कैनाल मिर्जापुर जनपद की है, उसके बारे में कहा गया है कि उसमें कभी कभी 5–6 साल बाद भयंकर सूखा पड़ जाता है, उसका पानी लिफ्ट करने की योजना है। जो भी परियोजना होती है उसके भारत सरकार का योजना आयोग और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन पास करता है। सन् 1974 में उसको उसने पास किया था।

श्री सूबेदार प्रसाद—

जो जाँच की गयी थी, जो शिकायतें लिखकर दी हैं, वे क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उन्होंने कह दिया कि इस तरह का कोई आरोप नहीं था। आप दूसरा प्रश्न कर लीजिए तब मैं इजाजत दे सकता हूं।

गाजीपुर जिले के गंगापुर, ताड़ीघाट व फेरीघाट के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5—श्री उदयनारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा पुल पहुंच मार्ग, गाजीपुर साइड व ताड़ी घाट के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता तथा फेरी घाट पर ठेकेदार द्वारा की जा रही धोखा-धड़ी के सम्बन्ध में दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 को अलग-अलग जाँच हेतु शिकायती-पत्र तत्कालीन मन्त्री को प्रश्नकर्ता ने दिया था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

जी हाँ।

गंगापुल–पहुंच मार्ग–गाजीपुर साइड व ताड़ीघाट के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जाँच आख्या शासन को प्राप्त हुई है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

फेरी घाट पर ठेकेदार द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के आरोपों के सम्बन्ध में आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी तथा मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जाँच की जा रही है।

श्री उदय नारायण सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा है कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जाँच आख्या शासन को प्राप्त हुई है। क्या माननीय मन्त्री वह आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? दूसरे, उन्होंने कहा है कि फेरी घाट पर ठेकेदार द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के सम्बन्ध में आयुक्त, वाराणसी तथा मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जाँच की जा रही है। क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जाँच कब तक पूर्ण होगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, दो अगस्त को जाँच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है। शासन विचार कर रहा है। उस पर विचार करने के बाद सदन के पटल पर रखी जायगी, उसके पहले नहीं। जहाँ तक सवाल ठेकेदार की धोखाधड़ी का है। पहले एस0डी0 एम0 से जाँच कराई गयी। उन्होंने ठेकेदार का बयान लेकर उसको कम्प्लीट कर दिया। लेकिन आयुक्त ने कहा कि कम्प्लीटली सहमत नहीं हैं। इससे उसकी जाँच उच्च अधिकारी से कराई जा रही है। ए0डी0एम0 रैंक के आदमी हैं। उनकी जाँच की रिपोर्ट आने के बाद सदन के पटल पर रखी जायेगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से उनके खिलाफ आरोप लगाये गये थे, उन पर जाँच में कितने आरोप सिद्ध हुए, और कितने अवशेष रह गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

आरोप बता दीजिए। जाँच तो चालू ही है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जो आरोप लगाये गये हैं वह इस प्रकार हैं सामग्री का एकत्रीकरण, सामग्री के रख-रखाव पर अपव्यय, सुविधा के निर्माण में अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही, बिना अलाइनमेट स्वीकृत किए आगणन स्वीकृत करना, ग्रामीण कृषकों की उपजाऊ कृषि योग्य भूमि को अनधिकृत रूप से घेरना, अधिकारियों द्वारा स्वयं ठेकेदारी करना आदि-आदि शिकायतें थीं।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों को देखते हुए, कि यह शिकायतें तकनीकी खराबियों और बेईमानी की है इसलिए जाँच ए0डी0एम0 से न कराकर किसी तकनीकी विशषज्ञ से करायेंगे जिससे इन गड़बड़ियों का सही पता चल सके ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जहाँ तक फरी घाट पर ठेकेदार की धोखाधड़ी की जाँच का सवाल है, इसकी तो जाँच आयुक्त करते हैं, यह उन्हीं के हाथ में है। अगर उनकी संस्तुति होगी कि टेक्निकल आदमी से जाँच करायी जाय तो करा ली जायगी। ठेकेदार की धोखाधड़ी का सवाल है, टेक्निकल बात होती तो उसकी यहाँ से जाँच करा ली जाती, उसकी ए0डी0एम0 रैंक का आदमी उचित रूप से जाँच कर सकता है। दूसरे से जाँच की आवश्यकता नहीं है।

श्री मित्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जाँच के बाद जो आख्या प्राप्त हो गयी है, उस आख्या प्राप्त होने के बाद जो दोष सिद्ध हो गये हैं, उस पर निर्णय लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले ए0डी0एम0 से जाँच कराई गयी थी और जब उनकी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हुए, तो आयुक्त द्वारा जाँच कराई गयी।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैंने कहा था कि शासन के पास जाँच आख्या प्राप्त हो गई है और शासन उस पर विचार कर रहा है और बहुत जल्दी ही उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध जाँच की जा रही है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, किसी व्यक्ति को जाँच पूरी हो जाने के बाद ही दोषी कहा जा सकता है। जाँच के पहले किसी को दोषी कहना या सजा देना उचित नहीं है।

श्री फजलुलबारी (जिला गोण्डा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुशल प्रशासन लाने के लिए और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या जो अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे और कोई ऐसा हुक्म देंगे जिससे दूसरे जो बेईमान अधिकारी या कमचारी हैं वह डर जायंगे? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कहा कि रिपोर्ट विचाराधीन है। मन्त्री जी आप उस पर जल्दी कर दें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैं शीघ्रता कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि एक महीने में दोषी व्यक्तियों को सजा मिल जायगी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मन्त्री जी ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है लेकिन जो घपले का मामला है, उस में कौन-कौन से कर्मचारी थे और जो आख्या आई है उसमें क्या लिखा है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं—एक प्राविधिक सेल है उसके द्वारा जाँच कराई गयी और दूसरा मामला घपले का है। माननीय सदस्य ने दोनों प्रश्नों को एक में मिला दिया है। घपले की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एस0डी0एम0 की रिपोर्ट से आयुक्त सन्तुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने दूसरे अधिकारी से जाँच करवाई। रिपोर्ट मेरे पास अभी तक आई नहीं है ?

कालविन ताल्लुकेदार इण्टर कालेज, बिरला विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, नैनीताल व सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ में शिक्षकों की नियुक्ति एंव सेवा शर्तें

*6—श्री छोटेलाल निर्भय (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विशिष्ट विद्यालय जैसे कालविन ताल्लुकेदार इण्टर कालेज, लखनऊ, बिरला विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, नैनीताल तथा सिटी माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम व बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आते है ? यदि हाँ, तो उनके शिक्षकों की नियुक्तियाँ, सेवा शर्तों तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या शासन ऐसे विद्यालयों की कार्य प्रणाली नियमित करने के सम्बन्ध में दिल्ली आदि अन्य प्रान्तों की तरह ही कुछ नियमावली बनाने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

बिरला विद्या मन्दिर नैनीताल, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली द्वारा मान्य तथा उनसे सम्बद्ध है। यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम उ0 प्र0 के अन्तर्गत नहीं आता हैं।

कालविन ताल्लुकेदार्स इण्टर कालेज, लखनऊ एवं तीन सिटी मान्टेसरी हाई स्कूल (महानगर, राजेन्द्र नगर तथा आर0डी0एस0ओ0 कालोनी, लखनऊ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा इन पर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, परन्तु इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां, सेवा शर्तें तथा अन्य औपचारिकताओं के सम्बन्ध में विद्यालयों द्वारा कार्यवाही अधिनियम के अनुसार नहीं की जाती है। अतः इन विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 16–डी के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसे विद्यालयों की विनियमित करने हेतु आवश्यक उपबन्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में पहले से ही उपलब्ध है।

टुमरिया डैम एवं कोसी परियोजना पर व्यय की गयी धनराशि

*7—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टुमरिया, टुमरिया परसार डैम हेतु कोसी परियोजना पर कुल कितना धन व्यय किए जाने हेतु निर्धारित किया गया था, उसमें कितना खर्च किया गया? क्या यह भी सही है कि उक्त बांध का जल स्तर 1973–74 के बाद निश्चित जल स्तर (857) तक नहीं भरा गया और परियोजना की सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह अधूरा उत्तर क्यों दिया गया है?

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, प्रश्न संख्या 6 छूट गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 6 श्री छोटे लाल निर्भय—नहीं हैं। सिंचाई मन्त्री जी आप अपना उत्तर दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जब उत्तर दिया गया था तब सूचना नहीं थी। अब सूचना आ गई है और वह मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन वह कम्प्लीट सूचना नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप देखें कि 24 अप्रैल, 1979 का यह सवाल है और यह मामला भी लखनऊ का ही है। अगर मन्त्री जी चाहते तो सूचना टेलीफोन से ही मांग सकते थे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक पूरी सूचना न आने का क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका कुछ उत्तर मेरे पास है। मैं उसको पढ़े देता हूं। इस पर कुल 203.22 लाख रुपए व्यय करने का प्राविधान हुआ था। इसमें अप्रैल, 1979 तक 98.01 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उसका भी उत्तर मेरे पास है। माननीय सदस्य ने कहा था कि वर्ष 1973–74 के बाद 857 तक जल स्तर नहीं पहुंचा। मेरी सूचना यह है कि इस जलाशय में पहले भी कभी 857 जल स्तर नहीं था। बात यह है कि इसमें एक्सेस वाटर को निकालने के एक स्पिलवे का बनना है। चूंकि वह स्पिलवे पूरा नहीं हुआ है अतः इसमें ज्यादा पानी भरा नहीं जा सकता है।

जहाँ तक सिंचाई की प्रस्तावित कुल क्षमता है वह 2,65,250 एकड़ प्रति वर्ष है जबकि इससे 2 लाख, 02 हजार 550 एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर पढ़ कर सुनाया है उसका एक शब्द भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा है। अगर ये लिखकर दे देते तो मैं पूरक प्रश्न पूछ सकता था। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और उसके पूर्व मेरे पास लिखित उत्तर आ जाये ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब माननीय मन्त्री जी का उत्तर होता है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" तो वह प्रश्न अपने आप ही स्थगित हो जाता है।

बांदा जिले की पयस्वनी नहर परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का समझौता

*8—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जिले की पयस्वनी नहर परियोजना के सम्बन्ध में जनवरी सन् 1977 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच पानी के बंटवारे के बारे में कोई समझौता (एग्रीमेंट) हुआ था ? पानी के वर्तमान मापदण्ड के अनुसार बाँध में कुल कितना पानी उपलब्ध है और मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित पानी की मात्रा छोड़ने के बाद परियोजना के लिए कितना पानी सुलभ है। उक्त समझौते को रद्द करके दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता किया जायेगा जिससे परियोजना का निर्माण शीघ्र सम्भव हो सके ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य मन्त्रियों के बीच इस प्रकार का समझौता जनवरी, 1977 में हुआ था।

इसका आँकलन किया जा रहा है।

यह विचाराधीन है।

श्री राम सजीवन—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि यह सिंचाई योजना विगत 4 वर्षों से स्वीकृत है और राज्य सरकार के बजट में धन का प्राविधान भी होता रहा है, तो इस जानकारी के आधार पर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या-क्या उपाय किए हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जैसा मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि 1462 मिलियन घन फुट पानी मध्य प्रदेश को दिया जायगा और शेष उत्तर प्रदेश को। जब यह योजना सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमिश्नर को भेजी गयी तो उन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने अपने जाँच फैक्टर्स के आधार पर कि कितना पानी उपलब्ध हो सकेगा, स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि पानी कम होगा, तो उस बेसिस पर फिर सर्वे हो रहा है।

श्री ऊदल—

क्या यह भी सही है कि मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के बीच में कोई अड़ंगा लगा रही है, वह इसको मानना नहीं चाहती है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसकी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि कोई और योजना बनी और समझौता हुआ, जिसमें बाँदा जिले की सिंचाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी और उस जिले का भविष्य ही खतरे में पड़ गया, तो क्या उस समझौते को रद्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो समझौते को रद्द करने के सम्बन्ध में कब तक विचार फाइनल हो जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह इण्टर स्टेट मामला है और जब तक दोनों स्टेट्स किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती तो कोई कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश की कई ऐसी योजनाएं हैं, जो हमारे बाँदा और हमीरपुर जिलों के लिए लाभप्रद हैं लेकिन मध्य प्रदेश से उनके बारे में समझौता होना आवश्यक है। कई ऐसी योजनायें हैं जिन पर बातचीत चल रही है। अब जब तक दोनों स्टेट एग्री न कर लें तब तक वह कैसे हो।

श्री गुलाब सेहरा—

जनवरी, 1977 में मुख्य मन्त्रियों के बीच सम्मेलन में एक समझौता हुआ जिसके आधार पर एक परियोजना बनाई गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह परियोजना बनाई गई थी वह मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से बनाई गयी थी या केवल उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ही बनाई गई थी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जहाँ तक मैं समझता हूं यह उत्तर प्रदेश सरकार की ही परियोजना थी।

श्री गुलाब सेहरा—

चूंकि एक पक्षीय इस सरकार की ही वह योजना थी इसलिए वह रिजेक्ट कर दी गयी, क्या यह सही है और क्या उस परियोजना को तैयार करने में मध्य प्रदेश की सरकार का भी सहयोग लिया गया था ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री राम सजीवन—

सन् 1977 में समझौता हुआ जिसके आधार पर यह योजना बनी। दो वर्षों से जनता पार्टी का शासन है, तो आपने इस योजना को लागू कराने के लिए क्या-क्या प्रयास किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर वे दे चुके हैं। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

बांगर-संडीला मार्ग पर सई नदी के सचान कोट के पुल निर्माण की मांग

*9—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि बाँगर से सण्डीला जाने वाली सड़क पर सई नदी में पुल न होने से उन्नाव तथा लखनऊ क्षेत्र की जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त मार्ग पर सचान कोट के पास सई नदी पर एक पुल बनाए जाने का आदेश प्रदान करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

जी हाँ।

प्रस्तावित पुल का निर्माण धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

इस पुल के न होने से ग्रामीण जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। पुल का निर्माण, धनाभाव के कारण इस वर्ष सम्भव नहीं है, यह मन्त्री जी ने बताया है, तो क्या अगले वर्ष 1980 में यह सम्भव हो जयेगा ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

यह पुल 150 मीटर लम्बा होगा और कुल लागत इसकी करीब 42 लाख होगी। इसलिए इस वर्ष तो सम्भव नहीं होगा, अगले वर्ष इस पर विचार कर लिया जायेगा, वैसे इन्टीग्रेटेड प्लान में पुलों के निर्माण की योजना रखी गयी हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या मन्त्री जी पुल निर्माण निगम द्वारा इस पुल को बनवाने पर विचार करेंगे क्योंकि वह निगम तो सारा खर्च टैक्स के रूप में वसूल कर ही लेता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कर्मचारी संघ की मांगें

*10—**श्री राम गोबिन (जिला बलिया)—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के मिनिस्टीरियल संघ की माँगों के सम्बन्ध में शासकीय पत्र संख्या–4879, दिनाँक 12 जून, 1978 के द्वारा इन माँगों की पूर्ति तीन महीने के अन्दर कर दिए जाने के आदेश दिए गए थे ? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

श्री राम गोबिन—

अगर तीन माह के अन्दर कोई शासकीय पत्र उनकी माँगों को पूरा करने के सम्बन्ध में नहीं गया है, तो क्या सरकार अब से तीन माह के अन्दर उनकी माँगों को पूरा करने का कष्ट करेंगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा और उसमें जो संख्या दी, वह संख्या गलत है। उन्होंने जो प्रश्न किया है, वह यह किया है कि माँगों की पूर्ति के लिए कोई चीज लिखा था। मेरा निवेदन यह है कि यहाँ पर सदन में जब उत्तर दिया था, तो उसमें यह था कि राजस्व परिषद् के जो अनुमन्य वेतनमान है, उस पर आश्वासन दिया था कि उस पर विचार किया जायगा। उस आश्वासन के परिपालन के लिए विभाग को लिखा गया कि इसका कार्यान्वयन किया जाय। लेकिन वित्त विभाग ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन श्रीमन, वेतन आयोग बन गया है, उसमें इसका समावेश करा देंगे।

श्री राम गोबिन—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग की यह बैठकें होकर कब तक यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो वेतन आयोग के ऊपर है, जब विचार करेंगे तब करेंगे।

आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय, कानपुर के शिक्षकों की संख्या

*11—श्री राम आसरे अग्नि होत्री (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर म शिक्षकों की संख्या शिक्षा विभाग में निर्धारित नियमों से अधिक है ? यदि हाँ, तो कितनी, कब से और क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामपुर मनिहारान कस्बा, सहारनपुर के तालाब में नाले के निर्माण की माँग

*12—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर क्षेत्र रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर के मध्य एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है ? क्या यह सही है कि वर्षाकाल में पानी की अधिकता के कारण मकानों में पानी भर जाने से वे गिर जाते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तालाब के लिए नाला खुदवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

रामपुर मनिहारान कस्बे के उत्तरी दिशा में तालाब स्थित है। तालाब के आसपास का क्षेत्र नीचा होने के कारण बरसात में पानी एकत्रित हो जाता है और वर्षा अधिक होने पर वह पानी फैलकर पश्चिम दिशा की ओर निकल जाता है। वर्षाकाल में पानी की अधिकता के कारण आसपास के मकानों में पानी भरने के कारण वे गिरते रहते हैं ।

इस समय पर नाले के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मुरादाबाद इण्टर कालेज की प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

*13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के मुरादाबाद इण्टर कालेज, मुरादाबाद के प्राइमरी विभाग के समस्त स्थायी अध्यापकों को दिनांक 1 जुलाई, 1976 से प्रबन्धक द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया था ? क्या वर्ष 1976–77 में पीड़ित अध्यापकों के प्रार्थना पत्रों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद द्वारा सेवा मुक्ति को अवैधानिक करार देते हुए पुनर्नियुक्ति के आदेश दिए गए ? यदि हाँ, तो उक्त आदेशों के बावजूद भी पीड़ित अध्यापकों को काम न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्राप्त आख्यानुसार, मुरादाबाद इन्टर कालेज, मुरादाबाद से संलग्न प्राइमरी विभाग के किसी भी स्थायी अध्यापक को सेवामुक्त नहीं किया गया। केवल छः अस्थायी अध्यापकों को प्रबन्धक द्वारा 1 जुलाई, 1976 से सेवा से पृथक किया गया ।

यद्यपि क्षेत्रीय अधिकारियों ने प्रबन्धक को लिखा कि अध्यापकों की सेवा सुरक्षित रखें, परन्तु, प्रबन्धक ने अपनी कार्यवाही को सही ठहराया क्योंकि नियमों में कहीं ऐसा प्राविधान नहीं है कि अस्थायी को भी सदैव सेवा में रखा जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगें कि जिन 6 अस्थायी अध्यापकों को प्रबन्धक द्वारा निकाला गया है, उनके निकाले जाने के कारण क्या रहे और दूसरी बात यह है कि जो क्षेत्रीय अधिकारियों ने सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए लिखा है, उसका आधार क्या रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, पहले अध्यापक हैं, राम भरोसे अवस्थी, मिडिल पास, पी0टी0सी0, ये सेवा निवृत्त हो चुके थे, इसके बाद काम पर लगाए गए थे। इसलिए उनकी सेवायें थोड़े दिनों की थीं, समाप्त कर दी गयीं। दूसरे भूकरन शरण अवस्थी हैं। इनका भी उसी प्रकार का केस है जैसा राम भरोसे अवस्थी का है। इनकी नितान्त अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गयी थी। इसी प्रकार श्री विनय कुमार कौशिक, श्री प्रेम कुमार रस्तोगी, श्री विष्णु भगवान तथा वेद प्रकाश, इनकी सबकी जितने समय के लिए नियुक्ति की गयी थी, उतना समय बीत गया, उसके बाद वह हटा दिए गए। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने किया कि क्या आधार था। वास्तविकता यह थी कि अपनी नियमावली में कहीं पर भी अस्थायी अध्यापकों को स्थायी बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन मानवीय दृष्टि से उन्होंने लिखा कि यदि सेवा में समायोजित कर लिया जाय तो अति उत्तम होगा। यह नियमानुसार उचित नहीं था इसलिए उसे प्रबन्धक ने ठुकरा दिया।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कई अधिकारियों द्वारा लिखा गया नोट क्या है? आदेश क्या है और दूसरी बात यह है कि मेरी इस बात को सही मानते हुए कि कई अध्यापकों को निरंकुशतापूर्ण ढंग से अलग किया गया था? क्या शासन इस पर विचार करेगा कि उनकी पुनर्नियुक्ति की जाय?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद ने यह सूचित किया था कि चूंकि वह अप्रशिक्षित थ और अधिवर्षता वय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए पुनः सेवा में लेने के लिए अब सहमत नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

श्रीमन्, मेरा सवाल था कि जो जिलाधिकारी ने प्रबन्धक को नोट लिखा था, उसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा सेवा सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया। तो सेवा सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया, वह नोट क्या था? मेरा प्रश्न यह था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री, सूचना हो तो दे दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, यह तो मानवीय दृष्टि से लिखा गया, उनको कोई हक नहीं था। इसलिए वे सेवा में नहीं लिए जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अधिकारियों ने पुनर्विचार करने के लिए लिखा है, उसकी सूचना यदि आपके पास हो, तो दे दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

पत्र की प्रतिलिपि मान्यवर, इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस सवाल को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि इस में कई अध्यापकों की रोजी–रोटी का सवाल है।

(उत्तर के लिये मन्त्री को पुकारा नहीं गया।)

श्री मित्रसेन—

इन नियुक्त किये गये अध्यापकों के लिये क्या जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति ली गई थी? जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद अगर उनको रखा जाय, तो फिर निकालने का क्या प्रश्न उठता है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं, उसका जवाब आ गया है ।

श्री मित्रसेन—

आप मंत्री जी को निदेश दे दें कि प्रतिलिपि दिखा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनके कार्यालय में जायें वे आपको दिखा देंगे ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग में हुए भ्रष्टाचार के कतिपय मामलों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता का 26 जून, 1978 का पत्र मिला है ? यदि हाँ, तो शिकायतों की जाँच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा जाँच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हाँ। विभागीय जाँच कराई गई है अभी अंतिम जाँच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

श्रीमन्, आप देखें, 26-4-79 का यह सवाल है और जिस पत्र के आधार पर सवाल है, उसे आप देखेंगे कि 78 का पत्र है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जाँच कब और किस अधिकारी को सौंपी गयी और कब तक इसका उत्तर माननीय मंत्री जी सदन में देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जाँच श्री जितेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, प्राविधिक संपरीक्षक को सौंपी गयी थी और जहाँ तक जाँच में बिलम्ब का प्रश्न है, इसमें इतने मैटर इनवाल्व्ड थे कि इतनी जल्दी जाँच होना सम्भव नहीं थी । इसमें फैजाबाद कचेहरी कम्पाउन्ड में निर्मित कोषागार भवन, गोसाईं गंज कस्बे में निर्मित राजकीय महिला चिकित्सालय का भवन, निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशालाओं के संबंध में, आफिसर्स होस्टल के भवन के निर्माण के संबंध म, तथा इसी जनपद फैजाबाद में निर्मित चार सड़कों तथा पशु चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में था। अब जाँच आख्या आ गयी है उस पर दो बातें बाकी हैं। एक तो रसायनिक परीक्षण तथा दूसरे आफिसरों की सूची माँगी गयी है कि उसमें कौन-कौन थे ? जैसे ही दोनों बातें पूरी हो जायेंगी, कार्यवाही की जायगी ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

जाँच आख्या आ गई है और केवल जो टेक्निकल रिपोर्ट आनी चाहिये वह नहीं आयी है । जितनी रिपोर्ट आयी है उसमें जो-जो शिकायतें मेरे पत्र म थीं, उनमें से कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गई हैं ? उसमें फैजाबाद कचेहरी कम्पाउन्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोषागार के लिए नये भवन के संबंध में है । इसमें श्री एस0 दास, जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक टेलेक्स भेजा गया था। आफिसर्स होस्टल की बात है। उसके बारे में मैंने लिखा है। तो इसमें कौन सी टेक्निकल जाँच की बात है। जिलाधिकारी द्वारा 4-1-76 को टेलेक्स में सेज भेजा था। उसमें क्या है वह सारी बातें तो जाँच की थीं नहीं । इसलिये मैं मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि जो जाँच आख्या आई है, उसमें कौन-कौन सी बातें सही पायी गयी हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँचोपरान्त, अन्तिम जाँच आख्या शासन को दिनाँक 23 अगस्त, 1979 को उपलब्ध कराई गई है और उक्त जाँच से

सम्बन्धित प्लास्टर आदि के रासायनिक परीक्षण तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूचना अभी प्राप्त होनी शेष है। अन्तरिम जाँच आख्या के अनुसार जाँच में यह पाया गया है कि फैजाबाद कचेहरी कम्पाउन्ड में निर्मित ट्रेजरी भवन की छतों पर लाइम कंक्रीट ठीक प्रकार से नहीं डाला गया है और छतों पर तथा दीवारों के जोड़ों को ठीक प्रकार से नहीं भरा गया है। राजकीय महिला चिकित्सालय के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया है कि इस भवन की लाइम कंक्रीट बिलकुल खराब है। प्लास्टर के सम्बन्ध में सैम्पुल जाँच हेतु ले लिये गये हैं जिनकी रासायनिक जाँच कराई जा रही है। प्लास्टरों के सम्बन्ध में स्थिति रासायनिक जांच के उपरान्त ही बताई जा सकेगी। टाइप–1 के क्वार्टरों का निर्माण भी ठीक तरह से नहीं किया गया है तथा दीवारों में दाग होने के कारण चूती हुई प्रतीत होती हैं जो सम्भवत: छत की दीवार का जोड़ ठीक तरह से न बनाने के कारण प्रतीत होती है। मेडिकल आफीसर रेजीडेन्स पर भी लो लाइम कंक्रीट डाली गई है, वह बेकार है। बेड रूम की छत पर लाइम कंक्रीट भी ठीक प्रकार से नहीं डाली गयी है। प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि फैजाबाद में 72 प्राइमरी पाठशालाओं में से 40 स्कूलों का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमें से अभी 3 स्कूल बन चुके है और हैण्ड ओवर करने के कागजात भेजे जा चुके है। सात स्कूल पूर्ण होने की स्थिति में है, तथा वह शीघ्र हैण्डओवर कर दिये जायेंगे। अभिलेख देने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्राइमरी पाठशालाओं का एम0 ए0 एस0 एकाउन्ट अभी अपूर्ण है। फैजाबाद जनपद में निर्माणाधीन आफिसर्स होस्टल के निर्माण के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया है कि एम0 ए0 एस0 एकाउन्ट पूर्ण न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि अब तक इस निर्माण के संबंध में कितना धन व्यय हो चुका है। किन्तु अधीक्षण अभियन्ता ने इस भवन का पुनरीक्षण आगणन कार्य अधीक्षक विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को 7–6 लाख रुपये का भेजा है। शिकायतकर्त्ता के पत्र में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1977 के सम्बन्ध में कोष्ठ द्वारा कोई जाँच नही की गयी है और उन्होंने इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता से स्थिति ज्ञात करने को कहा है।

इस तरह की शिकायत आई है। जैसे ही यह परीक्षण हो जायेगा उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी फैजाबाद ने जो टैलेक्स मैसेज 4 तारीख को भेजा है वह क्या है? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि रासायनिक परीक्षण के बाद कार्यवाही की जायेगी लेकिन जो बाकी अपराध है, जिनकी सूचना मैसेज से दी गयी है, जो स्वयं सत्य है, उस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, टैलेक्स की प्रति तो इस वक्त नहीं दे सकूंगा। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इस पत्र की शिकायत पर क्या सजा दी जा रही है, उस पर शासन विचार कर रहा है। उन्हें सजा दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो पत्र माननीय सदस्य का है, जिस पर जाँच कराई जा रही है, मंत्री जी पत्रावली देंकें उसमें टैलेक्स है। मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने जो लिखा है, उसी पर अपराध सिद्ध होते है। अपराध तो सामने आ गये है इसलिये अधिकारियों को दण्डित करना भी अत्यन्त आवश्यक है। अपराध तो प्रागदर्शन में सिद्ध हों चुका है। अभी तक दण्ड न देने का क्या कारण है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, पत्र तो इसमें नहीं मालूम पड़ रहा है आप इसे स्थगित कर दें।

जमुनादेबी गर्ल्स इन्टर कालेज, कानपुर की अध्यापिका ओं की वरिष्ठता सूची

*15—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि जमुना देवी गर्ल्स इण्टर कालेज, कृष्णानगर, कानपुर की अध्यापिकाओं की कोई वरिष्ठता सूची (सीनियरिटी लिस्ट) बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो वरिष्ठता के आधार पर प्रथम 5 अध्यापिकाओं के नाम, उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्यालय में नियुक्ति अथवा वर्तमान पद पर पदोन्नति की तिथि क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जमुनादेबी गर्ल्स इण्टर कालेज, कृष्णानगर कानपुर की अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची बनायी गई जो विद्यालय अधिकारियों से प्राप्त हुई है उसके अनुसार वरिष्ठता के आधार पर प्रथम पाँच अध्यापिकाओं के विवरण निम्नवत् हैं :—

वरिष्ठता के आधार पर अध्यापिकाओं के नाम	उनकी शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति तिथि प्रवक्ता पद पर	वर्तमान पद पर प्रोन्नति की तिथि
1—श्रीमती जानकी जोशी	एम0 ए0	5—9—67	..
2—श्रीमती शोभा मिश्रा	एम0 ए0	8—7—68	..
3—श्रीमती लज्जावती कटियार	एम0 ए0, बी0 एड0	19—7—69	..
4—श्रीमती पुष्पलता भाटिया	एम0 ए0, बी0 टी0	..	22—7—70
5—कु0 मनोरमा भाटिया	एम0 ए0, बी0 एड0	..	8—7—75

3001

श्री बाबूराम शुक्ल—

जो वरिष्ठता की सूची दी गयी है। उसमें क्रम संख्या 4 और 5 श्रीमती पुष्पलता भाटिया तथा कु0 मनोरमा भाटिया की नियुक्ति की तिथि नहीं दी गयी है। क्या मंत्री जी के पास इनकी नियुक्ति की तिथि है। यदि हाँ, तो बताने की कृपा करेंगे।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

अंतिम दो जो अध्यापिकायें है, श्रीमती पुष्पलता भाटिया और कु0 मनोरमा भाटिया इन दोनों को जो प्रोन्नति दी गयी है, तो नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष के अन्दर ही दी गयी है। मैंने पहले ही स्वीकार किया कि यह पदोन्नति अनियमित है। इनकी डेट आफ एप्वाइंटमेंट नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि पाँच वर्ष पूरे होने के पहले ही पदोन्नति दी गयी।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, वरिष्ठता सूची के अनुसार प्राचार्य के बाद श्रीमती जानकीजोशी का नाम है। जब प्राचार्य अवकाश पर होती है, तो उनको आफिशियेट करने का कार्य नियमानुसार श्रीमती जानकी जोशी को करना चाहिये। तो क्या यह कार्य श्रीमती जानकी जोशी को दिया जाता है या किसी अन्य अध्यापिका को दिया जाता है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि प्राचार्य संबंधी कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन नियमानुसार वरिष्ठता सूची में जो प्रथम हो उसी को अफिशियेट करने का अधिकार होना चाहिये।

आपातकाल एवं भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी सम्बन्धी पाठों को पुस्तकों से निकाले जाने के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का परिपत्र

*16—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि यह सही है कि लोक सभा तथा विधान सभा के 1977 के चुनावों के बाद शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के प्रकाशकों को यह परिपत्र भजा गया था कि वे अपनी पुस्तकों में से आपात-काल तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रशंसा सम्बन्धी अंशो को निकाल दें ? क्या यह सही है कि मेरठ के अनेकों प्रकाशकों ने इन निर्देशों की अवहेलना करके अपनी 1977 से पूर्व प्रकाशित पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष वाला पृष्ठ बदल कर उन्हें ही बुक बैंक योजना के अन्तर्गत सरकार को सप्लाई कर दी तथा उन्हें नयी प्रकाशित पुस्तकें बता कर सरकार से कन्ट्रोल का कागज प्राप्त कर लिया ? यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसे प्रकाशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ। ऐसा परिपत्र भेजा गया था।

परन्तु मेरठ के किन प्रकाशकों ने इसकी अवहेलना की यह सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, ढाई वर्ष पूरे हो चुके हैं, केवल मेरठ के प्रकाशकों की सूचना माँगी गयी थी। स्पष्ट था कि सरकार के जो निदश दिये गये थे उनमें इंदिरा गाँधी के प्रशंसागान संबंधी अंशों को न हटाकर सिर्फ उनका कवर हटाकर पुस्तकें बुक बैंक योजना के अन्दर भेज दी गयीं और कागज प्राप्त कर लिया गया। ढाई वर्ष हो गये हैं लेकिन कौन-कौन से प्रकाशक हैं इसकी जानकारी नहीं हो पायी।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

यह जो परिपत्र जारी किया गया है, यह 9—6—77 को आदेश दिया गया था कि आपात स्थिति से संबंधित अंश हटा और मिटा दिया जाय। इसके हटाने की जो कार्यवाही की गयी उसमें अनेक प्रकाशकों को परिपत्र भेजे गये थे। आज्ञा हो तो पढ़ दूं। हाई स्कूल इंगलिश रीडर के संबंध में मे0 रस्तोगी एंड कम्पनी, सुभाष बाजार मेरठ, मे0 सरिता प्रकाशन, 175, नवचंदी ग्राउंड, मेरठ, म0 जवाहर प्रकाशन, पो0 बा0 नं0 23, मे0 गाजियाबाद को परिपत्र भेजा गया था। हाई स्कूल इंगलिश ग्रामर एंड कंपोजीशन के संबंध में मै0 आर्यन प्रेस, शाहमीरगेट, मेरठ, मे0 प्रभात प्रेस, 20/1 नवचंदी मैदान गेट, मेरठ, मे0 पुनीत प्रेस, नवचंदी रोड, मेरठ, मे0 राजीव प्रकाशन, लालकुर्ती, मेरठ कैन्ट, मेरठ, मे0 विजय एंड विजय प्रिंटिंग्स, नेहरू रोड, मेरठ, मे0 भारतीय साहित्य प्रकाशन, 286, चाणक्यपुरी, मरठ, मे0 प्रगति प्रकाशन 62/63, लखपतराय मार्केट बेगमपुर, मेरठ को परिपत्र भेजा गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1977 में मेरठ जनपद के गैर राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के निम्न प्रकाशकों को भी परिपत्र भेजा गया था।

मे0 नगीन प्रकाशन मंदिर वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ। मे0 कृष्ण प्रकाशन मंदिर, सुभाष बाजार मेरठ। मे0 राजहंस प्रेस, पढ़रोड, मेरठ। मे0 केदारनाथ राम नाथ, कालेज रोज, किपीकैंट, मेरठ। मे0 कमला पब्लिशिंग हाउस, पो0 बा0 नं0 89, मेरठ। साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट सुभाष बाजार मेरठ। मे0 भारत भारती प्रकाशन एंड कम्पनी, वेस्टर्न कचेहरी रोड, मेरठ। मे0 भारत भारती प्रकाशन, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ। मे0 राजहंस प्रकाशन मंदिर, रामनगर, मेरठ। मे0 नवजीवन प्रकाशन, 75, गाँधीनगर, मेरठ। मे0 रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड, मेरठ। मे0 चन्द्र प्रकाशन एंड ब्रदर्श, हापुड़, मेरठ। मे0 भारत प्रकाशन मन्दिर, निकट जामा मस्जिद, सुभाष बाजार, मेरठ। मे0 दीक्षित प्रकाशन,

13, स्वामी पाड़ा, बुढ़ाना गेट, मेरठ । मे0 सरन प्रकाशन मंदिर, सुभाषबाजार, मेरठ । मे0 अनुपम प्रकाशन, रस्तोगी, स्ट्रीट, सुभाष बाजार, मेरठ । मे0 अतुल प्रिंटिंग प्रेस 76, हनुमानपुरी, सूरजकुण्ड रोड, मेरठ । मे0 यूनिवर्सिटी बुक डिपो, सुभाष बाजार, मेरठ मे0 विवेक प्रकाशन 136, कालेज रोड, किपीटक, मेरठ । मे0 प्रभात प्रेस, 20/1 नौचंदी रोड, मैदान, मेरठ । मे0 भारतीय साहित्य प्रकाशन, 286, चाणक्यपुरी, मेरठ । मे0 सजीव प्रकाशन, लाल कुर्ती, मेरठ ।

देवरिया जिले में जल निगम द्वारा कथित स्वीकृत योजना के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*17—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि देवरिया जनपद में जल निगम हेतु 2 (दो) करोड़ की योजना वर्ष 1974 में स्वीकृत हुई थी जिसमें लाखों का घोटाला अधिकारियों द्वारा किया गया है ? क्या यह भी सही है कि इस घोटाले की जाँच करने हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र मुख्य मंत्री को माह अगस्त, 1978 में मिला था ? यदि हाँ, तो जाँच न कराने का कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष 1974 में देवरिया जिले के लिये 2 (दो) करोड़ रुपये की जल निकासी हेतु कोई योजना शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी । प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर जाँच करने का आदेश मुख्य अभियन्ता को दिया गया था । इस पत्र के पूर्व भी इसी सम्बन्ध में विधायक महोदय का एक अन्य पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें वही आरोप थे जो अगस्त, 1978 में प्राप्त पत्र में थे । इन आरोपों की जाँच की गई तथा जाँच-कर्त्ता अधिकारी द्वारा आरोप सही नहीं पाये गये ।

मुरादाबाद फ्लड डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*18—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि मुरादाबाद फ्लड डिवीजन के अन्तर्गत बनाए गए बदायूं जिले के बाँध हुसेन, कछला महाबा और मुरादाबाद जिले में हसनपुर तहसील में स्थित गंगा बाँध के निर्माण में अधिशासी अभियन्ता द्वारा लगभग 10 लाख रुपए का गोलमाल किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में जनता एवं विधायकों द्वारा शिकायती-पत्र भी शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय विधायक के दिनाँक 26 जून, 1978 के पत्र में बदायूं जिले में चन्दनपुर, हुसेनपुर, गंगा महाबा बाँध तथा मुरादाबाद जिले के हसनपर बाँध के निर्माण में अधिशासी अभियन्ता द्वारा लगभग 10 लाख रुपये के गोलमाल का जिक्र किया गया था।

शिकायती-पत्र पर छानबीन की गयी और वह पाया गया कि 23,950 रुपया का अधिक भुनतान ठेकेदारों को किया गया ? उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति उचित कार्यवाही की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा के सहायक अध्यापक, श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट की सेवा समाप्ति

*19—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा का दिनाँक 30 नवम्बर, 1978 से प्रान्तीयकरण होने के फलस्वरूप उक्त

नोट—नियम 38 (2) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

विद्यालय में 3 साल से ऊपर कार्यरत किसी अध्यापक की सेवाएं बिना किसी पूर्व नोटिस के दिनाँक 21 दिसम्बर, 1978 को इस अभ्युक्ति के साथ समाप्त कर दी गयीं कि वह अप्रशिक्षित है जबकि वह अध्यापक सेवाकालीन एल0टी0 का आधा भाग पूरा कर चुका था और जिसे चयन समिति का अनुमोदन भी प्राप्त था तथा सी0टी0 ग्रेड में एक पद भी उक्त अध्यापक के लिए उपलब्ध था ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्रान्तीयकृत विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री महेन्द्र सिंह विष्ट जो संस्था के प्रान्तीयकरण के समय अप्रशिक्षित थे तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे थे को स्नातक वेतनक्रम में नियुक्ति दे दी गई है ।

प्रभारी अध्यापिका, नवीन प्राइमरी स्कूल, शाहगंज, आगरा का जाली सर्टीफिकेट के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*20—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रभारी अध्यापिका, नवीन प्राइमरी स्कूल, शाहगंज, आगरा ने शिक्षा अधीक्षिका,नगरमहापालिका, आगरा को जाली टी0 सी0 देने के सम्बन्ध में दिनाँक 17 जनवरी, 1979 को तथा उनके नाम का चेक अन्य अध्यापिका द्वारा जाली हस्ताक्षर बना कर भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनाँक 12 जनवरी, 1979 को शिकायती-पत्र दिये थे जिनकी प्रतिलिपियाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) आगरा को अग्रसारित की गयी थीं ? यदि हाँ, तो उन पत्रों पर सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की तथा क्या तथ्य पाए गए ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ। शिकायती पत्रों पर जाँच की जा रही है। जाँच आख्या प्रतीक्षित है।

शारदा सहायक परियोजना के ईस्ट कल्यानी साइफन के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*21—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के कि0मी0 112-400 पर निर्मित ईस्ट कल्यानी साइफन में हुए 200 टन लोहे, 2500 बोरी सीमेन्ट तथा सी0 आर0 शीट इत्यादि एवं डिवर्ट्रिग को मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए के घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का विस्तृत पत्र दिनाँक 19 मार्च, 1979 का प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो दोषी किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आर० एन०टण्डन, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा मेसर्स अजीत एसोसियेट्स फर्म से स्पेयर पार्टस की कथित खरीद

*22—श्री उदय नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री आर0 एन0 टंडन ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता बनने के बाद अधीनस्थ किन-किन नलकूप प्रखण्डों द्वारा मेसर्स अजीत एसोसिएट फार्म से अब तक वर्षवार कितने मूल्य के स्पेयर पार्टस खरिदवाये हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त फर्म श्री टण्डन के पुत्रों द्वारा ही संचालित है ? यदि हाँ, तो क्या श्री टण्डन को अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग अपने ही स्वार्थ में करने के कारण दण्ड देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग——

श्री आर0 एन0 टण्डन ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता बनने के बाद अपने अधीनस्थ किसी भी नलकूप प्रखण्ड द्वारा मेसर्स अजीत एसोसियेट्स फर्म से अब तक कोई भी स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीदवाये हैं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग——

यह सत्य है कि उक्त फर्म श्री टंडन के पुत्र द्वारा ही संचालित है ।

प्रश्न का तृतीय भाग——

प्रश्न नहीं उठता है ।

मेरठ, बस्ती, सहारनपुर मै पूल्ड हाउसिंग स्कीम के क्वार्टरों का आवंटन

*23——श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)——

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ, बस्ती, सहारनपुर तथा मुरादाबाद में पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत पी0 डब्लू0 डी0 की जमीन पर आवास गृह इस हतु बनाए गए थे कि इसी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा अन्य विभाग के कर्मचारियों के मुकाबले वरीयता के साथ प्रदान की जायगी ? क्या उपर्युक्त जनपदों में सम्बधित जिलाधिकारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं ? क्या सरकार इन आवासों के आवंटन का अधिकार जनपदीय विभागीय सर्वोच्च अधिकारी को प्रदान करेगी । यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र——

जी हाँ ।

जी नहीं ।

पूल्ड हाउसिंग के आवासों के आवंटन का अधिकार जिलाधिकारी को ही सौपा गया है। अतः जनपदीय विभागीय उच्च अधिकारी को यह अधिकार प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मथुरा जिले के लालपुर बांध के निर्माण का प्रस्ताव

*24——श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)——

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की छाता तहसील में लालपुर बाँध को पक्का कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस बाँध के न बनने से 15 साल से किसानों की फसल, मकान सब बरबाद हो जाते हैं और छाता क्षेत्र तथा गोवर्धन क्षेत्र के अनेक किसान गाँव को छोड़ कर राजस्थान भाग जाते हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह——

मथुरा जनपद की छाता तहसील में लालपुर सड़क, जिसकी लम्बाई लगभग 17.5 कि0 मी0 होगी, का निर्माण प्रस्तावित है । इससे इस क्षेत्र को बाढ़ से स्वतः काफी सीमा तक राहत मिल सकगी ।

पिछले वर्षों में जब अधिक वर्षा हुई है तब इस क्षेत्र के ग्रामों में फसलों की हानि अवश्य हुई है । जहाँ तक कृषकों द्वारा इस क्षेत्र को छोड़ कर राजस्थान जाने का प्रश्न है, शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

धर्म सिंघवा बाजार, जिला बस्ती के इण्टर कालेज की प्रबन्ध कमेटी का चुनाव एवं बैठक

*25—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्म सिंघवा बाजार, विकास खण्ड, खेसरहा, जनपद बस्ती में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज है ? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय के प्रबन्धकमेटी का चुनाव कब हुआ था और उसकी साधारण सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी ? क्या उक्त विद्यालय के प्रबन्ध कमेटी के 15 में से 11 सदस्यों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के समक्ष वर्ष 1978 में शपथ-पत्र देकर व लिखित एवं रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से माँग करने पर भी प्रबन्धक तथा अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाए जाने की जाँच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

प्रबन्ध कमेटी का चुनाव तथा साधारण सभा की अन्तिम बैठक दोनों ही 5 फरवरी, 1978 को हुयी ।

कथित पत्रादि जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुए । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले की गण्डक नहर कालोनी का निर्माण एवं सहायक अभियन्ता द्वारा व्यय की गयी धनराशि

*26—श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील हाटा, जिला देवरिया के गण्डक नहर कालोनी, हाटा के सहायक अभियन्ता को 1 मार्च, 1979 से 31 मार्च, 1979 तक निर्माण कार्य हेतु खर्च करने की स्वीकृत धनराशि क्या थी ? क्या यह सही है कि उक्त सहायक अभियन्ता ने निर्माण कार्यों को पूरा होने के पूर्व ही 50 प्रतिशत अलग-अलग कार्यों में खर्च न करके कमीशन के रूप में 11 लाख रुपया प्राप्त कर लिया है और शेष धनराशि का अधिकाँश भाग नहर कालोनी के हाते में क्वार्टर निर्माण, चहारदीवारी आदि बनाकर फर्जी भुगतान दिखा दिया गया है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

अधिशासी अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड, प्रथम, देवरिया द्वारा प्रत्येक उपखण्ड को अलग-अलग माह में व्यय हेतु कोई धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गई । प्रत्येक सहायक अभिन्ता को निर्देश था कि वे स्वीकृत कार्यों पर अधिक से अधिक प्रगति का प्रयास करें। मार्च, 1979 में अधिशासी अभियन्ता ने अपने सहायक अभियन्ता, प्रथम को, जिनके पास हाटा कालोनी का भी कार्य है, 4 लाख रुपया साख सीमा आवंटित की ।

इस सहायक अभियन्ता ने इस उपखण्ड में दिनाँक 1–12–78 को कार्य भार ग्रहण किया दिसम्बर, 78 से मार्च, 79 तक उपखण्ड में कुल व्यय निम्नांकित हुआ है :—

	रु0	पै0
चेक तथा कैश भुगतान द्वारा	.. 6,59,961.67	
निर्माण सामग्री जो स्टाक से दी गई	.. 3,21,947.85	
योग ..	9,81,909.52	

इसमें से केवल मार्च 79 में 4,51,896.60 रु0 चेक तथा कैश भुगतान द्वारा और 1,97,600.60 रु0 स्टाक द्वारा अर्थात कुल 6,49,497.20 रु0 व्यय किया गया। चैक तथा कैश द्वारा कुल भुगतान ही दिसम्बर, 78 से मार्च 1979 तक 6,59,961.67 रु0 है। अत: 11 लाख रु0 कमीशन प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपर्युक्त व्यय में भवनों पर केवल 96,473.63 रु0 तथा चहार-दीवार पर 16152·00 रु0 व्यय किया गया है।

बाराबंकी जिले के गांव रहिला मऊ में बैसोड़ा माइनर के निर्माण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*27—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव रहिला मऊ, परगना व तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के भूमि संख्या 333 से बैसड़ा माइनर निकाली जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री कान्त वर्मा, गाँव मझपुरवा, बाराबंकी का एक प्रार्थना-पत्र सिंचाई सचिव को प्रश्नकर्त्ता विधायक द्वारा दिनाँक 31 जनवरी, 1979 व 2 मार्च, 1979 को दिया गया है ? यदि हाँ, तो उस पर कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले की शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण की जांच रिपोर्ट

*28—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि शारदा सहायक पोषक नहर को जून, 1975 में 110 कि0मी0 तक पूर्ण घोषित करके तदनुसार जुलाई, 1975 में बाराबंकी शाखा में जल उपलब्ध कराया गया फिर भी उसी पूर्ण घोषित रीच में सन 1976 तथा 1977 के सत्र में 2.98 करोड़ रुपए मिट्टी खुदाई कार्य पर दूसरा अनुबन्ध करके भुगतान किये गय जिस पर राज्य मन्त्री, सिंचाई विभाग ने दिनाँक 21 मार्च, 1978 को मामले की जाँच 30 जून, 1978 तक निश्चित रूप से मुकम्मल करक प्रेषित करने के आदेश दिए ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में आज तक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, 30 जून, 1978 तक जाँच पूर्ण करके वास्तविक तथ्यों से अवगत कराने के आदेश दिये गये थे ।

मुख्य अभियन्ता ने उक्त मामले की जाँच रिपोर्ट शासन को 27 अप्रैल, 1979 को प्रस्तुत की। संबंधित मण्डलों तथा खण्डों से सूचनायें एकत्रित करके छानबीन करने में समय लगने के कारण जाँच में बिलम्ब हुआ ।

बदायूं जिले के जूनियर हाई स्कूल, दातागंज के प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण

*29—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बदायूं के जूनियर हाई स्कूल, दातागंज के प्रधान अध्यापक का स्थानान्तरण इस वर्ष किया गया है जबकि यह माह दिसम्बर, सन 1978 में ही स्थानान्तरित होकर दातागंज आए हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ललितपुर जिले में जिला परिषद के परीक्षा केन्द्रों का विवरण एवं महामना मदन मोहन मालवीय कालेज में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की मांग

*30—श्री रणबीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जनपद में परिषदीय परीक्षाएं सन 1979 हेतु कितने परीक्षा केन्द्र थे ? इन परीक्षा केन्द्रों पर ऐसी छात्राएं भी परीक्षा देने हेतु उपस्थित हुईं जिन्हें अपने पंजीकृत केन्द्र से आठ किलो मीटर से अधिक दूरी पर परीक्षा देने जाना पड़ा ? यदि हाँ तो शासनादेश के बावजूद भी ऐसा क्यों किया गया तथा ललितपुर जनपद में भी महामना मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, गुढ़ा, को परिषदीय परीक्षायें, सन 1979 का परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने दिनाँक 1 मार्च, 1979 को सचिव. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को निर्दिष्ट किया था तथा दिनाँक 19 मार्च, 1979 को शिक्षा मन्त्री ने उक्त संस्था को परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु आदेशित किया था परन्तु सचिव महोदय ने निर्देश एवं आदेश की उपेक्षा करके केन्द्र स्थापित नहीं किया ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद ललितपुर में परिषदीय परीक्षा 1979 हेतु कुल 9 परीक्षा केन्द्र थे। इन केन्द्रों से कतिपय ऐसी छात्रायें भी परीक्षा में सम्मिलित हुईं जिनके पंजीकरण विद्यालय 8 कि0 मी0 से अधिक दूर थे, क्योंकि उनके पंजीकरण विद्यालय परीक्षा के केन्द्र नहीं थे और न ही केन्द्र हेतु 8 किलोमीटर की परिधि में अन्य विद्यालय उपलब्ध थ। महामना मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज, गुढ़ा को केन्द्र बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु ऐसा करना संभव न हो सका और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई। गुढ़ा विद्यालय को केन्द्र बनाने हेतु शिक्षा मंत्री जी का आदेश परिषद् कार्यालय में दिनाँक 21–3–79 के अपराह्न (सायंकाल) प्राप्त होने के कारण इस पर पुनः विचार किया जाना संभव नहीं हो सका क्योंकि दिनाँक 22–3–79 को प्रातः 7 बजे से परीक्षायें प्रारम्भ हो रही थीं।

*31—श्री रणबीर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिषदीय परीक्षाएं सन् 1979 हेतु ललितपुर जनपद में विगत वर्षीय किन केन्द्रों को निरस्त किया गया तथा किन केन्द्रों की नवीन स्थापना की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

ललितपुर जनपद में 1979 की परिषदीय परीक्षा हेतु गत वर्ष 1978 के दो केन्द्रों महामना मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज, गुढ़ा तथा जिला परिषद् उ0 मा0 विद्यालय, नरहट को 1979 का केन्द्र नहीं बनाया गया तथा तीन नवीन केन्द्रों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाँसी, श्री चन्द्रभान उ0 मा0 विद्यालय, महरौनी एवं जिला परिषद उ0 मा0 वि0, पाली की स्थापना की गई थी।

वाराणसी जिले से सम्बन्धित बौरी माइनर के साइफन के निर्माण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*32—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 1 नवम्बर, 1978 को मुगल सराय राजबहा, जिला वाराणसी से संबंधित बौरी माइनर पर एक साइफन बनाने के लिए पचोखरा आदि गाँव के निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर कई विधायकों ने संस्तुति की थी ? यदि हाँ, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप खण्ड, बस्ती के सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*33—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक, श्री शम्भूनाथ चौधरी ने नलकूप खण्ड, बस्ती के दो सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध 11 लाख रुपए की गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिनाँक 11 अप्रैल, 1979, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर को दिया है ? यदि हाँ, तो शिकायत क्या है अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

शासन को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्र अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर को प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले की सोन पम्प कैनाल के निर्माण के विरुद्ध रिपोर्ट

*34—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में सोन नदी पर बन रहे लिफ्ट सोन पम्प कैनाल का परिव्यय 5 करोड़ के स्थान पर अब 13 करोड़ रुपया हो गया है तथा निर्धारित समय सन 1982 तक चालू होने की कोई सम्भावना नहीं है । क्या यह भी सही है कि घंघरौल बाँध रिजरवायर से निकली घाघरा नहर की जलपूर्ति हेतु सोन पम्प कैनाल बनाया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि नवम्बर मास से जून मास तक सोन नदी में पानी नहीं रहता फिर पम्प कैनाल बनाने का औचित्य क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1978 से जनवरी, 1979 के बीच तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री की कोई सर्वेक्षण एवं निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष 1974 में स्वीकृत की गई सोन पम्प कैनाल 300 क्यूसेक्स क्षमता की थी । इस परियोजना की लागत 5.64 करोड़ रु0 थी । वर्ष 1977 में इस परियोजना की क्षमता वृद्धि कर 660 क्यूसेक्स कर दी थी । परियोजना का प्राक्कलन 13.00 करोड़ रुपया का बनाया गया । इस परियोजना को वर्ष 1982 तक चालू करने का लक्ष्य है ।

यह सही है कि घाघरा नहर की जलपूर्ति में सोन पम्प नहर से पानी की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है ।

सोन नदी में नवम्बर से जून माह तक कम से कम 1300 क्यूसेक्स जल प्रवाह रहता है इसके विरुद्ध सोन पम्प नहर की आवश्यकता 660 क्यूसेक्स है ।

तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उप मंत्री जी की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें सोन पम्प नहर की उपयोगिता तथा उस पर व्यय के औचित्य तथा उस पर पर सन्देह व्यक्त किया गया था ।

लखनऊ जिले की जलालाबाद झील के नाले का निर्माण

*35—श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के 6ठे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद क अन्तर्गत जलालाबाद झील से पानी निकासी के लिये जिस नाले का निर्माण विभाग द्वारा किया गया क्या उसके निर्माण हो जाने के बावजूद आस-पास के गाँवों की कृषि भूमि अब भी पानी से प्रभावित होती है ? यदि हाँ, तो ऐसे नाले के निर्माण कराने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार पुनः सर्वे कराकर कृषकों की घोर कठिनाई को दूर करने के आदेश अविलम्ब प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं। किला मोहम्मदीनगर ड्रेन बन जाने के उपरान्त परियोजना के अन्तर्गत राहत के लिए प्रस्तावित क्षेत्र कृषि के लिए उपलब्ध हो गया है और वह अब पानी से प्रभावित नहीं होता है। अतः पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है।

शारदा सहायक पोषक नहर के पुल निर्माण की जांच रिपोर्ट

*36—श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 115–960 पर आई0 आर0 सी0 क्लास 'ए' ग्रेड लोडिंग के लिए निर्मित पुल के बीमों में बाटलनट्स एक ही पंक्ति में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता द्वारा लगवाये जाने के कारण मोटी दरार पड़ गयी है ? इस तरह की संपुष्टि दो अविशासी अभियन्ताओं पर गठित समिति ने भी जांचोपरान्त कर दी है ? यदि हाँ, तो दोषी सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जाँच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध आरोप पत्र तैयार हो गये जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

गोरखपुर-देवरिया मार्ग के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*37—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर ली गयी भूमि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्री ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 को कोई शिकायती-पत्र भेजा था ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 31 अगस्त, 1978 प्राप्त हुआ है। उनका पत्र दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिये गये थे कि वे 6.04 एकड़ भूमि को विभाग के नाम स्थानान्तरित करवाने की कार्यवाही करें। उक्त भूमि का अमलदरामद अब विभाग के नाम हो चुका है। अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मानिक चन्द्र जैन, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*38—डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर (श्री मानिक चन्द्र जैन) के विरुद्ध उनके पूर्व स्थान नलकूप खण्ड (पश्चिम बुलन्दशहर) से संबंधित गबन और भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के कई मामले फरवरी, 1977 के दौरान अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग (श्री ललित मोहन दयाल) द्वारा की गयी एक विभागीय जाँच के दौरान प्रकाश में आए थे ? यदि हाँ, तो वे मामले क्या-क्या हैं और शासन द्वारा उपरोक्त जाँच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री ललित मोहन दयाल, अधीक्षण अभियन्ता की जाँच आख्या में श्री मानिक चन्द्र जैन, अधिशासी अभियन्ता को अनुबन्ध में अनाधिकृत रद्दोबदल करने, पचास हजार रुपये के कथित झूठे भुगतान के विषय में भली-भांति जाँच न करने तथा अर्न्तग्रस्त अवर अभियन्ताओं को संरक्षण प्रदान कर उनसे श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक अभियन्ता (जिनके विरुद्ध जाँच की जा रही थी) के खिलाफ झूठे बयान दिलवाने, श्री शर्मा को मार्गदर्शन न देने और श्री शर्मा को जाब लूज कर फंसाने का प्रयास करने का दोषी बताया गया था।

उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक अभियन्ता को दोषमुक्त घोषित किया गया तथा श्री मानिक चन्द्र जैन, अधिशासी अभियन्ता, को सहायक अभियन्ता श्री मोहन लाल शर्मा के विरुद्ध जाँच के दौरान पक्षपात तथा पूर्व दोष की भावना होने का दोषी पाया गया। श्री जैन के इस आचरण के लिये उनको चेतावनी दी जा चुकी है कि वे भविष्य में निष्पक्षता बरतें।

होवर्ट त्रिलोक नाथ इण्टर कालेज, जिला फैजाबाद में लिपिक पद हेतु हरिजन अभ्यर्थी

*39—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि होवर्ट त्रिलोक नाथ इण्टर कालेज, टाँडा, जिला फैजाबाद में सहायक लिपिक पद के लिए दैनिक जन मोर्चा माह जनवरी, 1979 फैजाबाद द्वारा विज्ञापन निकाला गया था ? यदि हाँ, तो उसमें कुल कितने उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिए ? उनमें हरिजनों की संख्या कितनी थी और उनकी योग्यताएं क्या थीं और क्या योग्यता एवं आरक्षण के आधार पर क्या किसी हरिजन उम्मीदवार की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

50

11

योग्यता विवरण निम्नवत है:—

1—श्री धनई राम—एम0 ए0, बी0 एड0

2—श्री नन्द लाल—इन्टर पूरक

3—श्री जोखूराम—बी0 ए0, बी0 एड0

4—श्री सन्त राम—इन्टर तृतीय

5—श्री हरिनारायण राय—बी0 एस-सी0 बी0 एड0

6—श्री राम उजागिर—इन्टर तृतीय

7—श्री बन्सराज राम—इन्टर तृतीय

8—श्री राम दुबेल—एम0 ए0

9—श्री राधे श्याम—बी0 ए0, बी0 एड0

10—श्री लालजी कजौनिया—इन्टर पूरक

11—श्री राम यतन—इन्टर तृतीय।

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी हरिजन अभ्यर्थी के पास टंकण की योग्यता नहीं थी और उनका सामान्य ज्ञान भी अत्यन्त निम्नकोटि का था।

इलाहाबाद जिले की अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति पर लगायी गयी रोक

*40—डा0 कृष्णबीर सिंह कौशल तथा श्री राजकिशोर तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि कोई ऐसा शासनादेश अभी हाल में किया गया है कि जिसके अन्तर्गत पिछड़ी जाति के लोगों का कोटा पूर्ण करने हेतु 15 प्रतिशत अध्यापकों की भर्ती की जाय ? यदि हाँ, तो क्या शासन की जानकारी में है कि इलाहाबाद जनपद के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की भर्ती को रोक दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में ऐसे आदेश जारी किये गये है। जहाँ तक इलाहाबाद जनपद के अल्पसंख्यक

शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की भर्ती रोके जाने का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला फर्रुखाबाद के श्री मुन्शीलाल जाटव तथा श्री राजाराम का विद्युत् नलकूप हेतु आवेदन-पत्र

*41—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री मुन्शी लाल जाटव, निवासी हरकानपुर-सिकन्दरपुर खास तथा श्री राजाराम, निवासी दमदेरा, तहसील कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद के आवेदन-पत्रों पर तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने माह नवम्बर, 1978 में विद्युत नलकूप लगाने हेतु नहर विभाग से आदेश अधिशासी अभियन्ता को दिये थे ? यदि हाँ, तो उक्त आदेशों की अवहेलना करने का क्या कारण है और विभाग ने अभी तक उक्त आदेशों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ।

अपने प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी द्वारा नहर से निजी नलकूप के निर्माण की दूरी 50 मी0 इंगित करते हुये तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी से अनापत्तिक प्रमाण-पत्र की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। परन्तु प्राथना पत्रों की जाँच करने पर यह पाया गया कि प्रस्तावित नलकूपों का निर्माण स्थल नहर कमांड से इतनी दूरी पर नहीं है जिससे उनको उसके निर्माण के लिए अनुमति दी जा सकती है।

*42—श्री प्रभुदयाल यादव—

[2रे सोमवार में 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसिक प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल, जिला कानपुर की स्थापना

*43—श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978–79 में जनपद कानपुर में नवीन बेसिक प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल बिना विधायकों की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी ने अपनी इच्छा से, जो चयन समिति के अध्यक्ष थे, अप्रैल मास में खोले हैं ? क्या नियमानुसार खोले गए हैं ? यदि नहीं, तो खोले गए स्कूलों को निरस्त किया जायगा ? और विधायकों की संस्तुति के आधार पर पुनः विचार किया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं। विद्यालयों को खोलने के लिए स्थान का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा नियमानुसार विधायकों/संसद सदस्यों की संस्तुतियों को ध्यान में रख कर किया गया।

गोरखपुर जिले की चौरी माइनर पर पुल निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

*44—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र मण्डेरा बाजार, जनपद गोरखपुर ग्राम पोखर भीण्डा की जनता एवं प्रश्नकर्त्ता द्वारा शासन को जुलाई, 1977 से अब तक गण्डक नहर चौरी माइनर पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में अनेकों पत्र दिए गए ? यदि हाँ, तो शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

चौरी माइनर पर पुल निर्माण के लिए पोखरभींडा के निवासियों से प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए थे लकिन इस ग्राम के पास में पहले से ही पुल मौजूद होने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा पुल का निर्माण नहीं किया गया।

राजकीय निर्माण निगम के सब इंजीनियर (अपरेन्टिस) की सूची

*45—श्री सन्तबख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश ने सिविल इंजीनियरिंग में सब इंजीनियर (अपरन्टिस) के पदों के लिये अभ्यर्थियों द्वारा डिप्लोमा परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 1979 में एक सूची तैयार की थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि इससूची के कुछ अभ्यर्थियों को केवल उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर नियुक्ति की दी गयी और और कुछ के लिये साक्षात्कार की भी व्यवस्था की जा रही है ? अगर ऐसा है तो यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हाँ। किन्तु डिप्लोमा परीक्षा के प्राप्ताकों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की अन्य योग्यताओं का भी ध्यान योग्यता सूची बनाने में रखा गया था। बिना साक्षात्कार किय सूची के बरिष्ठतम अभ्यर्थियों का चुनाव करके चूंकि अवशेष अभ्यर्थियों की सूची समाप्त कर दी गयी है, अतएव, चयन करने में भेद-भाव बरतने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

*46—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में सिंचाई विभाग में (नहर व नलकूप विभाग) वर्तमान समय में प्रत्येक श्रेणी व पद पर कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी जन अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या इसमें हरिजनों, पिछड़े वर्ग का नियमतः कोटा पूरा नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सीधी भर्ती करके कोटा पूरा करने की सरकार द्वारा व्यवस्था की जायगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तरकाशी जिले के नौगांव-पोण्टी-राजगढ़ी मार्ग तथा अगलाड-थत्यूड मार्ग, जिला टिहरी का निर्माण

*47—श्री बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द" (जिला उत्तरकाशी)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगांव-पोण्टी-राजगढ़ी मार्ग को राजगढ़ी तक तथा अगलाड़-थत्यूड़ मार्ग को थत्यूड़ तक न बनाने के क्या कारण हैं? क्या इन माँगों पर कार्य आरम्भ करने के आदेश मई, 1979 तक दे दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जिला उत्तर काशी में नौगाँव-पौण्टी-राजगढ़ी मोटर मार्ग के 20 किलोमीटर भाग के निर्माण के लिए 40.00 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृति 23 अगस्त, 1976 को दी गयी। मार्ग की कुल लम्बाई 29 किलोमीटर है। इसलिए इस समय स्वीकृत लम्बाई के अन्तर्गत ही मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। पूरी लम्बाई का पुनरीक्षित आगणन प्राप्त हो जाने पर इस कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति दी जा सकेगी।

अगलाड़-थत्यूड़ मोटर मार्ग जिला टिहरी में पड़ता है। इस मार्ग के 15 किलोमीटर भाग की स्वीकृति 24 लाख रुपए की लागत पर 2 फरवरी, 1975 को दी गयी थी। पूरे मार्ग की लम्बाई 44 किलोमीटर है। स्वीकृत लम्बाई एवं लागत की राशि के अन्तर्गत 15 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पूरा हो गया है। शेष 29 किलोमीटर भाग का आगणन प्राप्त हो गया है जो शासन के विचाराधीन है।

उत्तरकाशी जिले के ब्रम्हखाल में रेशम फार्म खोलने की मांग

*48—श्री बरफिया लाल जुवांठा, 'अरविन्द'—

क्या पवतीय विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिले के ब्रम्हखाल नामक स्थान पर रेशम फार्म खोलने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ? क्या इस सम्बन्ध में विभाग को प्रश्नकर्ता का दिनांक 14 मार्च, 1978, 23 दिसम्बर, 1978 तथा दिनांक 19 अप्रैल, 1979 से पत्र जो क्रमशः सह निदेशक, चमोली तथा निदेशक को पृष्ठांकित हैं एवं निदेशक, हथकरघा तथा मन्त्री जी को सम्बोधित है, मिले ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? रेशम फार्म को न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं। ब्रह्मखाल में रेशम फार्म खोलने के लिए फिलहाल भूमि क्रय हेतु प्रस्ताव पर हथकरघा निदेशालय द्वारा प्रारम्भिक छानबीन की जा रही ह। अभी कोई प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य का दिनांक 14 मार्च तथा 23 दिसम्बर, 1978 के पत्र विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। दिनांक 19 अप्रैल, 1979 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके सन्दर्भ में माननीय सदस्य को उत्तर निदेशक हथकरघा द्वारा भेजा जा चुका है।

[दिनांक 29 अगस्त, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

*1—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ में डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं। बाराबंकी जिले में प्रस्तावित डिग्री कालेज रामनगर को शासन द्वारा बी0ए0 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु किलयरेन्स प्रदान की जा चुकी है अतः अभी इस जिले म किसी अन्य प्रस्तावित कालेज की किलयरेन्स प्रदान करने का विचार नहीं है।

*2—श्री रवीन्द्र सिंह—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ स्टडीज के नियमों का पालन

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में बोर्ड आफ स्टडीज के गठन की प्रक्रिया और कार्य सम्बन्धी नियम क्या हैं ? क्या संस्कृत विभाग में प्रक्रिया एवं कार्य-पद्धति सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में बोर्ड आफ स्टडीज के गठन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा निर्धारित है। इनका कार्य पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हेतु संस्तुति करना तथा परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति करना है। संस्कृत विभाग में प्रक्रिया एवं कार्य-पद्धति सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाता है।

*4—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[13-6-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 38(2) द्वारा उत्तरित]

*5—श्री ओंकार नाथ—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6—श्री नरेन्द्र सिंह—
[3रे बुधवार के लिए स्थगित]
*7—श्री नरेश चन्द्र—
[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

लखनऊ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा के कथित प्रवक्ताओं का पुनरीक्षित वेतनमान

*8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्तर के सभी प्रवक्ताओं, जो इस समय कार्यरत हैं, को यू0जी0सी0 पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है? क्या यह सही है कि शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ताओं को इससे वंचित रखा गया है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक प्रवक्ता के सभी पदों के लिए यू0जी0सी0 पुनरीक्षित वेतनमान लागू है। डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणी अथवा वेतनमान नही हैं। शारीरिक शिक्षा में अभी तक कोई भी शैक्षिक पद विश्वविद्यालय में विद्यमान नहीं है।

*9—श्री पूरन चन्द्र—
[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]
*10—श्री अठई राम—
[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के सी० टी० वेतन क्रम का सेलेक्शन ग्रेड

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एल0 टी0 तथा प्रवक्ता वेतनक्रम के अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने के लिए उक्त विद्यालय में उक्त ग्रेड के अध्यापकों की न्यूनतम संख्या 6 अपेक्षित है तब सी0 टी0 वेतनक्रम वालों के लिए न्यूनतम अपेक्षित संख्या 10 रखने का क्या कारण है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

उक्त सेलेक्शन ग्रेड वेतन असंगतियाँ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु गठित मन्त्रि परिषद् की उप समिति के निर्णय एवं प्रस्ताव के अनुसार ही स्वीकृत किया गया है जिसमें सी0टी0 वेतनक्रम में सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने हेतु ऐसे अध्यापकों की कुल संख्या कम से कम 10 होने का प्रतिबन्ध था। अन्य पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने हेतु यह प्रतिबन्ध नहीं था।

*12—श्री रामदत्त जोशी—
[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

शाहजहांपुर के गडिया रंगीन के गेहूं क्रय केन्द्र पर मारपीट की घटना

*13—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री को पता है कि शाहजहाँपुर जिले के गडिया रंगीन गेहूं खरीद केन्द्र पर एफ0सी0आई0 के निरीक्षक को 14 मई, 1979 को दूसरे गाँव के कुल अराजक तत्वों म मारा फलस्वरूप अधिकारियों द्वारा गेहूं खरीद केन्द्र बन्द कर दिया गया जिससे 20 हजार कृषक प्रभावित हैं? यदि हाँ, तो कृषक हित में तत्काल खरीद केन्द्र पुनः चालू किए जाने की व्यवस्था सरकार करेगी?

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

शाहजहांपुर जिले के एफ0सी0आई0 के नहीं वरन् मार्केटिंग विभाग द्वारा संचालित गढ़िया रंगीन क्रय केन्द्र के केन्द्र प्रभारी से दूसरे गाँव के कृषकों ने दिनांक 13 मई, 1979 को हाथापाई की। गड़िया रंगीन गेहूं क्रय केन्द्र को बन्द नहीं किया गया था और खरीद कार्य निरन्तर जारी है, किन्तु वर्षा से प्रभावित होने के कारण इस क्रय केन्द्र को दिनांक 16 जुलाई, 1979 से बन्द कर दिया गया।

*14—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

*15—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

*16—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

गोण्डा जिले के लिये सीमेन्ट का आवंटन

*17—श्री बिन्दूलाल (जिला गोण्डा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा को डालमिया फैक्ट्री से गत तीनों महीने का सीमेन्ट का कोटा एलाट हुआ था? क्या डालमिया वालों ने पूरा कोटा नहीं दिया? यदि हाँ, तो क्या कारण है? क्या मन्त्री जी को यह भी सूचना मिली है कि डालमिया वाले रेट से ज्यादा पैसा माँग रहे हैं? यदि हाँ, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मलिखान सिंह—

सन् 1979 के अप्रैल–जून त्रैमास के लिए गोण्डा जिले को डालमियानगर स्थित रोहतास फैक्ट्री से 400 मी0टन का आवंटन हुआ था। जिससे कम्पनी ने 374.90 मी0 टन सीमेन्ट की आपूर्ति 30 जून, 1979 तक कर दी थी। शासन को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि कम्पनी रेट से अधिक मूल्य माँगती है।

*18—श्री रामनरायन वर्मा—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

सेतु निगम के प्रोजेक्ट कास्ट में वृद्धि

*19—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978–79 में मार्च, 1979 तक सेतु निगम के पास लगभग 66.66 करोड़ रुपए कुल स्वीकृति लागत पुनरीक्षित अनुमानित लागत 62.21 करोड़ रु0 के निक्षेप एवं ठेके के 58 सेतु एवं अन्य कार्य दिए गए? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण न होने के कारण 'प्रोजेक्ट कास्ट' बढ़ गयी? यदि हाँ, तो समय पर कार्य पूर्ण न होनें के क्या कारण हैं?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हाँ। मार्च, 1979 तक सेतु निगम के पास 56.66 करोड़ रुपए की लागत के कुल 58 स्वीकृत कार्य थे। यह प्रोजेक्ट कास्ट बढ़कर 62.21 करोड़ रुपए हो गयी जो ज्यादा अधिक नहीं है प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ने का कारण निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि तथा मजदूरी की दरों मे वृद्धि है। इलाहाबाद में गंगापुल को छोड़ कर किसी अन्य कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब नहीं हुआ है।

*20—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

गोरखपुर जिले के प्राथमिक शिक्षक संघ का ज्ञापन एवं उनकी मांग

*21—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर के प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर तथा शासन को कोई ज्ञापन अपनी माँगों के सम्बन्ध में जून, 1979 में दिया है ? क्या 10 जुलाई से अनशन की भी बात कही गयी है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्राथमिक शिक्षक संघ, गोरखपुर का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें 10 जुलाई, से अनशन की बात है परन्तु जिला स्तरीय अधिकारियों तथा शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के मध्य 8 जुलाई, 1979 को समझौता होने के कारण अनशन का कार्यक्रम वापस ले लिया गया ।

श्री रज्जनलाल, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, बरगांवा, जिला हरदोई की पारिवारिक पेंशन

*22—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के प्रथम बुध के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जगदेवी के पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति एवं वेतन तथा अन्य एरियर के दीर्घ कालिक विलम्ब में जो कष्ट हुआ है उसके लिए सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

भुगतान में विलम्ब का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का न होने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*23—श्री कल्पनाथ सिंह—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

फैजाबाद जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार के कतिपय मामलों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 26 जून, 1978 तथा 28 जुलाई, 1978 के आधार पर कोई विभागीय जाँच कराई गयी है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

प्रश्नकर्ता के दोनों शिकायती पत्रों के आधार पर विभागीय जाँच कराई गई है अभी अन्तिम जाँच आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

गोमती बैराज निर्माण खण्ड, लखनऊ के सहायक अभियन्ता श्री राजकुमार जैन का निलम्बन

*25—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड, बोसाईगंज, लखनऊ के स0अ0 श्री राजेन्द्र कुमार जैन को वर्ष 1976–77 में निलम्बित किया गया था ?

क्या यह सही है कि दो वर्ष तक उक्त सहायक अभियन्ता को स्पष्टीकरण देने हेतु चार्ज-शीट भी नहीं दी गयी जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 1977–78 में निरन्तर पत्र दिए गये किन्तु आज तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

गोमती बैराज निर्माण खण्ड, लखनऊ के उपखण्ड, गोसाईगंज के सहायक अभियन्ता जिन्हें वर्ष 1976–77 में निलम्बित किया गया था, का नाम श्री राजकुमार जैन है न कि श्री राजेन्द्र कुमार जैन, जैसाकि प्रश्न में कहा गया है। श्री राजेन्द्र कुमार जैन को सतर्कता जाँच के सम्बन्ध में निलम्बित करने के आदेश 4 जनवरी, 1977 को जारी किए गए थे। सतकता जाँच की आख्या अभी तक उपलब्ध न होने के कारण आरोप-पत्र नहीं दिया जा सका है। अतः जाँच को अप्रभावित रखते हुए श्री जैन के निलम्बन आदेश को शासन के आदेश दिनाँक 27 अगस्त, 1979 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

सैनिक स्कूल के छटनी शुदा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के उपवेशन दिनाँक 1 मई, 1970 को सैनिक स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी के बारे में नियम 51 की चर्चा के समय मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि यदि कभी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो वह छटनी शुदा कर्मचारी रखे जायेंगे ? यदि हाँ, तो उसका परिपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? 1 मई, 1970 के बाद चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन छटनी शुदा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

1 मई, 1970 के बाद छटनी शुदा कर्मचारियों में से कोई नहीं नियुक्त किया गया।

*27—श्री राम दत्त जोशी—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

फैजाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा पुस्तिका निरीक्षकों की नियुक्ति

*28—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मन्त्री माध्यमिक कृपया बतायेंगे कि जू0 हा0 स्कूल परीक्षा पुस्तकों जाँच हेतु परीक्षकों की कोई योग्यता निर्धारित की है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? क्या उसी आधार पर जनपद फैजाबाद के जू0 हा0 स्कूल बोर्ड परीक्षा पुस्तिका निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ। प्रधान/उप प्रधान परीक्षक के लिए कम से कम 10 वर्ष था, सहायक परीक्षकों के लिए कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन/निरीक्षण/प्रशासन अनुभव आवश्यक है। उप प्रधान/सहायक परीक्षकों की नियुक्ति बेसिक तथा माध्यमिक संवर्गों से की जायगी। नियुक्ति का आधार बेसिक तथा माध्यमिक संवर्गों के सम्मिलित परीक्षार्थियों का अनुपात ही होगा। जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन कार्य में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश हैं। उसी आधार पर जनपद फैजाबाद में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पुस्तिका निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले के गोसाई गंज शेरवाघाट मार्ग के निर्माण की मांग

1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में गोसाईगंज-शेरवा घाट रोड कब तक पक्की हो जायगी ? क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त रोड को केवल महबूबगंज तक पक्की करने की योजना है जबकि महबूबगंज से शेरवाघाट तक की मट्टी भराई का काम जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा पूरा हो चुका है और उस हिस्से को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेकर आगे का कार्य कराने तथा गोसाईगंज से शेरवाघाट तक की पूरी सड़क को पक्की कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता ने लिखा है ? यदि हाँ, तो इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जनपद फैजाबाद में गोसाईगंज-शेरवाघाट मार्ग का 3 कि0मी0 भाग, जो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था मार्च, 1980 तक पूण होन की आशा है, तथा उसके आगे 7 कि0मी0 भाग जो खाद्यान्न योजना नं0 3 में स्वीकृत हुआ है, पर मार्च, 1980 तक खड़ंजे का कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है। यह सही है कि महबूबगंज तक ही पक्का कराने की योजना है। महबूबगंज से शेरवाघाट मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित किए जाने का प्रस्ताव तथा अन्य किसी का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि महबूबगंज-शेरवाघाट मार्ग स्वीकृत नहीं है, अतः महबूबगंज के आगे के भाग को पूरा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फैजाबाद जिले के थिरुआ नाले को गहरा किया जाना

3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1978 के द्वितीय बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दभ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद में थिरुआ नाला को गहरा करने के लिए शासन द्वारा किसी विभाग को लगभग चार लाख रुपए की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

थिरुआ नाले को गहरा करने के लिए जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड 43, फैजाबाद को मार्च, 1979 में 4.00 लाख रुपए हस्तान्तरित किए थे।

थिरुआ नाले के 14.4 कि0मी0 की लम्बाई में नाले को गहरा व सीधा करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा 9.08 लाख रु0 की एक योजना बनाकर जिलाधिकारी, फैजाबाद को स्वीकृत हेतु भजी गयी थी। 31 मार्च, 1979 तक इस योजना पर 26,000 रुपए व्यय किए जा चुके हैं। शेष धन इस वर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी से 5.08 लाख रु0 की अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर अगले वर्ष कार्य पूर्ण कराए जाने का प्रस्ताव है।

फैजाबाद जिले के थिरुआ नाले पर पुल निर्माण की मांग

4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टाण्डा तहसील में ग्राम मारीडीहा के पूरब तथा ग्राम खुखुतारा के दक्खिन थिरुआ नाला पर पुल न होने के कारण उस क्षेत्र की जनता और विशेषकर विद्यार्थियों को आने-जाने की बड़ी असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो जनपद फजाबाद की बीकापुर तहसील में विसुही नदी पर चपर घाटा में बनने वाले पुल की तरह का एक पुल मारीडीहा के पूरब तथा दूसरा पुल ग्राम खुखुतारा के दक्खिन कब तक बना दिया जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

थिरुआ नाले के इस स्थान पर कोई पुल नहीं है ।

विभाग द्वारा इन स्थानों पर पुलों का निर्माण इस समय पर प्रस्तावित नहीं है ।

जिला खीरी लखीमपुर के बेरोजगार बी० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापक

5—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला खीरी लखीमपुर में बी0टी0सी0 ट्रेन्ड कितने अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई ? क्या यह सही है कि सन 1973-74 तक के ट्रेण्ड अध्यापकों की भी नियुक्ति नहीं हो पाई ? यदि हाँ, तो कब तक नियुक्तियाँ हो सकेंगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

875 बी0टी0सी0 टेन्ड व्यक्तियों की नियुक्तियाँ होनी शेष हैं ।

जी हाँ। वर्तमान शैक्षिक सत्र में लगभग 250 शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो जाने की सम्भावना है ।

गोरखपुर जिले के गजपुर मलौली बांध का निर्माण

6—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के गजपुर मलौली बाँध के लिए कितना रुपया गत दो वर्षों में स्वीकृत किया गया है ? क्या बाँध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बाँध को कब तक पूरा कर दिए जाने का विचार हे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

गत दो वर्षों में गोरखपुर जिले के गज़पुर मसौली बाँध हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है क्योंकि उपरोक्त बाँध के निर्माण से सम्बन्धित योजना जनवरी, 1979 की बैठक में स्वीकृत की गयी है। प्रश्नगत योजना को जून, 1981 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

गोरखपुर के भौवापार-बेला बांध का निर्माण

7—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि भौवापार-बेला बाँध (गोरखपुर) का निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया गया था ? क्या अब तक बाँध का निर्माण पूरा कर लिया गया ह ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है तथा कब तक इस बन्धे का कार्य पूरा कर लेने की आशा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

भौवापार बेला बाँध का निर्माण कार्य फरवरी, 1977 में आरम्भ किया गया था ग्राम कलानी बुजुर्ग के पास 500 मीटर की लम्बाई में ग्रामवासियों के विरोध के कारण कार्य

सम्पन्न नहीं हो सका है। मार्च, 1979 तक 19.02 लाख रुपए इस योजना पर व्यय हो चुके हैं। इसी वर्ष कार्य के पूर्ण होने की आशा है ।

गोरखपुर भरवलिया ग्राम का कटान रोकने हेतु योजना

8—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि भरवलिया विकास क्षेत्र, कौड़ीराम, गोरखपुर की कटान रोकने के लिए वर्ष 1978 में कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन थी ? यदि हाँ, तो क्या उस पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया ? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? क्या इस वर्षाकाल से पूर्व यह योजना पूरी कर ली जायगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ ।

वर्ष 1978 में भरवलिया ग्राम की कटान की सुरक्षा के लिए एक योजना सिंचाई विभाग में विचाराधीन थी, परन्तु वह अस्वीकृत कर दी गयी थी। वर्ष 1979 में मलौली गजपुर बाँध के निर्माण की एक योजना 15.76 लाख की स्वीकृत हुई है जिसमें भरवलिया ग्राम के कटान को रोकने हेतु भी प्राविधान है। भरवलिया ग्राम की सुरक्षा का कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

पडरौना तहसील में गण्डक परियोजना क्षेत्र में पुल, साइफन, फाल का निर्माण

9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में गण्डक परियोजना क्षेत्र में चन्दरपुर माइनर, हरपुर, रजबहा, बड़हरा रजबहा, चितहा माइनर, गायघाट रजबहा, कुदौना माइनर, जोगिया माइनर, बतिसिया माइनर, किन्नर पट्टी माइनर, बकुलहा माइनर, नाहर छपरा माइनर, जमुनिया, रजबहा सपहा रजबहा, नौगाँवा माइनर, कल्याण रजबहा, मठिया शाखा, खसरारी शाखा, डुमरा रजबहा, पर महत्वपूर्ण स्थानों पर भी पुल, पुलिया, फाल रेगुलेटर के अभाव से किसानों को घोर कष्ट है ? यदि हाँ, तो शीघ्र उक्त निर्माण कार्य कराए जायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत नहरों के महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिया साइफन, फाल, रेगुलेटरों का निर्माण परियोजना में स्वीकृति के अनुसार कार्य हो रहा है। 400 पक्के कार्य जो स्वीकृति हैं उसके प्रति 399 पूर्ण किए जा चुके हैं।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रामनगर, नैनीताल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत जुलाई, 1978 से लेकर अक्तूबर सन् 1978 तक की अवधि में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रामनगर (नैनीताल) के विरुद्ध कितनी शिकायत लिखित रूप में सिंचाई मन्त्री, सचिव तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई हैं और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत अवधि में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रामनगर (नैनीताल) के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायती-पत्र में बहुत सी अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध लगाए गए थे । अधिशासी अभियन्ता रामनगर द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1979 को माननीय विधायक को इस शिकायत के सम्बन्ध में समस्त कार्यों, नहरों, तथा गूलों का निरीक्षण कराया गया और कोई भी नहर तथा गूल के टूट-फूट तथा सीमेन्ट के कार्य में कमी नहीं पाई गयी।

नैनीताल जिले के अमृतपुर-जमरानी बांध का निर्माण

11—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल में काठगोदाम—भीमताल रोड पर स्थित अमृतपुर नामक ग्राम में जयरानी बाँध परियोजना स्थल के समीप 9 किलो-मीटर लम्बी 20 फीट चौड़ी मोटर रोड अनेक पुलों सहित लगभग 60 लाख रुपए की लागत से वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 में बनाई गयी थी, जिस पर केवल पेंटिंग होना शेष रह गया था, परन्तु जयरानी बाँध परियोजना के स्थगित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त मोटर मार्ग को उसी स्थिति में छोड़ दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त मोटर मार्ग के दोनों ओर आबाद विशाल ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण उप-रोक्त मार्ग का निर्माण पूरा कराने के लिए पी0 डब्लू0 डी0 को हस्तान्तरित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ, जनपद नैनीताल में काठगोदाम–भीमताल रोड पर अमृतपुर नामक ग्राम से प्रस्तावित जमरानी बाँध स्थल तक लगभग 9 कि0 मी0 लम्बा तथा 10 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग उनके पुलों सहित लगभग 55 लाख रुपए की लागत से जून, 1976 तक निर्मित किया गया था।

परियोजना स्थल पर हैवी अर्थमूविंग इंक्यूपमेंट तथा अन्य मशीन आदि के आवागमन से पक्की सड़क को हानि होने की आशंका से प्रारम्भिक अवस्था में कच्ची सड़क का ही प्राविधान किया गया जो पूर्ण हो चुकी है।

जमरानी बाँध का निर्माण किया जाय या नहीं इस पर पुनः विचार होना है। मार्ग के सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सैयद मुनीर अहमद, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, काकोरी शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहजहांपुर का बकाया वेतन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

12—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि सैयद मुनीर अहमद, अवकाश प्राप्त प्रधा-नाचार्य काकोरी शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुटार, जिला शाहजहाँपुर, ने कोई प्रार्थना-पत्र बकाया वेतन तथा बकाया जीवन निर्वाह भत्ता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर को 18 नवम्बर, 1978 को दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हो चुकी है ? और कब तक यह पूर्ण बकाया अदा हो जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

विद्यालय निरीक्षक को श्री सैयद मुनीर अहमद अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य का प्रार्थना-पत्र दिनाँक 19 नवम्बर, 1978 प्राप्त हुआ था।

यह भुगतान विद्यालय के अनुदान सूची पर फरवरी, 1978 से आने के पूर्व का है जिसके भुगतान की समस्त जिम्मेदारी प्रबन्धतन्त्र की है। विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए गये हैं कि प्रबन्धतन्त्र से उक्त भुगतान सम्पादित कराने की कार्यवाही करें। फरवरी 1978 से 16 अप्रैल, 1978 तक का निलम्बन भत्ता भुगतान वेतन वितरण अधिनियम, के अन्तर्गत किया जा चुका है और 17 अप्रैल, 1978 से 30 जून, 1978 की अवधि जिसमें प्रधानाचार्य को सेवा निवृत्त कर दिया गया, के लिए अभी निलम्बन भत्ता दिए जाने के औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् भुगतान करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

नैनीताल जिले के कैनाल रोड्स को पक्का किये जाने संबंधी शासनादेश

13—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1977 उप सचिव श्रीमती म0 गौतम के हस्ताक्षर से शासनादेश संख्या 6407 (1)/सब-77-तेईस-सी-9, इस आशय का जारी किया गया कि जनपद नैनीताल की रामनगर व काला डूंगरी तहसीलों के अन्तर्गत मौजूद मुख्य केनाल सर्विस रोड्स को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पौन लाख रुपया प्रति किलोमीटर की लागत से पक्का निर्माण कराया जाय ? यदि हाँ, तो उपरोक्त शासनादेश में निहित निर्णय का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एटा जिले के प्रधान अध्यापक, स्वर्गीय श्री मानसिंह की पेन्शन

14—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन नगर क्षेत्र कासगंज की प्राइमरी पाठशालाओं के ऐसे रिटायर प्रधान अध्यापक हैं जो 15 अक्तूबर, 1970 तथा 31 जुलाई, 1971 के बीच रिटायर हुए थे किन्तु आज तक उनको पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है जबकि उनके बाद में रिटायर प्रधान अध्यापकों को पेंशन दी जा चुकी है ? यदि हाँ, तो क्यों और कब तक उनको पेंशन का भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

15 अक्तूबर, 1970 से 31 जुलाई, 71 के मध्य नगर क्षेत्र कासगंज, जिला एटा के निम्नलिखित चार प्रधान अध्यापक/अध्यापिकी सेवा निवृत्त हुए :—

1—श्रीमती कटोरीदेवी, प्रधान अध्यापिका,
2—श्री बहोरी लाल, प्रधान अध्यापक,
3—श्री मोहम्मद सहजाद, प्रधानाध्यापक,
4—श्री मान सिंह, प्रधान अध्यापक,

उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के प्रधानाध्यापकों/अध्यापिका को पेंशन स्वीकृत हो चुकी है परन्तु भुगतान हेतु कोषागार को प्रस्तुत बिल वर्ष 1978-79 में पारित नहीं हो सके जिनके भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही अब की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें भुगतान कर दिया जायगा। क्रमांक 4 पर वर्णित श्री मान सिंह का निधन हो गया है और उनके उत्तराधिकारियों से पेंशन के पत्राजात अभी शिक्षा विभाग के प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्रजात प्राप्त होने पर उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर जिले में बन्धों की मरम्मत के विरुद्ध शिकायती-पत्र

15—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में बन्धों की मरम्मत में लूट खसोट का कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता ने 12 अप्रैल, 1979 को ड्रेनेज विभाग चतुर्थ खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (गोरखपुर) को दिया गया है ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विक्टोरिया इण्टर कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य, श्री मोर भट्ट की पेंशन का भुगतान

16—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री एस0 मोर भट्ट अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य विक्टोरिया इण्टर कालेज, आगरा (अवकाश प्राप्ति की तिथि दिनाँक 30 जून, 1970) का अभी तक जी0पी0एफ0 तथा पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो उनको उपरोक्त भुगतान कब तक कर दिए जायेंगे तथा देरी का क्या कारण है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्री मोर भट्ट अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, विक्टोरिया इण्टर कालेज, आगरा को जी0पी0एफ0 तथा पेंशन का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। जी0पी0एफ0 के राजकीय अंशदान के भुगतान सम्बन्धी प्रपत्रादि विद्यालय, निरीक्षक, आगरा ने आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात पुनः महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अपने पत्र संख्या ई–3/3966 दिनाँक 30–5–79 द्वारा भेज दिया है। उन्हें निदेशालय से भी स्मरण कराया गया है। श्री भट्ट के पेंशन पत्रजात उपशिक्षा निदेशक, आगरा के कार्यालय में प्राप्त हो गये हैं तथा पेंशन का आगणन भी कर लिया गया है किन्तु प्रबन्धक द्वारा श्री भट्ट के विरुद्ध 800 रु0 का बकाया बताए जाने के कारण एवं धनावन्टन के अभाव में भी अभी तक भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

इस सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं तथा निकट भविष्य में ही पेंशन का भुगतान कर दिया जायगा। प्रकरणों के निस्तारण में हुए विलम्ब का कारण संस्थाधिकारियों की असावधानी ही कही जा सकती है जिन्होंने समय से पेंशन तथा जी0पी0एफ0 सम्बन्धी पत्र- जात प्रेषित नहीं किया। संस्था के विरुद्ध 16–डी(2) की कार्यवाही की जा रही है।

श्री डी० सी० वैदिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, आगरा के अध्यापक स्वर्गीय श्री सरदार सिंह, के वेतन का भुगतान

17—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री डी0 सी0 वैदिक हायर सेकेन्ड्री स्कूल भोगीपुर, आगरा के अध्यापक (स्व0) श्री सरदार सिंह को श्री के0 एस0 राखड़ा, तृतीय एडीशनल जज, आगरा के उनके पक्ष में दिनाँक 11 सितम्बर, 1976 के निर्णय के बावजूद वेतन का भुगतान जिला विद्यालय, निरीक्षक, आगरा द्वारा नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि उनके उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती भगवान देवी को उनके वेतन का भुगतान दे दिया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्री के0 एस0 राखड़ा तृतीय एडीशनल जज, आगरा का श्री सरदार सिंह के पक्ष में दिनाँक 11 सितम्बर, 1976 को कोई निर्णय नहीं हुआ, बल्कि इस तिथि को उनका प्रार्थना-पत्र खारिज हुआ था। न्यायालय के उक्त तिथि के निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित अध्यापक ने अतिरिक्त जिला जज, आगरा की न्यायालय में याचिका दायर की। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला जज, श्री वी0डी0 मौर्या की न्यायालय से दिनाँक 17 अक्तूबर, 1977 को उनके पक्ष में निर्णय हुआ। भुगतान में विलम्ब का कारण उनकी पत्नी श्रीमती भगवानदेवी द्वारा उनके उत्तराधिकारी होने का प्रमाण-पत्र देरी से प्रस्तुत किया जाना था यह प्रमाण-पत्र उनके द्वारा दिनाँक 3 मार्च, 1979 को प्रस्तुत किया गया। अब उन्हें भुगतान कर दिया गया है।

बस्ती जिले के बांसी पनघटिया बांध के सेमर रिटायर बन्ध का निर्माण एवं भूमि का मुआविजा

18—श्री हरिशचन्द्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी पनघटिया बाँध पर सेमर के पास रिटायर बन्ध है ? यदि हाँ, तो कब से बना है ? क्या बाँध के अन्तर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को प्राप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो किस मद से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रथम भाग—

जी हाँ ।

द्वितीय भाग—

1975 एवं 1977 के बीच की अवधि में बाँध का निर्माण बनाया गया था ।

तृतीय भाग—

भूमि का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया जा सका है क्योंकि अभी इस भूमि की अध्याप्ति नहीं हुई है ।

श्री वशिष्ट नारायण राय, अवर अभियन्ता, सिंचाई, बलिया के स्थानान्तरण आदेश का स्थगन

19—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री वशिष्ट नारायण राय, अवर अभियन्ता जोकि सिंचाई कार्य मण्डल, बलिया के अन्तर्गत किडिहरापुर और घोसी में 11 विगत वर्षों से कार्यरत हैं का तबादला सन् 1975 से अब तक कितनी बार हुआ और किन-किन परिस्थितियों में स्थगित किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री वशिष्ट नारायन राय अवर अभियन्ता जो सिंचाई कार्य मण्डल, बलिया में जुलाई, 1969 से कार्यरत थे, के वर्ष 1975 से अब तक के बीच एक बार जून, 1976 में स्थानान्तरण के आदेश हुए। इन आदेशों को पांच बार सम्बन्धित कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों जैसे बच्चों की हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा तथा पत्नी की बीमारी तथा प्रशासनिक कारणवश 31-5-79 तक स्थगित किया गया ।

20—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछले बार जब वे 22 अक्तूबर, 1978 से कार्य मुक्त हो गये तो फिर किन परिस्थितियों में उनका तबादला 23 मार्च, 1979 को फिर स्थगित कर दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री वशिष्ट नारायण राय 17-10-78 से अवकाश पर थे और इन्हें दिनांक 22-10-78 से कार्यमुक्त मान लिया गया था किन्तु सत्र के मध्य में बच्चे की बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया ।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक, गिरिजापुर, बहराइच तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक नहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

21—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 मई, 1975 का कोई शिकायती-पत्र मई, 1975 से जुलाई, 1975 के बीच मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ था जिसमें

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड तृतीय गिरिजापुर में बहराइच तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक पोषक नहर परियोजना के विरुद्ध लाखों रुपए के गोलमाल करने, गलत एम0पी0 बनाने, सीमेन्ट की बोरियाँ बेचने, 'अर्थ-वर्क' में घपला करने सम्बन्धी गबन व भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने मामले की जाँच की ? यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम हुए ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ। शिकायतों के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जाँच कराई जा रही है। अन्तिम आख्या प्रतीक्षित है।

एटा जिले के अमापुर-सोरा-समसपुर डेगरी मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

22—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में अमापुर से सोरा वाया समसपुर डेगरी मार्ग, जिला परिषद्, एटा द्वारा स्वीकृत मार्ग है, जो अभी तक पक्का नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और कब तक उक्त मार्ग को पक्का कर दिया जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जनपद ऐटा म अमापुर से सोरा वाया समसपुर डेंगरी मार्ग, जिला परिषद्, एटा द्वारा स्वीकृत मार्ग नहीं ह।

इस मार्ग को पक्का करने की सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जिले के टोन्स पम्प नहर परियोजना से आय एवं व्यय

23—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में टोन्स नदी पर बना लिफ्ट पम्प कैनाल कितने रुपए की लागत से बना है तथा रबी, खरीफ दोनों फसलों की अलग-अलग कितने एकड़ की सिंचाई होती है तथा कितना रेवेन्यू प्रतिवर्ष आता है ? इस परियोजना की रनिंग कास्ट क्या है ? रनिंग कास्ट से कम राजस्व आय होने पर घाटे की धनराशि कैसे पूरी की जा रही ह ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि नहर के दोनों किनारों के दो फर्लांग रेडियस में सीपेज से कई गाँव व खेत धस रहे हैं तथा ऊसर बन रहा है ? यदि हाँ, तो सरकार ने सीपेज से खेत व गाँव बचाने तथा ऊसर न बनने देने के क्या उपाय किये हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

पूर्व प्रस्तावित टोन्स पम्प नहर परियोजना की अनुमानित लागत 175 लाख रु0 थी। इस परियोजना का कार्य प्रगति में है तथा 3/79 तक 131 लाख रु0 व्यय किया जा चुका है। वर्ष 1974–75 से 1978–79 तक औसत सिंचाई 28355 एकड़ खरीफ, 36084 एकड़ रबी हुई है। एवं 13.37 लाख रुपये सिंचाई कर लगाया गया ह। औसत वार्षिक विद्युत एवं रख-रखाव पर क्रमशः व्यय 17.09 लाख रु0 तथा 4.29 लाख रु0 है। यह सही है कि इस परियोजना से राजस्व आय रनिंग कास्ट से कुछ कम है। प्रथम चरण में केवल 8 पम्प लगाये गये हैं। चार पम्प और लगाये जाने बाकी है जिनके लगने पर सिंचाई एवं राजस्व में वृद्धि होगी। इस नहर के पानी से वर्तमान में 250 लाख रु0 मूल्य के खाद्यान्न में वृद्धि होने की संभावना है। सीपेज के कारण नहर के किनारे कुछ क्षेत्र अवश्य प्रभावित होते हैं। इसके बचाव के लिये सीपेज ड्रेन तथा नहर के कुछ भाग में लाइनिंग किया जाना प्रस्तावित है।

फरीदपुर भुतारोड के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

24—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर भुतारोड में जो अनियमितता बर्ती गयी है उसकी शिकायत मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता ने जनवरी, 1978 में की थी ? क्या यह भी सही है कि जो अधिकारी उसकी जाँच हेतु गये थे उन्होंने केवल बरेली में ही बैठ कर जाँच की थी ? क्या मन्त्री जी पुनः जाँच मौके पर करवाने का कष्ट करेंगे और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे अन्यथा नहीं और क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बहराइच के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि बहराइच जनपद के भीखा, जगदीश पासी आदि व योगेश पाण्डेय, अध्यक्ष, छात्र संघ, किसान महाविद्यालय, बहराइच ने मार्च व अप्रैल, 1979 में अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, बहराइच के विरुद्ध सिंचाई मन्त्री, उत्तर प्रदेश के नाम बहराइच के किसानों का खुला पत्र व प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नलकूप सिंचाई विभाग, लखनऊ को भेजा ? यदि हाँ, तो उक्त खुला पत्र में मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं तथा उन आरोपों की जाँच किसने की तथा दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ ।

मुख्य आरोप अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति के समय भ्रष्टाचार के आरोपों को न देखने, श्री सिंह के नैतिक पतन होने, जीप व ट्रक के निजी प्रयोग के लिये उपयोग किये जाने, वर्कचार्ज की नियुक्तियों में पक्षपात किये जाने, नलकूप संख्या 95 बी0 जी0 पर त्रुटियां पाने पर कमीशन लिये जाने, बलरामपुर लिफ्ट नहर के अनुरक्षण हेतु फर्जी आगणन की संस्तुति करके लाखों का गोलमाल करने, बलरामपुर के लिये दिये गये बाढ़ के धन का दुरुपयोग करने, वित्तीय नियमों की अवहेलना करके लाखों रुपयों के सप्लाई आर्डर ऊंची दरों पर दिये जाने, नलकूप संख्या 36 के0 जी0 पर सैकड़ों एकड़ भूमि को असिंचित करा दिये जाने आदि हैं ।

इन आरोपों की जाँच अवीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, फैजाबाद द्वारा की गई। जाँच रिपोर्ट पर मुख्य अभियन्ता द्वारा विचार किया जा रहा है।

बहराइच जिले के प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों द्वारा पत्राचार प्रशिक्षण प्रणाली हेतु प्रार्थना-पत्र

26—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पत्राचार प्रणाली द्वारा प्रशिक्षित करने की योजना है ? यदि हाँ, तो बहराइच जनपद के किन-किन प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं के आवेदन-पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं तथा किन विद्यालयों से आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए है ? साथ ही कब से प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जिले के ग्राम बरगदपुर करकोली अनदीपुर अलहादपुर का यमुना नदी से कटाव

27—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम बरगदपुर, करकौली अनदीपुर, अलहदादपुर की आबादी को नालों के कटाव से उत्पन्न खतरे से बचाने के लिए क्या सरकार को उक्त ग्रामों के कटाव स्थलों पर पानी के उतार के लिए पक्का ढाल बनाने में कोई कठिनाई है ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जायगा ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

संबंधित ग्रामों के पास सिंचाई विभाग का कोई नाला नहीं गुजरता है । यह ग्राम मूलत: यमुना के खारों में बसे है और जब भी अधिक वर्षा होती है तो खारों में वर्षा का पानी तेजी से चलता है और कटाव करता है या फिर यमुना का पानी अधिक बाढ़ के समय प्रश्नगत ग्रामों को चारों और से घेर लेता है । इस समय सिंचाई विभाग में प्रश्नगत विषय से संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

बस्ती जिले के ग्राम सुपौली, बनखोरिया आदि में नलकूप निर्माण की मांग

28—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के सिंचाई की दृष्टि से अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए उप सचिव, सिंचाई ने कुछ नलकूपों का आवंटन वर्ष 1978–79 के लिए किया था ? यदि हाँ, तो उन नलकूपो को कब तक लगवाने का लक्ष्य रखा गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उप सचिव सिंचाई के पत्र दिनाँक 11–7–78 द्वारा निम्नलिखित ग्रामों में नलकूप लगाने हेतु आदेश दिये थे:—

(1) रेघरपुर, (2) भगौसा अथवा लोहरोली, (3) बनखोरिया (4) सुपौली ।

भगौसा तथा बनखोरिया ग्रामों में नलकूप लगाये गये है । अन्य दो ग्रामों का क्षेत्र नहरी कमाँड में आता ह । अतएव वहाँ पर नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

बस्ती जिले की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि

29—श्री बाबू राम वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978–79 में बस्ती जनपद में बाढ़ रोकने के लिए किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी ? सभी स्वीकृत योजनाओं के कार्य में क्या प्रगति हुई तथा स्वीकृत धनराशि में से कितना धन व्यय किया गया ? 1978–79 में बजट में दी गयी धनराशि में से कितना धन व्यय करने म बस्ती जनपद के सिंचाई विभाग ने असमर्थता व्यक्त की है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

1978–79 में बस्ती जनपद में बाढ़ रोकने के लिए राज्य प्लान के अन्तर्गत 93.40 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी । इसके विपरीत राज्य प्लान में 96.68 लाख रुपया का व्यय हुआ । योजनाओं का व्योरा और उस पर व्यय किये धन की तालिका संलग्न ह ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 173 पर)

मथुरा जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का निलम्बन

30—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला उप-विद्यालय निरीक्षक ने वर्ष 1978–79 में ऐसे कितने अध्यापको कों निलम्बित किया उन्होंने बीमारी का प्रार्थना-पत्र देकर अवकाश प्राप्त किया था ?

क्या यह सत्य है कि निलम्बित अध्यापकों के बीमारी के प्रार्थना-पत्र कार्यालय में उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो उन्हें क्यों निलम्बित किया गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। वास्तविकता यह है कि जनपद मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का सक्षम अधिकारियों द्वारा वर्ष 1978–79 में आकस्मिक निरीक्षण के समय बगर अवकाश प्रार्थना-पत्र के कुछ अध्यापक अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित किये गये। विभागीय एवं अनुसासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिये कुछ अध्यापकों ने आरोप पत्र भेजने के उपरान्त मेडिकल कालेज अवकाश हेतु प्रार्थनापत्र भेजे।

मथुरा जिले के सुखदा बालिका विद्यालय की प्रबन्ध समिति

31—श्री हुकम चन्द तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत ऐसे कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्टर कालेज हैं जिनका दो प्रबन्ध समिति के आधार पर झगड़ा है ? तथा यह भी बताया जाय कि वृन्दाबन (मथुरा) स्थित सुखदा बालिका विद्यालय, वृन्दाबन म इस समय वर्तमान प्रबन्धक कौन ह तथा प्रबन्ध समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

एक बालिका विद्यालय तथा दो बालिका विद्यालय।

वृन्दाबन (मथुरा) स्थित सुखदा बालिका विद्यालय में इस समय श्री राम देव गौतम प्रबन्धक हैं और प्रबन्ध समिति के सदस्य निम्नवत है:—

1—श्री सरेन्द्र कुमार शर्मा	..	अध्यक्ष
2–श्री मनीराम गुप्ता	..	उपाध्यक्ष
3—श्री राम देव गौतम	..	प्रबन्धक/मंत्री
4—श्री वेद प्रकाश	..	उप प्रबन्धक/उप मंत्री
5—श्री राम बाबू गौतम	..	कोषाध्यक्ष
6—श्री बेचान सिंह यादव	..	सदस्य

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर व्यय की गयी धनराशि

32—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से वर्ष 1976 तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कितना धन खर्च कर चुकी है तथा कितनी धनराशि का सामान खरीदा जा चुका है तथा यह खरीदा हुआ सामान अब कहाँ है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्याम बहादुर सिंह, ग्राम शंकरदहा, जिला प्रतापगढ़ का प्रार्थना-पत्र

33—श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम बहादुर सिंह, पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी ग्राम शंकरदहा, पं0 बिहार तहसील, कुण्डा, प्रतापगढ़ ने दिनाँक 19 सितम्बर, 1978, 1 जनवरी, 1979, 27 नवम्बर, 1978, 4 सितम्बर, 1978 में जिलाधीश, प्रतापगढ़ व दिनाँक 31 दिसम्बर, 1978 व मुख्य मंत्री 25 फरवरी, 1979 व दिनाँक 6 जनवरी, 1978 को अभियन्ता, प्रतापगढ़ प्रखण्ड 34 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री श्याम बहादुर सिंह का केवल दिनाँक 6–2–79 का एक प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–34, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ था जो प्रार्थी के क्षेत्र में एक पुल तथा मील 1–0 पर एक-एक साइफन के निर्माण से संबंधित था। पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साइफन की आवश्यकता नहीं पायी गई तथा प्रभावित ग्रामों के बरसाती पानी के निवास हेतु छतरसिंहपुर ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित है।

शारदा नहर, निगोहा ब्रान्च, शाहजहांपुर डिवीजन के शीशम के पेड़ों की चोरी

34—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि निगोहा ब्राच शाहजहाँपुर डिवीजन शारदा नहर पर शीशम की चोरी और पुलिस के अनियमितता के सम्बन्ध में दिनाँक 12 अप्रैल, 1979 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

12–4–79 का नहीं बल्कि दिनाँक 11–4–79 का प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। मामले की जाँच हेतु संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को आदेश दिये गये हैं।

शारदा सहायक खण्ड, महमूदाबाद जिला सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र

35—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड, 15 महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के कुछ अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा कुछ अवर अभियन्ताओं के आचरण के सम्बन्ध में वर्ष 1975 से जाँच चल रही है ? यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ।

शारदा सहायक खण्ड–15 महमूदाबाद जनपद सीतापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री वकील अहमद सिद्दीकी तथा सहायक अभियन्ता सर्वश्री राजन्द्र कुमार सठ, सुशील कुमार अग्रवाल तथा सयद रसीद जमाल रशीदी के विरुद्ध जीप एवं ट्रक के फालतू कल पुर्जों को अनियमित रूप से क्रय करने के मामले में आरोप पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता से प्राप्त हो गया है तथा शासन के विचाराधीन है।

अनुबन्ध सं0–2/एस0 ई0/71–72 के अन्तर्गत अनधिकृत व्यक्ति के भुगतान करने के एक अन्य मामले में श्री वकील अहमद सिद्दीकी अधिशासी अभियन्ता तथा श्री राजेन्द्र कुमार सेठ, सहायक अभियन्ता को आरोप पत्र देकर श्री रमाकान्त त्रिवेदी, अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल, बरेली द्वारा जाँच करायी जा रही है।

शारदा सहायक सिंचाई खण्ड, सीतापुर, लहरपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

36—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक सिंचाई खण्ड, सीतापुर लहरपुर, बिसवाँ के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 1976, 1977–1978 में भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए तथा उन कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत वर्षों में शारदा सहायक सिंचाई खंड सीतापुर, लहरपुर, बिसवाँ में भ्रष्टाचार का 128 बोरी सीमेंट तथा लगभग 2000 सीमेंट की खाली बोरियों से सम्बन्धित मामला पुलिस द्वारा पकड़ा गया था जिसमें लिप्त पाँच कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है—

कर्मचारी का नाम	कार्यवाही का विवरण
1—श्री उमेशचन्द्र गोयल, तत्कालीन अवर अभियंता	आरोप पत्र प्राप्त हो गया है जिसकी छानबीन की जा रही है ।
2—श्री रामजीलाल शर्मा, तत्कालीन अवर अभियंता	तदैव
3—श्री नवीन चन्द्र सक्सेना, तत्कालीन अवर अभियंता	त्यागपत्र दे दिया है ।
4—श्री बावन प्रसाद तत्कालीन काय प्रभारित कार्य पयवेक्षक।	दो स्थायी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ निलम्बन अवधि का वेतन रोक दिया गया है।
5—श्री ओम प्रकाश तत्कालीन बेलदार मिक्सन।	खण्डफालतू होने के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया है ।

किसान इण्टर कालेज, सरैया, सीतापुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन की रिपोर्ट

37—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज, सरैया, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्य के भ्रष्ट आचरण तथा अवैध रूप से प्रधानाचार्य पद क अप्रूवल के सम्बन्ध में कुछ भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र मार्च, 1978 से सितम्बर, 1978 तक प्राप्त हुए थे ? यदि हाँ, तो आज तक क्या कोई जाँच करायी गयी है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38—श्री राम नरायन वर्मा —

क्य शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज, सरैया, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी उपभोक्ता सहकारी भंडार, सरैया में गबन के सम्बन्ध में वर्ष 1977 से कोई जाँच चल रही है ? यदि हाँ, तो उस जाँच के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ । किसान इन्टर कालेज, सरैया सीतापुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दिनाँक 4-9-76 को थाना रामपुर कला में विद्यार्थी सहकारी उपभोक्ता भंडार, सरैया में गबन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट श्री चिरंजी लाल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, उ0 प्र0 सीतापुर द्वारा दर्ज कराई गई जिसकी विवेचना पुलिस कोआपरेटिव सेल, लखनऊ द्वारा की जा रही है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

आगरा जिले के शंकरपुर घाट पर पीपे के पुल की स्वीकृति

39—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में शंकरपुर घाट पर फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग पर पैण्टून-ब्रिज (पीपे का पुल) वर्ष 1976-77 में स्वीकृत हुआ था वह पीपे का पुल कितने दिनों में बन जायगा और अब तक पुल के निर्मित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

आवश्यकतानुसार धन तथा सामग्री इत्यादि उपलब्ध होने पर वर्ष 1979–80 में कार्य पूरा हो जाने का सम्भावना है ।

कार्य की स्वीकृति 31 मार्च, 1977 को दी गयी थी अतः वर्ष 1976–77 में कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता था। वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में धनाभाव के कारण कार्य स्थगित रखा गया। चालू वित्तीय वर्ष (1979–80) में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

मथुरा जिले के विकास खण्ड, सहमऊ में नलकूपों का निर्माण

40—श्री हुकुमचन्द्र तिवारी—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विकास खण्ड सहमऊ, सादाबाद में कितने विभाग द्वारा विद्युत् नलकूपों का निर्माण वर्ष 1977–78 व वर्ष 1979 में अब तक किया गया ? क्या वे सब कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह भी बतायेंगे कि तहसील सादाबाद (मथुरा) में इस समय कितने ऐसे निर्मित नलकूप हैं जो कार्यरत नहीं हैं और क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनपद मथुरा की तहसील सादाबाद के विकास खण्ड, सहमऊ में वर्ष 1977–78 में 5, वर्ष 1978–79 में 4 राजकीय नलकूपों का निर्माण (छिद्रण) किया गया है। इनमें से कोई नलकूप कार्यरत नहीं है। आठ नलकूपों के बी0 एण्ड एल0 फार्म भेज दिए गए हैं जिनका विद्युतीकरण अभी शेष है। एक नलकूप का अभी विकास होना शेष है ।

तहसील सादाबाद में इस समय कुल छिद्रित नलकूपों की संख्या 17 है इनमें से 5 कार्यरत हैं। शेष 12 नलकूप निम्नलिखित कारणों से कार्यरत नहीं हैं :—

अ—9 नलकूपों का विद्युतीकरण होना है ।

ब—1 नलकूप का विकास होना है ।

स—1 नलकूप असफल घोषित हो चुका है जिसका पुनर्निर्माण प्रस्तावित है तत्पश्चात यह कार्यरत हो जायगा ।

5—1 नलकूप का निकास समाप्त हो चुका है इसका पुनः विकास प्रस्तावित है।

गोरखपुर जिले के छोटी गंडक नदी पर बेलवा घाट के पुल निर्माण की मांग

41—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1978 में प्रश्नकर्ता के पत्र पर माननीय सिचाई मन्त्री ने गोरखपुर के छोटी गण्डक के बेलवा घाट पर पुल निर्माण हेतु सर्वे कराने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार पुल निर्माण कराने पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

छोटी गण्डक नदी पर सात पुलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है, इनमें बेलवाघाट पर पुल सम्मिलित नहीं है। बेलवाघाट से कुछ ऊपर छितौनी घाट पर और कुछ नीचे बैकुण्ठी घाट पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया है ।

सीनियर बेसिक विद्यालय, कमेला तथा हसनपुर, जिला बाराबंकी में अध्यापकों की नियुक्ति

42—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1976–77 में सीनियर बेसिक विद्यालय, कमेला तथा हसनपुर, जिला बाराबंकी खोला गया ? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कलाश नाथ सिंह—

जी हाँ ।

रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के कारण अभी स्थायी नियुक्तियाँ नहीं की गयी हैं ।

बाराबंकी जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों का निलम्बन

43—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाराबंकी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के निलम्बित शिक्षक, शिक्षिकाओं की जिला कार्यालय उपस्थिति के लिए कोई प्राविधान किया गया है। यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत निलम्बित किए गये कर्मचारी को निलम्बन आदेशों में इंगित स्थान पर निलम्बन की अवधि में उपस्थित रहना पड़ता है। जाँच की कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक की जा सके इसलिए निलम्बित शिक्षक/शिक्षिकाओं को जिला कार्यालय पर सम्बद्ध किया गया था ।

कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर पर कर्मचारियों का अनशन

44—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जनपद के कुछ गैर शिक्षक कर्मचारी 17 जनवरी, 1979 से अनशन कर रहे हैं? उनकी माँगें क्या हैं, उन्हें पूरा करने में शासन के समक्ष क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ। जनवरी 17 तथा 18, 1979 को अनशन तथा प्रदर्शन किया था। गैर-शिक्षक कर्मचारियों की माँगों तथा उनकी पूर्ति सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 174 पर)

45—श्री मित्रसेन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जिलों के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

46—श्री बरफिया लाल जुवाँठा, 'अरविन्द'—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी तथा टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में अर्थात पुरोला, नौगाँव, डुन्गा, भटवाड़ी तथा जौनपुर विकास खण्डों में अब तक कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कितने गाँव बाकी हैं? इस वर्ष कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया जावेगा ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

31 मार्च, 1979 तक टिहरी गढ़वाल जनपद के विकास खण्ड जौनपुर में 11 ग्रामों का तथा उत्तरकाशी जनपद के विकास खण्ड पुरोला, नौगाँव, डुण्डा व भटवाड़ी में क्रमशः 32, 43, 70 व 47 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

उक्त दिनाँक को विकास खण्ड जौनपुर में 236 तथा विकास खण्ड पुरोला, नौगाँव, डुण्डा एवं भटवाड़ी में क्रमशः 135, 137, 149 व 45 आबादी वाले ग्रामों का विद्युतीकरण बाकी था ।

वर्ष 1979–80 में विकास खण्ड जौनपुर में 11 ग्रामों का तथा विकासखण्ड पुरोला, नौगाँव, डुण्डा व भटवाड़ी में क्रमशः 9, 3, 8 व 9 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

उत्पादन वितरण योजना के अन्तर्गत खोली गयी उचित मूल्य की दुकानें

47—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या 1 जुलाई, 1979 से प्रदेश में उत्पादन बितरण योजना लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो कुल कितने उपभोक्ता केन्द्र 1 जुलाई, 1979 तक खोले जा चुके हैं तथा कुल कितने केन्द्रों की आवश्यकता है ? शेष कब तक खोले जायगे ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां, दिनांक 1 जुलाई, 1979 तक प्रदेश के 32 जिलों में लगभग 9,000 उचित मूल्य की दूकानें खोली जा चुकी हैं। प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर लगभग 50,000 उचित मूल्य की दूकान की आवश्यकता है। शेष दुकानें दिनाँक 31 दिसम्बर, 1979 तक खोली जानी हैं।

48—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

बाराबंकी जिले के बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

49—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के वर्ष 1975 से 78 तक के बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक रोजगार दिला दिया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं।

रिक्तियाँ उपलब्ध होने तथा वर्ष 1974 तक के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों के उपरान्त ही प्रश्नगत युवकों को रोजगार देना सम्भव होगा।

अवर अभियन्ता श्री गोरखनाथ सिंह, पिपराइच गण्डक परियोजना निर्माण खण्ड देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

50—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतान का कष्ट करेंगे कि दिनाँक 17 जुलाई, 1978 को अवर अभियन्ता (श्री गोरख नाथ सिंह) पिपराइच गण्डक निर्माण खण्ड,देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र शासन को प्रश्नकर्ता ने लिखा था ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ। आरोपों के गैर तकनीकी होने के कारण मुख्य प्राविधिक सम्परीक्षक द्वारा जाँच सम्भव न पाए जाने के उपरान्त इस मामले में विभागीय जाँच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

51—श्रीमती शारदा देवी—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

52—श्रीमती शारदा देवी—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

गोरखपुर जिले के कतिपय विकास खण्डों में सीमेन्ट के वितरण के विरुद्ध की गयी जांच

*53—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के कौड़ीराम, पिपरौला खराबार, खजनी एवं बाँसगाँव ब्लाकों में सीमन्ट वितरण में होने वाली अनियमितता की मई–जून,

79 में कोई जाँच शासन द्वारा कराई गयी है ? यदि हाँ, तो जाँच से क्या तथ्य प्रकाश में आए और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मलिखान सिंह—

गोरखपुर जिले के कौड़ीराम, पिपरौली, खोराबार और खजनी विकास खण्डों में सीमेन्ट वितरण में तथाकथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच कराई गयी है। बाँसगाँव विकास खण्ड के बारे में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी। किसी भी सीमेन्ट लाइसेन्सी द्वारा वितरण में अनियमितता नहीं पाई गयी और न सीमेन्ट की चोर बाजारी का कोई मामला सामने आया। विकास खण्ड कौड़ीराम के श्री मोतीलाल के विरुद्ध अपना सीमेन्ट श्री गिरजा शंकर को हस्तान्तरित करने के आरोपों में 30 जुलाई, 1979 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी कौड़ीराम को प्रार्थना-पत्र पर वरीयता के अनुसार परमिट जारी न करने के लिए चेतावनी दे दी गयी है तथा उनका स्थानान्तरण सुदूर विकास खण्ड में कर दिया गया है।

गोरखपुर जिले में खोले गये जनता स्टोर तथा उचित मूल्य की दुकानें

54—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में आज तक कितनी जनता दुकानें खुल गई हैं और कितनी खोली जाने वाली हैं ? क्या इन दुकानों ने व्यावहारिक रूप से आपूर्ति करना भी शुरू कर दिया है ?

श्री मलिखान सिंह—

जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा आज तक 5 जनता स्टोर खोले जा चुके हैं जिनके माध्यम से नियन्त्रित मूल्य पर कापियाँ, माचिस, चाय एवं साबुन को आपूर्ति की जा रही है ?

इसके अतिरिक्त गोरखपुर जनपद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत "उत्पादन वितरण योजना" के अन्तर्गत 20 अगस्त, 1979 तक 611 उचित मूल्य की दूकानें खुल गई हैं और लगभग 1200 दुकानें और खोली जानी हैं। उक्त कार्यरत दूकानों ने व्यवहारिक रूप से आपूर्ति करना शुरू कर दिया है।

नाथ चन्द्रावल, छात्रावास, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कमरों में अनधिकृत कब्जा

55—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इस समय नाथ–चन्द्रावल छात्रावास (गोरखपुर विश्वविद्यालय) के कितने कमरे ऐसे हैं जिसमें बिना आवंटन के अनधिकृत रूप से छात्र रह रहें हैं ? क्या इन कमरों का किराया जमा कराया जा रहा ? यदि हाँ, तो किसके नाम से ? क्या सरकार आवंटन को वैध व सुनियोजित करने की दिशा में कोई कदम उठाएगी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

विश्वविद्यालय की प्राप्त सूचना के अनुसार नाथ चन्द्रावल छात्रावास के 62 कमरों में छात्र/व्यक्ति अनधिकृत रूप से रहते हैं और कोई भी किराया अथवा शुल्क जमा नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, गोरखपुर के भवन का किराया

56—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अप्रैल–मई, 1979 से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, गोरखपुर के भवन का मासिक किराया कितना था ? क्या कई गुना अधिक मासिक किराए पर अब कोई नया मकान कार्यालय के लिए लिया गया है ? यदि हाँ, तो इस का क्या कारण है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

रु0 173–75 पै0 प्रति माह।

जी हाँ। जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय के स्टाफ के लिए स्थानाभाव होने एवं "मंडलीय आडिट आदि" की स्थापना के कारण स्टाफ में वृद्धि होने के फलस्वरूप नया भवन किराए पर लिया गया है।

57—श्री रवीन्द्र सिंह—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

58—श्री रवीन्द्र सिंह—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

59—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

औचित्य का प्रश्न

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है। आपकी अनुमति चाहता हूं

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए। अब निधन के बारे में शोक प्रस्ताव लिया जायगा। आप बैठिए। इस तरह से नहीं। यह परम्परा के खिलाफ है।

विधान सभा सदस्य, श्री हेमराज लोधी व श्री मकबूल हुसैन खाँ तथा भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री घनश्याम दास, मंगलदेव विशारद, सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी व गिरधारी लाल के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि जब से विधान सभा का पिछला सेशन समाप्त हुआ, इस बीच में सर्वश्री हेमराज लोधी, श्री मकबूल हुसैन खां, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो गयी। इसके अतिरिक्त श्री घनश्याम दास, भूतपूर्व सदस्य, बाराबंकी, श्री मंगल देव विशारद, भूतपूर्व सदस्य, आजमगढ़, श्री सुरेन्द्र बाजपेयी, भूतपूर्व सदस्य, हमीरपुर, श्री गिरधारी लाल, भूतपूर्व सदस्य, वाराणसी, इनकी भी मृत्यु हो गयी है। श्री लोधी की मृत्यु एक क्रूर हाथ से कर दी गयी। 28 जून, 1979 की सायंकाल को, उन्नाव के बस स्टेशन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी। श्री लोधी का जन्म 25 जुलाई, 1934 को हुआ था। वह एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे। वह प्राइमरी के अध्यापक थे। लेकिन अपने परिश्रम से उन्होंने बी0ए0 की परीक्षा पास की और विधान सभा के सदस्य, निर्वाचित होने के बाद उन्होंने ला के भी प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की। वह जनता पार्टी बनाने से पहले संयुक्त समाजवादी दल के प्रमुख सदस्य थे और उन्नाव के जन जीवन में उनका बड़ा प्रमुख हाथ था। उनके निधन से उन्नाव जिले की बड़ी क्षति हुई है और विधान सभा में भी उनका स्थान रिक्त हो गया है।

श्री मकबूल हुसैन खां की मृत्यु 11 जुलाई, 1979 को पक्षाघात के कारण बलरामपुर अस्पताल में हो गयी। पहली बार श्री मकबूल हुसैन खां को पक्षाघात सन् 1978 में हुआ। जब इमरजेंसी देश के अन्दर थी, श्री मकबूल हुसैन खां ने लखनऊ में निषेध आज्ञा का उल्लंघन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

किया और वह उनका प्रथम सत्याग्रह था। सन् 1975 में वह गिरफ्तार किए गए और बराबर लगभग 2 साल जेल में रहे। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वह बराबर बीमार रहे। समाजवादी पार्टी के वह सर्वप्रथम और प्रमुख सदस्य थे। सन् 1947 में उन्होंने बिजली कम्पनी के खिलाफ 22 दिन का अनशन किया। समाजवादी पार्टी में उनका प्रमुख स्थान था। सन् 62 में वह कांग्रेस में शरीक हो गये और 79 में जब कांग्रेस में 2 वर्ग हुए तो वह संगठन कांग्रेस में शरीक हो गए और जब तक जनता पार्टी में संगठन कांग्रेस का विलयन नहीं हुआ, वह निरन्तर साथ रहे। सन् 1977 में वह इस सदन के माननीय सदस्य निर्वाचित हुए। श्री रामनरेश यादव के मन्त्रि मण्डल में कुछ दिन तक वह उप मन्त्री रहे और बाद में राज्य मन्त्री रहे। वह अत्यन्त सरल प्रकृति के, सत्यनिष्ठ और एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और उनका जीवन धर्म-निरपेक्षता की एक साक्षात मूर्ति था। उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है।

श्री घनश्याम दास स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, बाराबंकी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। सर्वप्रथम सन् 1952 में वह इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए और फिर 62 और 67 के सामान्य निर्वाचनों में भी वह निर्वाचित होकर आए। श्री दास 16—17 वर्ष की आयु से ही निरन्तर राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस संगठन को समर्पित किया और आप बाराबंकी जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे और हरिजन समाज कल्याण आदि कार्यों में भी आपकी विशेष रुचि थी। श्री दास की मृत्यु 2 अगस्त, 1979 को जब वह अपने ग्राम से वापस जा रहे थे तो मार्ग में मारकामऊ के निकट रात्रि के दस बजे उनकी हत्या कर दी गयी। उनकी आयु 54 वर्ष की थी। यह अत्यन्त खेदजनक है।

श्रीमन्, श्री मंगल देव विशारद का हमारे प्रदेश के जनजीवन से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। श्री विशारद जी का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित था। 9 जनवरी, सन् 1921 को जनपद आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ। आपने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से विशारद की उपाधि प्राप्त की। सन् 1962 में प्रथम बार वह इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी के वह प्रमुख सदस्य थ। सन् 1967 में आप पुनः निर्वाचित हुए और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रि परिषद् के वह एक प्रमुख सदस्य थ। बाद में वह कांग्रेस में शरीक हो गए। आपात कालीन स्थिति में स्वतन्त्रता को वापस लाने के लिए जो आन्दोलन हुआ उसमें उनका प्रमुख भाग था और सन् 1977 की लोक सभा के आम चुनाव में आप निर्वाचित हुए। आपके नेतृत्व में यहां एक कमेटी मंगल देव विशारद कमेटी के नाम से गठित की गयी जो भूमि वितरण और हरिजनों की समस्याओं के बारे में थी। श्री विशारद बड़े ही सत्यनिष्ठ और सेवा-परायण व्यक्ति थे। वह दिल्ली से लखनऊ आए और दूसरे दिन 30 जुलाई को हृदय रोग का दौरा पड़ने के कारण 58 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गयी। श्री विशारद के निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन ह।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी का जन्म सन् 1912 में हमीरपुर के अन्दर हुआ था। 14/15 वर्ष की उम्र से उनमें राष्ट्र प्रेम ओतप्रोत था। सन् 1930, 1941 और 1942 सभी स्वतन्त्रता आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। उन्होंने लम्बे काल तक जेल यात्रा सहन की। सन् 1952 में वह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और निरन्तर 1967 तक वह निर्वाचित होते रहे। श्री बाजपेई हमारे देश के महान नेता और इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री स्वर्गीय पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त के भी वैयक्तिक सचिव बहुत काल तक रहे। वे काफी समय से पीड़ित थे, बलरामपुर अस्पताल में। यहाँ 30 मई, 1979 को उनका शरीरान्त हो गया। उनकी मृत्यु से जनजीवन में एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गयी है।

श्री गिरधारी लाल वाराणसी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। 5 अगस्त, 1979 को प्रातः 8 बजे वाराणसी में 75 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया। अपने पीछे विधवा पत्नी और 4 पुत्रियाँ वे छोड़ गए हैं। सन् 1948 से 1962 तक वे निरन्तर विधान सभा परिषद् के सदस्य रहे। श्री गिरधारी लाल जी आर्य समाज वाराणसी की गौशाला के सदस्य थे। प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के वे निरन्तर सदस्य रहे। उनका वाराणसी के सामाजिक जीवन में प्रमुख स्थान था। इन छहों दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और इस सदन की भावनाएं उनके सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दें।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, नेता सदन ने हमारे 6 साथियों, श्री हेमराज लोधी, श्री मकबूल हुसैन खां, श्री घनश्याम दास, श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री मंगलदेव विशारद और श्री गिरधारी लाल जी के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपनी और अपने दल की भावनाएं उनके सन्तप्त परिवारों तक पहुंचाना चाहूंगा।

श्री हेमराज लोधी, जो उन्नाव से विधायक चुने गए थे, बस स्टेशन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। शुरू के 14 वर्ष तक वे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। बाद में प्राध्यापक हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक जिन्दगी शुरू की। बाद में बड़े परिश्रम से उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली और आयुर्वेद की भी डिग्री प्राप्त की। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो गौरव उन्होंने उन्नाव जिले में हासिल किया, आज उन्नाव जिला उनकी सेवाओं से वंचित रह गया है और उसकी पूर्ति आसानी से नहीं की जा सकेगी।

मान्यवर, मकबूल हुसैन खां हमारे जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे 1977 में। पहले वे डिप्टी मिनिस्टर रहे, बाद में स्टेट मिनिस्टर हुए और इसके पहले भी उनका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था। कई बार वे जेल भी गए. बिजली मजदूरों की माँगों के लिए जेल गये चूंकि उनकी माँगों का औचित्य था इसलिए बिजली कम्पनी को उसको पूरा करना पड़ा। वे अपनी बात के भी धनी थे। काँग्रेस (ओ) संस्था के जनरल सेक्रेटरी थे और सुल्तानपुर के जाने-माने लोगों में से थे। सामाजिक सेवाओं के बारे में आप हमेशा कहते थे कि इन्सान का जीवन निष्कलंक होना चाहिए। उनके निधन से सुल्तानपुर जिला भी काफी हद तक सूना हो गया है।

स्वर्गीय घनश्याम दास जी नहीं रहे वे भूतपूर्व विधायक बाराबंकी के थे। उनकी भी हत्या हो गयी। वे 1952 में काँग्रेस के टिकट पर एम0एल0ए0 हुए और 1962 और 67 में भी पुनः चुने गए। 16–17 वर्ष की उम्र से ही राष्ट्रीय भावनाओं से इतने ओत-प्रोत थे कि हमेशा उसी में लगे रहते थे और विद्यार्थी जीवन में भी तमाम कष्ट सह कर उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में जितनी यातनायें हो सकती थीं उनको सह कर देश की आजादी में योगदान देकर देश को आजादी दिलाई।

मंगल देव विशारद लोक सभा के सदस्य रहे। इसी बलरामपुर अस्पताल में 30 जुलाई, 1979 को हृदय होग से उनकी मृत्यु हुई। उनके बारे में जितनी प्रशन्सा की जाय उतनी कम ह और सार्वजनिक जीवन में ऐसे कर्मठ तथा निष्ठावान लोग बहुत कम मिलते हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं था। वह स्वार्थ से परे समाज की सेवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाडेय]

में विश्वास करते थे और जो उनके हितैषी थे उनके बीच में रह कर भी ऐसा मालूम होता था जैसे उनका उनसे कोई सम्बन्ध न हो। देश की राजनीति में जो उदाहरण उन्होंने पेश किया है वह चिरस्मरणीय रहेगा। उन लोगों के बारे में जिनको कुलक कह सकते हैं, बड़े बड़े जमीन्दारों के बारे में जो उनकी रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल व दिमाग पर असर किए हुए है। जिस सूझ-बूझ का परिचय देकर उन्होंने राजनीतिक व सामाजिक जीवन को स्वच्छ रखा, स्वार्थ से परे रखा वह हमेशा ही स्मरणीय रहेगा। इससे पहले वह दो दफा विधान सभा के सदस्य रह चुके थे। विधान सभा में उनकी कार्य कुशलता तथा कार्य दक्षता की जितनी चर्चा की जाय कम है।

इसी तरह से श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी का जनजीवन परिचय ऐसा रहा है जैसा माननीय नेता सदन ने बतलाया कि वह बड़ा प्रभावकारी तथा व्यवहारिक था और पन्त जी की मिनिस्ट्री में वह उनके मन्त्रित्वकाल में निजी सचिव भी रहे थे। उनका जन्म 1912 में हुआ था और मिड़िल क्लास तक उन्होंने शिक्षा पाई थी, इसके बावजूद अपनी सेवा के माध्यम से 1952 के सामान्य निर्वाचनों में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 57 तथा 62 के सामान्य निर्वाचनों में भी वे इस सदन में निर्वाचित हो कर आये थे और अपनी सेवाओं तथा राजनीतिक जीवन से इस सदन को वह हमेशा प्रभावित करते रहे।

इसी तरह से श्री गिरधारी लाल बनारस के रहने वाले थे। उनका सार्वजनिक जीवन भी बहुत उच्च कोटि का रहा है और 1948 से लेकर 1962 तक वह विधान परिषद् के सदस्य रहे। 62 में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से वह बनारस से विधान सभा के लिए निर्वाचित हो कर आये थे। वह हमेशा प्रदेश काँग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सनातन धर्म कालेज तथा जायसवाल इण्टर कालेज, वाराणसी में वह उप प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे थे। इन पदों पर रहकर उन्होंने समाज की अत्यन्त सेवा की और उसकी जितनी प्रशन्सा की जाय कम ह। इन सभी 6 व्यक्तियों के निधन के समाचार से हमारे दल को बहुत दुख है और मैं अपनी भावनाओं को नेता सदन की भावनाओं के साथ सम्बद्ध करके यह चाहता हूं कि आपके माध्यम से इन भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, काल और नियति के निर्मम हाथों ने हमारे वर्तमान विधान सभा के दो सम्मानित सदस्यों और चार भूतपूर्व सदस्यों को हमसे छीन लिया और हमको बरबस उनको समवेदना और श्रद्धांजलि के दो फूल अर्पित करने के लिए आपसे आज्ञा प्राप्त करनी पड़ रही ह। नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने विस्तार के साथ इन महान विभूतियों के जीवन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया ह।

श्री हेमराज लोधी जो हमारी विधान सभा के उदीयमान माननीय सदस्यों में से थे उनकी निर्मम हत्या से ऐसा लगता ह कि एक मुस्कराते हुए फूल जिससे बड़ी अपेक्षायें थीं उसको बीच ही कुचल दिया गया। उनकी हत्या से न केवल उन्नाव जनपद को बल्कि प्रदेश भर में किसी भी राजनीतिक विचारधारा का कोई भी कार्यकर्ता हो, उन सभी को इससे बड़ी पीड़ा पहुंची। श्रीमन्, जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई उससे हम सबको बहुत दुख है और कम से कम जो हिंसा और प्रतिहिंसा की भावनाएं प्रदेश में स्थान-स्थान पर व्याप्त होती नजर आ रही हैं उनको सामूहिक रूप से समाप्त करने और एक सामाजिक जनमत तैयार करने की कोशिश करना ही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी।

श्रीमन्, श्री मकबूल हुसैन खां, एक विशेष प्रकार के व्यक्ति थे। श्रीमन्, आपसे भी उनका निकट का सम्पर्क रहा है। वे बोलते कम थे लेकिन समस्याओं पर उनकी गम्भीर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पकड़ थी। जो राजनीतिक उलझनें होती थीं उनको सुलझाने में उनकी अपनी एक अनूठी आदत थी। एक प्रकृति सुलभ देन उनको थी। यह व्यक्तिगत महानता मैंने उनमें देखी और इसीलिए जैसे ही वे चुने गए उन्होंने शासन में भी स्थान पाया और सुल्तानपुर जनपद और पूर्वांचल तथा उत्पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह सदव ही स्मरणीय रहेगा।

श्रीमन, जो भूतपूर्व माननीय सदस्य दिवंगत हुए हैं उनमें श्री मंगलदेव विशारद की असामयिक मृत्यु से हमें सबसे अधिक क्षति पहुंची है। वे एक अद्भुत व्यक्ति थे। आचार्य नरेन्द्रदेव की छत्र छाया में समाजवाद की विचारधारा उनके रोम-रोम में छाई हुई थी, वे बहुत कम बोलते थ लेकिन उनको सिद्धान्तों व नीतियों पर बड़ा दृढ़ विश्वास रहता था। बुनियादी बातें वे खेतिहर मजदूरों और निर्बल लोगों के लिए करते थे। इनके बारे में निखार आना बाकी रह गया था। जसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा किस तरह से भूमि सुधार होना चाहिए, किस प्रकार उनके दिए गए प्रतिवेदन का अनुपालन हो, यह बाकी रह गया था। उनका यह प्रतिवेदन हमारे लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। जब वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री थे उन्होंने उसमें जो भी सुधार किया, वह सराहनीय है।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी प्रदेश स्तर के एक जाने–माने नेता थे। उनकी भाषणशैली अनूठी थी मुझे आज भी याद है कि वे विधान सभा में कम समय लेते थे लेकिन जो बोलते थे, उससे हमें मार्ग-दर्शन ही प्राप्त होता था।

श्री घनश्याम दास जी की भी हत्या कर दी गयी। यह बहुत दुखद बात है कि जिन 6 महान व्यक्तियों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनमें से दो व्यक्ति हत्या के शिकार हुए ह। यह अत्यन्त दुखद और चिन्तनीय ह। श्री गिरधारी लाल वाराणसी के जाने–माने नेता थे शिक्षा संस्थाओं के लिए अभूतपूर्व सेवाएं उन्होंन दी हैं। उनकी मृत्यु से समस्त पूर्वांचल क्षेत्र को बहुत धक्का लगा है। श्रीमन्, मेरा आग्रह है कि आप मेरे दल की ओर से हमारी समवेदना शोक सन्तप्त परिवारों को पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, श्री हेमराज लोधी, श्री मकबूल हुसैन खां, श्री घनश्याम दास, श्री मंगलदेव विशारद, श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी और श्री गिरधारी लाल के सम्बन्ध में नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता नारायण दत्त तिवारी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री हेमराज लोधी की निमम हत्या कर दी गयी और इसी तरह से श्री घनश्याम दास जी भूतपूर्व सदस्य थे उनकी भी हत्या कर दी गयी। यह बहुत बड़ी दुखद और चिन्तनीय बात है।

श्रीमन्, मकबूल हुसैन खां मन्त्री भी रह चुके हैं और जिस तरह से उनका व्यवहार और विचार थे उनकी जितनी सराहना की जाय वह कम है।

श्रीमन्, मंगलदेव जी विशारद से आप बहुत अवगत हैं और माननीय सदस्य जो पुराने हैं वह भी अवगत हैं कि वह कितने शान्त स्वभाव के और उच्च विचार के व्यक्ति थे। आदर्शों के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा थी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इस प्रदेश के लिए की जिस का जिक्र माननीय नेता सदन ने किया, मंगल देव विशारद कमेटी की जो रिपोर्ट है वह हमारे प्रदेश के इतिहास में अमर रहेगी और मंगल देव जी विशारद को, जब तक यह माननीय सदन रहेगा, याद करता रहेगा। माननीय मंगल देव विशारद ने जो कार्य उस कमेटी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

माध्यम से किया वह अद्वितीय कार्य था। हदबन्दी कानूनों के बावजूद जो बड़े-बड़े मगर-मच्छ, बड़े-बड़े धन चोर हमारे प्रदेश के अन्दर रह गये थे उनको प्रदेश की जनता के सामने उजागर किया। मैं समझता हूं कि मंगल देव विशारद जी आज भी उसी तरह से कायम हैं और हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे।

उसी तरह से श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी का जीवन हमारे सामने आता है। उच्च विचार और लगन तथा निष्ठा उनके अन्दर थी। जब तक वह रहे तब तक प्रदेश की सेवा में लगनशील रहे।

माननीय गिरधारी लाल जी भी सरल स्वभाव और उच्च विचार के व्यक्ति थे और हमारे बनारस जनपद में जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा बहुत ही उच्च स्थान उनका था और बहुत सी शिक्षण संस्थाओं से उनका सम्बन्ध था। आखिरी वक्त में वह कांग्रेस के सदस्य रहे। कई बार वह आजादी की लड़ाई में जेल भी गए। यह जो 6 आदमी आज हमारे बीच से उठ गए हैं उनका स्थान हमारे प्रदेश में बहुत ही ऊंचा रहा है और इन सबके उठ जाने से हमारे प्रदेश का बहुत ही अहित हुआ है जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। श्रीमन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी और हमारे दल की भावनाएं और विचार एवं हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)—

नेता सदन, नेता विधोधी दल, कांग्रेस (आई०) के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री ऊदल जी ने जो 6 आदमियों के प्रति अपन विचार प्रकट किए हैं उनसे हम अपने दल को सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमन्, श्री हेमराज लोधी उन्नाव जिले के एक उच्च नेता रहे। जैसा कि और लोगों ने कहा उनकी निर्मम हत्या हुई वह विशेष दुख की बात है। अपने जिले के बड़े अच्छ कार्यकर्ता रहे। वह शिक्षा प्रेमी और परिश्रमी थे, अध्यापकी करते हुए भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वह इसी प्रयत्न में थे कि शिक्षा प्राप्त करते जायं इसी का नतीजा था कि विधान सभा का सदस्य होने के बाद भी उन्होंने एल०एल०बी० प्रथम वर्ष परीक्षा पास की। वह गरीबों और निर्धन वर्ग की सेवा करते रहे' समाज सेवा उनका मुख्य ध्येय था।

श्री मकबूल हुसैन खां स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे। वह सरल स्वभाव और स्पष्टवादी थे तथा बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। धर्म निरपेक्षता में उनका बड़ा विश्वास था। जो कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विचारधारा वाला होता उसका वह सख्त विरोध करते थे। ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से न केवल सुल्तानपुर की बल्कि पूरे प्रदेश की भारी क्षति हुई है।

श्री घनश्याम दास जी बाराबंकी जिले के निवासी थे। वह भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक अच्छे राजनैतिक कार्यकर्ता तो थे ही। वह जिला कांग्रेस के सदस्य ही नहीं, उसके महा मन्त्री और पदाधिकारी वगैरह भी बहुत दिनों तक रहे। विशेष दुख की बात यह है कि उनकी भी निर्मम हत्या हुई और उनके उठ जाने से एक हरिजन कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से न केवल बाराबंकी जिले को बल्कि पूरे प्रदेश को हानि हुई है।

श्री मंगल देव विशारद, उनके बारे में सही और सभी को मालूम है कि उन्होंने एक अच्छा कार्य भूमि व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के नाते किया और उन्होंने यह कार्य जितनी

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

मेहनत से किया, वह एक इतिहास प्रदेश के लिए बना है और बना रहेगा। वह विधान सभा के सदस्य रह चुके थे और इस समय वह लोक सभा के सदस्य थे, जबकि उनका निधन हुआ जिले के भी मामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। जिला परिषद् और नगरपालिका के भी सदस्य वह रह चुके थे। सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा काँग्रेस और अखिल भारतीय काँग्रेस के भी वह मेम्बर रहे हैं। वह बड़े व्यवहार-कुशल, सीधे, सरल और गरीबों के बहुत बड़े सहायक व्यक्ति रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और कई बार जेल गए। प्रदेश काँग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। बड़े कुशल राजनैतिक कार्यकर्ता तो थे ही, सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़े अच्छे थे। बड़े मृदुभाषी और सरल स्वभाव के थे।

श्री गिरधारी लाल जी, जैसा ऊदल जी ने कहा, बनारस में बड़ा ऊंचा स्थान था। वह भी बड़े व्यवहार कुशल थे और मिलनसार थे। वह सामाजिक कार्यकर्ता थे और कई संस्थाओं के सदस्य थे, उनका भी दुखद निधन हुआ। वह बहुत ही सरल और अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता रहे हैं और इनके निधन से जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होना जल्दी सम्भव नहीं है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इन तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इनके सन्तप्त परिवारों तक हमारी भावनाएं भेजने का आप कष्ट करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय हेमराज लोधी, श्री मकबूल हुसैन जो हमारे सदन के वर्तमान सदस्य थे, उनके असामयिक निधन पर पूरे सदन को चिंतित होना स्वाभाविक है। अन्य श्री घनश्याम दास, श्री मंगलदेव विशारद, श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेई एवं श्री गिरधारी लाल हमारे भूतपूर्व सदस्यों के असामयिक निधन से भी चिंतित होना स्वाभाविक है। जब श्री हेमराज लोधी का नाम आता है, तो उनकी सादगी और चेहरे की मुस्कराहट हमें अनायास याद आ जाती है और हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि जिन हाथों से उनकी हत्या हुई, वह कितने क्रूर रहे होंगे। वह उन्नाव के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए चिन्ता का एक विषय है। ऐसे साधारण प्रकृति और सीधी प्रकृति के व्यक्ति को अगर हमारे बीच से उठा लिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है तो बड़े दुख की बात है। अन्य भूतपूर्व सदस्यों, माननीय मंगलदेव विशारद की बात जब हम सोचते हैं तो उनके दिल म समाया हुआ दर्द याद आता है, जो जन साधारण के प्रति समर्पित है। भूमि सुधार के बारे में वह कितना चिन्तित थे यह बताने की बात नहीं है। जनता पार्टी में रहते हुए भी, जनता पार्टी के शासन काल में ही, उन्होंने भूमि सुधारों के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए इसी प्रदेश की धरती पर एक नया कदम उठाया था। वह कदम किसान संघर्ष समिति को जन्म देना था। उस संघर्ष समिति के झण्डे के नीचे भूमि किसानों, खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी समान विचार के लोग थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। मान्यवर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इन विभूतियों का योगदान रहा। उसे भुलाया नहीं जा सकता। जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच से उठ गयी हैं, और जो क्षति हमारे सामने पैदा हुई है, इसको पूरा करना सम्भव नहीं है। मैं अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय तिवारी जी, माननीय ऊदल जी, माननीय यादव जी के उद्गारों के साथ सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारी समवेदना के स्वर उन के शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, स्वर्गीय हेमराज लोधी, मकबूल हुसैन खां, घनश्याम दास, मंगलदेव विशारद, सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, गिरधारी लाल जी के सम्बन्ध में जो कुछ नेता सदन ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य दलों के नेताओं ने कहा है, उससे मैं अपने और अपने दल-सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। काफी बताया जा चुका है। सिर्फ मैं यह चाहूंगा कि मेरी और मेरे दल की तरफ से शोक का प्रस्ताव उनके परिवारों को भिजवाने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हेमराज लोधी, श्री मकबूल हुसैन खां इस माननीय सदन के वर्तमान सदस्य थे और श्री घनश्याम दास, श्री मंगलदेव विशारद, श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री गिरधारी लाल ये भूतपूर्व सदस्य थे। इन सबकी मृत्यु दुःख का विषय है। उनके बारे में समवेदना में, जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता काँग्रेस (आई0), माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी, माननीय नेता काँग्रेस एवं प्रगतिशील विधायक दल और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और सदन को, उन विचारों से सम्बद्ध करता हूं। ये सभी बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनकी जिन्दगी, राजनीतिक जिन्दगी बहुत साफ सुथरी थी। श्री मंगलदेव विशारद ने एक इतिहास बनाया, इस प्रदेश के भूमिहीनों और गरीबों की समस्याओं को लेकर, और भूमि व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने कार्य किया है, वह सदैव सराहनीय रहेगा। उनके बारे में सभी नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। उनकी शोक समवेदनाएं शोक सन्तप्त परिवार को भेज दी जायेंगी। अब, मैं कुछ अधिक न कह कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इनकी दो मिनट मौन खड़े होकर, इन सब की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़ हुए।)

विभाजित जनता पार्टी के नाम करण की घोषणा पर आपत्ति

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं नियम 300 के अन्तर्गत यह आपकी संज्ञान में ला रहा हूं। मैं इस सदन का सदस्य हूं। अखबार में कहा गया कि जनता (राजनारायण)। कभी जनता (एस) कहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह जनता (एस) है, या जनता (आर) है या जनता (बी) है। आर से तो रेकैटियर हो सकता है तो बी से क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

कल मैं इस पर निर्णय ले चुका हूं। मैंने श्री राज मंगल पाण्डेय से परामर्श कर लिया है और नेता सदन से भी परामर्श कर लिया है और जो लिस्ट इन्होंने दी है, वह 160 सदस्यों की है, उसको मैंने जनता (राजमंगल पाण्डेय) और शेष जनता पार्टी को जनता (बनारसी दास) का नाम अपनी विधान सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए दिया है।

(व्यवधान)

आप लोग व्यवधान न करें। यह जो मैंने नामकरण किया है वह सुविधा की दृष्टि से किया है। कार्य संचालन के लिए किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—
जनता पार्टी हो सकती है। राजनारायण पार्टी नहीं हो सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो अखिल भारतीय पार्टियाँ प्रदेश की हैं जो संगठित हैं जिनका अपना विधान है और उसके पदाधिकारी हैं—एक जनता पार्टी है और दूसरी जनता (एस) है। और वह मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं। यह मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है। आपने यह नामकरण किया है यह कौन सी पार्टियाँ हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—
जब अपने दल के लिए उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है तो सदन के कार्य-संचालन के लिए मैंने यह किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
यह राजनैतिक पार्टियाँ नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—
मैंने मान्यता नहीं दी है। यह कार्य-संचालन के लिए किया।
(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद—
कोई राजनारायण पार्टी नहीं है या चौधरी पार्टी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—
श्री राकेश जी जो आपके दल के नेता हैं उन्होंने एक बात मानी है और आप उस पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने आपको बतलाया कि केवल सदन के संचालन के लिए मैंने यह नाम रखे हैं। तिवारी जी का एक औचित्य का प्रश्न है जिसे मैं कल लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
मान्यवर, नियम 103 में मैंने एक सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष—
इसके ऊपर अलग से निर्णय हो रहा है। अब आप लोग सदन की कार्यवाही चलाने दें। आज एक अविश्वास का प्रस्ताव आया है। इसके लिए 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो एजेन्डे में जो कार्यवाही है, उसको पहले चलने दें।

श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया)—
अगर 7 घंटे अविश्वास के प्रस्ताव के लिए रखे गये हैं तो आप उसे उसके बाद में लेंगे जब कि एजेन्डे में छपा कार्यक्रम समाप्त हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—
जी हाँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से.....
(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—
आप सदन की कार्यवाही चलने दें, 7 घंटे के समय का ध्यान रखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—
मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—
मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
मान्यवर, यह संसदीय मान्यताओं के विरुद्ध है....

श्री उपाध्यक्ष --

मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं देता।
अगर ये बोलेंगे तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

उत्तर प्रदेश अश्लील सिनेमा पोस्टर (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1979†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अश्लील सिनेमा पोस्टर (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं।

विभाजित जनता पार्टी के नामकरण की घोषणा पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, आप किसी पार्टी का नाम नहीं बदल सकते है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पार्टी का नाम नहीं बदला है....

(अत्यधिक शोर)

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने दल के लोगों के ऊपर नियंत्रण रखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था [* * *]है और परम्पराओं के विरुद्ध है।

मान्यवर, आप स्पीकर रूलिंग का अवलोकन करें। उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसी दल की माननीय सदन में मान्यता है जिसका एक संविधान है, जिसका एक घोषणा-पत्र होगा और सदन के अन्दर और बाहर मान्यता है। यह जनता पार्टी (राजमंगल पाँडेय) और (बनारसी दास) कौन सी पार्टी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने आपको सदन में बैठाने के लिए और सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए किया है। जनता पार्टी लेड बाई राजमंगल पाँडेय और जनता पार्टी लेड बाई बनारसी दास।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाँडेय)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश' 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद बोस)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर (निरसन) अध्यादेश, 1979†

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979†

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 में किए गए शाब्दिक संशोधन का विवरण

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 में किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

[संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 175 पर]

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1979 में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1979 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 176 पर)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 177 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 28 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था, तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 6 जून, 1979 को वापस प्राप्त हुआ था पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 10 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 18 वाँ अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 जून, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 जून, 1979 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध—ग्रहण) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 मई, 1979 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 29 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 11 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 20 वाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 12 जून, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 जून, 1979 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 17 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 21वाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 जून, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 जून, 1979 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 22 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 22 वाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 7 जून, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 14 जून, 1979 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 22 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 23 वाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 12 जून, 1979 की बैठक में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 14 जून, 1979 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 22 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 24 वाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 5 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 8 मई, 1979 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जून, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 25 वाँ अधिनियम बन गया।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 मई 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 22 मई, 1979 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 9 जुलाई, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 26वाँ अधिनियम बन गया।

श्री मैंनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, राम नरेश यादव जी से पूछिये कि वह किस पार्टी के हैं ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, माननीय सदस्य को लगता है कि कुछ नेत्र-दोष है, नहीं तो देखने से ही मालूम हो जाता है। इसलिए कुछ कमी मालूम पड़ रही है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, प्रकाश की व्यवस्था तो आपने उनके पास की है।

(व्यवधान)

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के विगत अधिवेशन के पश्चात् निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई इत्यादि की सूचना संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हुई जिसकी सूचना बुलेटिन 37 से 40 द्वारा माननीय सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है:—

(1) श्री मंजूर अहमद (मेरठ)
(2) श्री राजेन्द्र चौधरी (गाजियाबाद)
(3) श्री अनवार अहमद (गाजियाबाद)।

व्यवस्था का प्रश्न

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक नोटिस आपकी सेवा में भेजा है नियम 103 के अन्तर्गत।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे कल लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, पढ़कर सुना दीजिए, है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—

आज 103 नहीं लिया गया है, यह पहले तय हो चुका था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है, अभी तक उस पर हाउस का रिजोलूशन हुआ नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था हो चुकी है, ये आपकी व्यवस्था के बाद क्या बोल रहे हैं ? समय क्यों नष्ट हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना आपने दिया है, वह अभी हमारे पास तक आयी नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। श्रीमन्, रोज अखबारों में इस बात की चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे सदन में न उठायें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

रोज यह चर्चा है कि सदन डिजाल्व होने जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप बैठाइये इनको।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह, आप बैठें। वह नियम 103 की सूचना जब मेरे पास आयेगी तब हम निर्णय लेंगे।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति (1978–79) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की याचिका समिति (1978–79) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सूचना .....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है, पहले ....

---

†छापा नहीं गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी 28 अगस्त, 1979 की बैठक में अपनी 27 अगस्त, 1979 की बैठक में की गयी संस्तुतियों पर पुनर्विचार करके विधान सभा के 29 अगस्त से 4 सितम्बर, 1979 के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की हैं:—

बुधवार, 29 अगस्त, 1979

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुज्ञा प्राप्त होने की दशा में उस पर 7 घंटे चर्चा होने के उपरान्त मतदान होगा और नियम 51, 56 तथा 301 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

गुरुवार, 30 अगस्त, 1979

(क) श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रदेश के कतिपय जिलों में सूखा पड़ने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ढाई घंटे की चर्चा होगी।

(ख) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव लिये जायेंगे:—

(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979,

(2) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979,

(3) उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979।

शुक्रवार, 31 अगस्त, 1979

वित्तीय वर्ष 1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, माँगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

सोमवार, 3 सितम्बर, 1979

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव लिये जायेंगे:—

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979,

(2) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979,

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979।

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1979

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव लिये जायेंगे:—

(1) भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979,

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, विधेयक, 1979,

(3) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक 1979।

इसमें मैं बता दूं कि नियम 52 में दैवी आपदायें नहीं आयी हैं। जो भी दैवी आपदायें होंगी, उन सब पर चर्चा होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जो भी प्रस्ताव आये हैं, उन सब को जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी जोड़ दिये जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

निवेदन यह था कि सूखे के बारे में वैसे तो ढाई घंटे की चर्चा रखी गयी थी, लेकिन कल तय हुआ था कि यह समय काफी नहीं होगा। अगर नियम में कोई निलम्बन भी करना पड़े तो भी.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा शुरू हो जायेगी तो अगर सदस्य चाहेंगे तो समय बढ़ा दिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (चतुर्थ संस्करण) के पृष्ठ 47 पर 203 देखने की कृपा करें।

इसमें लिखा है कि उन्हीं दलों और समुदायों को मान्यता दी जायगी जिसके सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में समानता हो....

(शोर)

मान्यवर, सुन लीजिये। सुनने के बाद आप खारिज कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय मालूम हो चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं रखा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें। इस पर कोई प्रश्न आप न उठायें।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं—

"चूंकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के 7 जून, 1979 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने के अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिवस तक सदन में प्रस्तुत करे, और चूंकि उक्त समिति विधेयक पर विचार करके अभी तक अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के 7 जून, 1979 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिवस तक सदन में प्रस्तुत करें, और चूंकि उक्त समिति विधेयक पर विचार करके अभी तक अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979†

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—

मैं उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979†

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

---

†दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 को पुर स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनाँ 4 सितम्बर, 1979 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि इसको पुरःस्थापित न करके इस पर जनमत संग्रह कराया जाय।

श्री मधुकर दिघे—

यह वह नहीं है, उधर बैठे-बैठे गलतफहमी हो जाती है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979†

गन्ना विकास मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाँडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामाधार पाँडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

---

†दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल आप पहले अनुज्ञा माँग लें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आइटम 14 के बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया। विशेषाधिकार का प्रश्न है मेरा.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह बाद में लिया जायगा.....

श्री रियासत हुसैन—

कब लिया जायगा मालूम तो हो.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैंने उनके ऊपर विचार नहीं किया है। विचार करने के बाद निर्णय लिया जायगा। अभी कई दिन बाकी है।

*श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, "उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री बनारसी दास के नेतृत्व वाली मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करती है" के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(मुख्य मंत्री से) कोई आपत्ति तो नहीं है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुज्ञा दी गई।

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है.....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री राज मंगल पाँडेय—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री बनारसी दास जी के नेतृत्व वाली मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करती है।

(मेजे थपथपाई गई)

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

समय के बारे में बता दूं। तीस मिनट आप बोलेंगे और बाकी माननीय नेतागण 20 मिनट बोलेंगे। तिवारी जी तथा इनके और लोग 20 मिनट और मंत्रिगण एक या दो जो जबाव देंगे उनके लिए तथा बाकी सदस्यों के लिए 10 मिनट।

***श्री राज मंगल पांडेय—**

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ इस प्रस्ताव को लाना पड़ा है और विशेष कर के अभी चन्द दिन पहले जिस व्यक्ति को मैं नेता सदन मानता था और परिस्थितियों के विपरीत हमारे नेता सदन को वहाँ और मुझे यहाँ बैठना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से यह देश और प्रदेश चिन्तित है। यहाँ राजनीतिक वातावरण इतना गन्दा हो चुका है कि मैं नहीं कह सकता कि इस प्रदेश और देश का क्या होगा?

मान्यवर, 1967 में जब इसी प्रदेश में दल-बदल की प्रक्रिया शुरू हुई और दल-बदल करने वालों को जब कामयाबी मिल गयी तो उन्होंनें प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदश की राजनीति में स्थान प्राप्त करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता है कि अब इस देश में और देश की राजनीतिक वातावरण में दल बदल की प्रक्रिया के बिना कुछ संभव नहीं होगा। उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे नेता सदन ने, जिनके प्रति मेरा बड़ा आदर रहा है, मैं कहना चाहूंगा बड़े दुःख के साथ, इस प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया और आज वह बड़े असमन्जस्य में है। अभी हमारे इधर के माननीय मित्रों ने पूछा कि उधर जनता (एस) क लोग बैठे हैं या जनता के। वे नहीं कह सके कि जनता (एस) के हैं। इतना साहस नहीं है कि जनता (एस) के हैं, कह सक। हमारे नेता सदन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके ऊपर क नेता जो दिल्ली में बैठे हैं जनता (एस) के उन्होंने जनता को तोड़ लिया और उन्हीं के नेतृत्व में होते हुए भी हमारे नेता सदन स्पष्ट नहीं कह सकते कि वह जनता (एस) के सदस्य हैं। यदि जनता (एस) के लोग हमारे नेता सदन को जनता (एस) का नहीं मानेंगे तो उस वक्त ऐसी विषम परिस्थिति हमारे नेता सदन को या तो कुर्सी छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ेगा या कहना पड़ेगा कि हम जनता विधान मंडल के सदस्य हैं जनता (एस) के नहीं।

मान्यवर, आप ऐसे व्यक्ति है जिनका इस देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा योग-दान रहा है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और जो कि गाँधीजी के नाम पर बार-बार इसी सदन में साधन और साध्य की पवित्रता के बारे में कहते आये है, उनसे इस किस्म की आशा नहीं थी कि इस किस्म का आचरण नेता सदन करेंगे। आज जो स्थिति देश के सामने है, उसको, मान्यवर, आप देख रहे हैं। सारे देश की जनता खासकर गरीब जनता इतनी चिन्तित है कि अगर यही हाल रहा और इस तरह से दल-बदल के माध्यम से ऊंचे स्थान प्राप्त किये जाते रहे तो देंश का क्या होगा? इस देश की गरीब जनता का क्या होगा? उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकेंगे? मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो गाँधी जी के समाधि पर हमारे नेता सदन ने और उनके भी नेताओं ने और हमारे भी नेताओं ने शपथ ली कि हम इस जनता पार्टी को कायम रखेंगे, इसको नष्ट नहीं होने देंगे। एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मरेंगे लेकिन देश की आजादी को खतरा नहीं आने देंगे और गरीब किसानों और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही देखने को कुछ और ही मिला।

मान्यवर, जब देश में इस तरह के कुछ महात्वाकांक्षी व्यक्ति पैदा हो जाते हैं तो गरीबों का अहित ही होता है। उनका कल्याण नहीं होता। मान्यवर, उनको 1968 में कामयाबी मिल चुकी थी जबकि उन्होंने देखा कि केवल 16/17 सदस्यों के बल पर ही उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री का पद मिल गया। वह प्रक्रिया, मान्यवर, वहीं समाप्त नहीं हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

प्रक्रिया बढ़ती रही और उसका सबसे बड़ा तमाशा उस वक्त देखने को मिला कि जिन इन्दिरा गाँधी की वह सबसे अधिक आलोचना करते थे, वह आपातकालीन स्थिति के दौरान केवल 6/7 महीने जेल में रहने के बाद पता नहीं कौन सी हमदर्दी उनसे हो गयी कि उनको छोड़ दिया। हमें मालूम होता है हमारे माननीय नेता सदन जिनके बारे में आस्था प्रकट करते है, उनके, और इन्दिरा गाँधी के बीच में कुछ समझौता हुआ था जो देश के प्रति घातक था। अगर ऐसा न हुआ होता तो आखिर जो देश के छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता थे, वे 18/18 महीनें के बाद छोड़े गये लेकिन जो देश के बड़े भारी नेता थे, उनको इतनी ही जल्दी क्यों छोड़ दिया गया ? जो देश गरीब किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों जिनके बारे में कहा जाता था कि सवर्णों ने अन्याय किया है का कल्याण करना चाहते थे, जो कहते थे कि गरीबों के स्तर को ऊंचा उठायेंगे, गरीबी और बेरोजगारी मिटायेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, किसानों के द्वारा पैदा की हुयी चीजों के उचित मूल्य दिलायेंगे, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि आज देश यह नहीं समझ पा रहा है कि इस राजनीति में और इस राजनीति में प्रवेश करने वाले बड़े-बड़े नेताओं, जिनके हाथ में सत्ता सौंपी है, आखिर के देश के इन गरीबों के लिये क्या कर सकेंगें ?

मान्यवर, इस प्रक्रिया की शुरूआत जहाँ से हुयी, इस प्रक्रिया का खात्मा भी वहीं से हुआ। जिन लोगों की आलोचना करके, आपातकालीन स्थिति के बारे में जिसकी आलोचना और भर्त्सना करके जिस जनता पार्टी का उदय हुआ, आज उन्हीं लोगों से गठबंधन करके, सरकार बनाने की योजना की। मान्यवर, सरकार बनाने के लिये महामहिम प्रेसीडेंट ने इनवाइट कर लिया। लेकिन विश्वास का मत प्राप्त नहीं हो सका। क्यों ? क्योंकि जिस प्रक्रिया के माध्यम से उस पद की प्राप्ति हुयी, उनके विरुद्ध अनर्गल प्रचार होने लगा। ऐसी बातें कही जानें लगी जिनसे मालूम हुआ कि फिर वही स्थिति आ गयी। जब उनका सहयोग लेना था, तो कहा गया कि स्पेशल कोर्ट खत्म कर देंगे। इन्दिरा गाँधी के बारे में जो चीजें कहीं गयी है, उनको खत्म कर देंगे। लेकिन फिर इन्दिरा गाँधी के खिलाफ अनर्गल प्रचार शुरू किया और तब उन्होंने अपना समर्थन वापस कर लिया। इस तरह से जो उनके साथ गठबंधन था, वह टूट गया।

मान्यवर, हमने इस प्रक्रिया को इसलिये शुरू किया कि आज जनता यह सोचने लगी है कि इनके ऊपर विश्वास किया जाए या न किया जाए। अगर सत्ता का उपयोग गरीबों की गरीबी दूर करने, निरक्षरों की निरक्षरता दूर करने व बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं किया जाता है तो फिर देश और प्रदेश की जनता चिन्तित हो जाती है। छोटे-छोटे देशों में इसी प्रकिया के माध्यम से फौजी तानाशाही भी हुई है। इस देश का सौभाग्य है कि यह देश बहुत बड़ा है और यहाँ कोई खूनी क्रान्ति नहीं हुई है। इस देश के राजनीतिज्ञों ने स्थिति को जिस सीमा तक पहुंचा दिया है, कोई और देश होता तो वहाँ क्रान्ति हो गई होती। आज सत्ता में बने रहने के लिए गन्दे-गन्दे तरीके अपनाये जा रहे हैं। नेता सदन ने हमारे माननीय विधायकों को बुलाकर कहा कि अगर आप चाहते है कि विधान सभा बनी रहे तो आपको हमें वोट देना होगा नहीं तो हम विधान सभा भंग करा देंगे। लोगों को गुमराह करने के लिये कोई कसर नहीं उठा रखी गई। उनको कहा गया कि हम लोग मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि पार्लियामेंट में विश्वास मत प्राप्त न होने के बाद चौधरी साहब ने मुनासिब समझा कि पार्लियामेंट के चुनाव के साथ-साथ में विधान सभाओं के भी चुनाव करा दें। आज इसी तरह के विचार उधर बैठने वालों के मन में है। इन लोगों ने सत्ता हथियाये रहने के लिये केवल झूठ का सहारा लिया है क्योंकि सौ बार बोला गया झूठ भी लोगों को सच मालूम होने लगता है।

आज सभी लोग जानते हैं कि विश्वास मत प्राप्त करने की बात थी, बाद में वह बात छोड़ दी गई, इसलिए कि हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है। मैं कहता हूं कि हम लोग आखिरी व्यक्ति होंगे जो कि मध्यावधि चुनाव की परिस्थिति पैदा करेंगे। हम लोग आखिरी व्यक्ति होंगे जो चाहेंगे कि 1982 तक के लिए जिस काम के लिये जनता ने चुनकर भेजा है, किसानों की गरीबी दूर करने के लिये और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, हम उन चीजों सें अलग होकर एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि इस प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हों। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी भी इस पक्ष में नहीं है। आज जो राजनीतिक स्थिति है, शायद उससे ईश्वर भी नाराज है। आज सूखे की स्थिति देख लीजिये। 26 जिलों में सूखे की स्थिति है। वहाँ पर कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है जो कि वार लेविल पर होना चाहिए। केवल कुछ अनाज बट जाने से या 2–4 मील सड़कें बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैं नेता सदन से कहूंगा कि अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।

मान्यवर, आज जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, इस राजनीतिक अस्थिरता में यह सारी की चीजें जुड़ने वाली हैं। उसमें जरायम बढ़ेंगे और जब जरायम बढ़ने लगेंगे तो जो दलित लोग है, पिछड़े लोग हैं उनके कंधों पर सारा बोझ आने वाला है। जो सबसे गरीब तबका है वही सबसे अधिक प्रभावित होता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शाँति बनाये रखें।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक स्थिति आज काफी बिगड़ गयी है। देश और प्रदेश की जनता विचलित हो रही है और उसके दिमाग में तरह-तरह के भ्रम फैल रहे है। मैं चाहता हूं कि वार लेबुल पर आज जो सूखे की स्थिति है, उसका सामना किया जाय। सारे जिलाधिकारियों को निदेश दिये जायं कि सारी वसूलयाबी बन्द कर दी जायं। तकावी देने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर; यदि ऐसा न हुआ तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में यह सारे तत्व बाधक होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनके आने के बाद से जरायम की स्थिति में सुधार हुआ है। जबकि स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। अपराधों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। छः महीने के अन्दर जो अपराधों की स्थिति रही उसको आप देखें। बदायूं में छः महीने में अपराध दुगने हो गये। इसी तरह से मेरठ में अपराधों की संख्या दुगनी हो गयी। लखनऊ जो कि स्टेट की कैपीटल है यहाँ अपराधों की संख्या सर्वाधिक है। अगर इसी तरह से अपराध बढ़ते रहे और उन पर कठोर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे भी लोगों के मन में शासन के प्रति चिन्ता होना स्वाभाविक है। जब लोगों के मन में एक बार चिन्ता पैदा हो जाती है तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि जो आँकड़े हमारे सामने आए हैं उनस ऐसा लगता है कि हर 15 मिनट में एक नकबजनी,

हर 45 मिनट में में एक दंगा।
हर 60 मिनट में एक राहजनी।
हर 75 मिनट में एक हत्या, और
हर 120 मिनट में एक डकैती।

इतना ही नहीं मान्यवर, जो लापता लाशें है और संदिग्ध हत्याएं हैं वह इनके अतिरिक्त हैं।

मान्यवर, इससे भी दुःखद स्थिति यह है कि 40 हजार अपराधियों के केसेज पकड़े हुए हैं जो चार-चार अपराध कर चुके हैं और उनके केसेंज अनिर्णीत है। जन जीवन इतना

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

अशांतपूर्ण हो गया है कि विधायकों की हत्या दिन-दहाड़े कर दी जाती है। हेमराज लोधी को बस स्टेशन पर असामाजिक तत्वों ने गोली मार दी। रवीन्द्र सिंह जी का किस्सा आपके सामने है। गोरखपुर में क्या हुआ। जब विधायकों के साथ ही इस तरह होगा तो इससे साधारण जनता के मन में किस प्रकार की भावना बनेगी, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। अकेले गोरखपुर में एक हफ्ते में 8 हत्याएं हुई है। मैं मुख्य मंत्री जी स अनुरोध करूंगा कि यह बड़ी चिन्ता की स्थिति है और इसको नियंत्रण में करने के लिए आप कठोर कदम उठाएं। कठोर निर्णय आप तभी ले सकेंगे जबकि आप कुर्सी के मोह को त्याग देंगे और माननीय सदस्यों के कहने पर अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले में दखल नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी अधिकारी जिस काम के लिए वह तैनात है वह अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकेगा। शांति व्यवस्था पर भी कोई नियंत्रण नहीं रह सकेगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भले ही यह कुर्सी रहे या न रहे उनकी जो प्रतिष्ठा इस प्रदेश में रही है कि उसूलों से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, पता नहीं आज क्यों वह उसूलों से समझौता करके इस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं? ऐसे-ऐसे कार्य आज वह कर रहे हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कोई विधायक अगर चाहता है कि उससे संबंधित कोई मामला है तो उसका वोट पाने के लिये वह मामला खत्म कर दिया जाता है।

जिलाधीश, एस0 पी0 तथा डी0 आई0 जी0 के ट्रान्सफर्स विधायक की इच्छानुसार हो रहे हैं ताकि उसका वोट वह खरीद सके। मैं चाहूंगा कि आज भी वह उसूलों से समझौता न करें, भले यह कुर्सी न रहे और जीवन में जो आदेश उन्होंने स्थापित किये हैं, वे बने रहें। एक वक्त था जब मैं माननीय मुख्य मंत्री का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। उनके कार्यों को जो मैंने देखा गांधी जी के नाम को लेकर पवित्रता तथा स्वच्छता की वह बात करते थे तो हम उससे प्रभावित होते थे लेकिन इधर मालूम यह हुआ कि यह केवल बहाना मात्र था। हम लोगों को आकर्षित करने के लिये वह ऐसा कहा करते थे। इस किस्म के हथकंडों से देश का भला कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज सारी मान्यताओं को तिलांजलि देकर वह वहाँ बैठे हुए हैं, इससे उनको भी कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आज डीजल की यह हालत है कि 95 हजार किलो लीटर इस प्रदेश को मिलता था वह घट कर 62 हजार किलो लीटर रह गया है और लखनऊ में आज हालत यह है कि 18, 20 तारीख के बाद डीजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है कागज पर भले ही वह 10, 12 घंटे मिलती हो लेकिन गाँव में काश्तकार को 2 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाती है। एक तरफ बिजली की कमी हो, नहरों में पानी की कमी हो और पम्पिंग सेट्स के लिये काश्तकारों को डीजल न मिल पाता हो और दूसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप हो और सरकार की व्यवस्था से वह पीड़ित हो तो हालत बद से बदतर होती जाती ह।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

नेता विरोधी दल हर बात के लिये मुख्य मंत्री से निवेदन कर रहे हैं तो यह अविश्वास कहाँ है?

श्री उपाध्यक्ष

जब तक वह मुख्य मंत्री हैं तब तक शराफत के नाते वह उनसे निवेदन करेंगे ही।

श्री राघव राम मिश्र (जिल खीरी)—

वह शराफत की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य भाषण गभीरता से सुने। इस तरह से शोर मचाने से कैसे काम चलेगा ? शान्ति के साथ सुनिये ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय नेता विरोधी दल को कहना कुछ नहीं है। यह सदन ऐसे ही बना रहेगा।

श्री राज मंगल पाँडेय--

जब तक शासन तंत्र का संचालन हमारे माननीय नेता सदन कर रहे हैं तब तक मैं उनसे अनुरोध करूंगा। अगर यह मालूम हो जाय कि मेरे अनुरोध का कोई असर माननीय नेता सदन पर नहीं पड़ने वाला है तो अधिकारी जो इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ही समस्याओं का समाधान कर दें ताकि नेता सदन की आवश्यकता ही न पड़े ।

मान्यवर, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जो भी व्यक्ति शासन में है, जिसको शासन की जिम्मेदारी सौपी गई है उनसे प्रदेश की जनता को निवेदन करने का अधिकार है उसको सुनना न सुनना उनका अधिकार है । अगर हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की 11 करोड़ जनता उस कुर्सी को नहीं रहने देगी । अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, अगर दल बदल की प्रक्रिया से सरकार बनी रहेगी तो वह हरगिज नहीं रह सकती है और न ही उस कुर्सी की कोई मर्यादा रह सकती है । अगर आदमी सिद्धान्तविहीन है तो वह प्रदेश और देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है । आज प्रदेश में जो समस्यायें है, उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है, वे बहुत भीषण हो गई है, उनका निराकरण करना होगा वरना प्रदेश में क्रांति की स्थिति हो जायेगी जिसकी चिनगारी दबाना बहुत अच्छी बात न होगी। इसलिये आज प्रदेश में जो स्थिति है, शासन का जो दायित्व है, वह उसे समझे, अपने कर्त्तव्य को समझे। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि मुख्य मंत्री जी अपने 6 माह के कार्यकाल में अपने कर्त्तव्यों से वंचित रहे हैं। प्रदेश आज कराह रहा है, सूखे की स्थिति भयावह हो गयी है और इस शासन का कार्य केवल अधिकारियों के तबादलों तक सीमित रह गया है। गरीबों के लिये अपनी रोजी-रोटी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सेवायोजन कार्यालय से जिनके माध्यम से गरीबों को रोजी रोटी मिलती थी उसके लिये कैबिनेट ने फैसला लेकर उनको बन्द कर दिया है। जिन गरीब लोगों के बारे में कोई सुनता नहीं था, उनके बारे में कैबिनेट ने स्वयं फैसला लिया है और उसको भंग कर दिया है।

मैं एक दुखद घटना आपको सुनाऊं कि जो हमारे पदमाकर लाल जी और रामधन जी एम0पी0 हैं उनको आज अपनी जान का खतरा है। उनका जीवन खतरे में है। इसी तरह से दो विधायक मारे गये हैं उनके बारे में सारा सदन जानता है। हमारे माननीय रामधन जी की चिट्ठी मिली है कि उनकी किस तरह से जिन्दगी खतरे में है। इस तरह से यदि किसी राजनीतिक नेता की जिन्दगी खतरे में हो, यह कितनी दुखद बात है, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। यदि इसी तरह से चलता रहा तो कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी पर टिक नहीं सकता है । हम आज सदन में लोक तंत्र की मर्यादाओं की लम्बी-चौड़ी बात करते है लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति रही तो यहाँ पर कोई सुननेवाला नहीं रह जायेगा। मैं आप सब साथियों से आग्रह करूंगा कि आप मुख्य मंत्री के बहकावे में न आवें कि वे सदन को भंग करके मध्यावधि चुनाव करायेंगे। आप हमारे साथ आ जायं और फैसला करें कि आज इस सरकार को गिराकर प्रदेश में एक स्थिर सरकार कायम करें ताकि प्रदेश की सारी समस्याओं को हम निपटा सकें ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
मेरा प्रस्ताव था.....

श्री उपाध्यक्ष—
प्रस्ताव आ चुका है। जब आपको बोलने का मौका होगा, तो बोलिएगा। आपको मौका दिया जायेगा.....

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—
तिवारी जी को बुलवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—
शतरुद्र प्रकाश जी को मैंने बुलाया है, उसके बाद....

श्री नारायण दत्त तिवारी—
आप यह क्या कर रहे हैं? कल आपने मुझे अनुज्ञा दी है।

श्री उपाध्यक्ष—
आपको मौका दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—
दो प्रस्ताव कैसे आ सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—
वह मैंने खुद ही कह दिया है। तिवारी जी, आप इसके बाद बोलियेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मैं प्रस्ताव रख देता हूं। जबाव फिर दे दूंगा, खाली प्रस्ताव रख देता हूं?

श्री विजयराज सिंह—
दो प्रस्ताव कैसे रखे जायंगे?

श्री उपाध्यक्ष—
माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रख दिया है (व्यवधान) कृपया आप बैठें। उस पर अब श्री शतरुद्र प्रकाश जी को बोलना है। तिवारी जी, इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मेरा प्रस्ताव करने का अधिकार है। कल एजेंडा में पहला स्थान था।

श्री उपाध्यक्ष—
दो प्रस्ताव नहीं आ सकते हैं। एक ही प्रस्ताव नियमानुसार आ सकता है। कल आया होता तो आप रखे होते, आज आया है इसलिये वह रखेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
आप नियम देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—
मैंने नियम देख लिया है और विचार कर लिया है। एक ही प्रस्ताव होता है जो माननीय नेता विरोधी दल ने रख दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
बिना किसी सूचना के आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, मुझे आज तक कोई सूचना नहीं दी कि मेरा प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा। एजेंडा में छपा हुआ है, उसमें स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

एजेंडा में इसलिये है कि अगर श्री राज मंगल पांडेय नहीं रखते तो आप प्रस्ताव रखते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप पुरानी नजीरें तो देखें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, मैंने देख लिया है।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

यह बात तो उन्हें उस समय कहनी चाहिये थी जब प्रस्ताव रखा था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मैं तिवारी जी से कहूंगा कि वह वाक आउट कर जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आप बीच में न बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

उसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये मोतीराम जी (व्यवधान) मैं यही कह रहा हूं कि माननीय तिवारी जी बहुत पुराने व अच्छे संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता है।

श्री बाबू बदरे—

तिवारी जी पहली बार आपकी बात नहीं मानी जा रही है इसलिए आप वाकआउट कर जायं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

4 प्रस्ताव आये हैं उसमें मैंने नेता विरोधी दल के प्रस्ताव को लिया है। आपको उतना ही समय मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह आप क्या कर रहे हैं? कोई दलील है, कोई पुरानी रूलिंग आप दिखायें। कोई तर्क से बात कीजिये। खाली कह देने से कि मैंने देख लिया है, कैसे होगा?

श्री शम्भूनाथ—

आप इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते हैं (व्यवधान) यह असंसदीय भाषा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं सबसे पहले श्री राजमंगल पाँडेय जी को नेता विरोधी दल बनने पर बधाई देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल 10 मिनट बोलें।

ईश्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं तहे दिल से यह कामना करता हूं कि आप लम्बे अर्से तक इस पद पर बने रहें ताकि सदन और देश की सेवा कर सकें। इसके बाद मैं अपनी बात इस सवाल से शुरू करता हूं कि आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव लाये क्यों ? मैं मान्यवर, यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह इसलिए लाया गया चूंकि बनारसी दास जी ने अपने मंत्रिमंडल में आर0 एस0 एस0 से संबंधि त किसी भी सदस्य को नहीं रखा (व्यवधान) मान्यवर, पहली लड़ाई यह है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठिये, इस तरह से सदन का समय न लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी इस तरह छः साढ़े छः घंटे बाकी हैं। आप लोग गम्भीरतापूर्वक सुनिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या इसलिए लाया गया है कि जब से बनारसीदास की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है ? इसे लाया गया है कि अलीगढ़ क साम्प्रदायिक दंगे कभी शान्त न हों ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें, शोर न करें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि लखनऊ के शिया-सुन्नी के दंगे कभी हल न हों और यह आग बराबर बढ़ती रहे ? क्या इसलिए लाया गया है कि शिया सुन्नी के दंगे लखनऊ में ही नहीं सारे प्रदेश भर में हों ? क्या इसलिए लाया गया है कि जो विश्वविद्यालय का सत्र एक साल पीछे रहा है, लेकिन इस साल बनारसी दास सरकार ने उसे नियंमित कर दिया है, वह नियमित न होने पावे और एक साल दो साल पीछे ही होता चला जाए ? क्या इसीलिए लाया गया है कि बेरोजगारों को जो नौकरी चाहिए उनकी अधिकतम आयु को 27 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दिया गया है ?

(घोर व्यवधान

क्या यह अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया है कि जो गल्ला व्यापारी हैं और इस सरकार को गिराने के वास्ते कोशिश में है, उनके काले कारनामों को रोकने की इस सरकार ने कोशिश की है ? जब जनसंघ के लोग मंत्री थे, बासमती चावल का दाम 175 रुपया प्रति क्वींटल तय किया गया था, उसकी लेवी नहीं ली गई है और उसे 500 रुपया प्रति क्वींटल में बेचा गया है। इससे 6 करोड़ रुपया मुनाफा पिछली सरकार ने व्यापारियों को कमा कर दिया है। जिस चावल का 8 लाख टन उत्पादन हुआ, 144 रुपया दाम तय किया गया, उसका दाम बाजार में गिराकर 135 रुपया हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कर दिया, जिसस व्यापारियों को लाभ हो जाए। 8 लाख टन पर करीब 9 करोड़ रुपया मुनाफा उनके मंत्री न व्यापारियों को कमवाया था। उस 9 करोड़ और 6 करोड़ यानी 15 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों का शोषण करके जमा किया ह लोक सभा के चुनाव में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खर्च करने के लिए। क्या यह अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया है कि यह सरकार किसानों को नहीं लूट रही है ?

मैं नारायण दत्त तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, इसपूरे केपूरे अविश्वास प्रस्ताव में से साम्प्रदायिकता की बदबू आ रही है, तो जब बनारसी दास की सरकार साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ रही है, तो क्यों वह और उनकी पार्टी साम्प्रदायिकता का इस तरह समर्थन कर रही है ? (शोर) मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता का और तानाशाही का जो साथ हुआ करता है, एक तरफ साम्प्रदायिकता की ताकतें और दूसरी तरफ तानाशाही की ताकतें हैं। तानाशाही ताकतों और साम्प्रदायिकता का गठबन्धन हो गया है। मैं समझता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्य जो तानाशाही और साम्प्रदायिकता का दमन करने की बात सोचा करते हैं वे डट कर उनकी चुनौती का मुकाबला करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजमंगल पाँडेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह आर0 एस0 एस0 और जनसंघ के कहने से रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री राज मंगल पाँडेय क्या इस सूबे में भ्रष्टाचार को मिटा पायेंगे जबकि लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण ने उन्हीं के बारे में कहा ह (घोर व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री राजमंगल पाँडेय राजनीतिक सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ? जब वह जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी पत्नी को उस समय, जो उनके दल के सदस्य थे, सच्चिदानन्द त्रिपाठी, उनके विरुद्ध एम0 एल0 सी0 का चुनाव लड़ाया। अब उन्हीं के दल ने उनको दल से निष्कासित कर दिया। क्या यही राजनीतिक निष्ठा है ? क्या वह जबाव देंगे, जिस दल के वह सदस्य रहे है, उसी दल के खिलाफ, दल की पीठ में छुरा भोंक कर इस सदन में उस दल की सरकार के खिलाफ बोट दिया, इससे बड़ा विश्वासघात और गद्दारी की मिसाल और क्या हो सकती है? क्या श्री राज मंगल पाँडेय राजनीतिक सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ? जबकि आजादी की लड़ाई में दस दिन जेल रहने के कारण उनको 100 एकड़ का खेती का फार्म मिल गया है ? इसका जबाव दे देंगे। (शोर) वह जब देवरिया के जिला परिषद् के अध्यक्ष थे तब उस समय प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से, उन्होंने एक जवाहरलाल स्मारक ट्रस्ट स्थापित किया था, उसमें प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से जो चन्दा लिया था उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाये ह। क्या वह इस बात का जबाव दे पायेंगे ?

मैं कहूंगा कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की तुलना कर ली जाय। पिछली सरकार में बिजली का उत्पादन कम हुआ। इस सरकार में बिजली का उत्पादन ज्यादा हुआ। इस सरकार ने बिजली की बढ़ोतरी की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो लोग धर्म निरपेक्षता क लिए लड़ रहे हैं और जो साम्प्रदायिकता और तानाशाही को चकनाचूर करना चाहते हैं, जो लोग ऐसी ताकतों का मुकाबला करना चाहते हैं, जो लोग गरीबी को दूर करना चाहते हैं, जो तानाशाही को दूर करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह इस अविश्वास के प्रस्ताव का डट कर मुकाबला करें और उसको खारिज करें। मै इस अविश्वास के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि भारी बहुमत से इस प्रस्ताव को गिराएं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राज मंगल पाँडेय—

मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जितनी बातें उन्होंने कही है उसके पारितोषक क रूप में उनको मंत्री अवश्य बना दें।

(शोर)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, यह सदन प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंत्रि-परिषद पर अविश्वास के प्रस्ताव को सदन की बैठक होने के केवल एक दिन.....

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो माननीय तिवारी जी दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव कैसे पढ़ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं नहीं, पढ़ सकते हैं।

श्री बाबूराम वर्मा—

वह दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठें। (श्री तिवारी से) आप अपना प्रस्ताव पढ़ें।

श्री बाबूराम वर्मा—

मैं आपको रूलिंग दिखा रहा हूं। माननीय नारायण दत्त तिवारी दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह केवल पढ़ेंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मेरी बात सुन लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सदन प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित.....

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरी बात तो सुन लें। जो रूलिंग हुई है उसको सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पढ़ा जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

एवं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंत्रिपरिषद् पर विश्वास के प्रस्ताव को सदन की बैठक होने के केवल एक दिन पूर्व अर्थात् ठीक 27 अगस्त को वापस लेने के निर्णय की निन्दा करता है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सरकार को पिछले 26 महीने के कड़वे अनुभव से स्वयं अपनी शासन करने की क्षमता पर विश्वास नहीं रह गया है। यह सदन प्रदेश के करोड़ों लोगों की इस मजबूत राय से पूरी तौर पर सहमत है कि पिछल 26 महीनों में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में बुरी तरह पिछड़ गया है, अशाँति एवं अव्यवस्था का बोलबाला है, हर किस्म के अपराध लगभग चौगुने बढ़ गये हैं, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं, हरिजनों, अकिलयतों, व्यापारियों, कर्मचारियों आदि पर लगभग पचपन बार गोलियाँ चली हैं और सैकड़ों लाठी चार्ज हुए हैं जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गये व घायल हुये हैं, अकिलयती व हरिजनों पर फासिस्ट व शोषणकारी तत्वों के हमले पंचगुना बढ़े है, बिजली व सीमेंट का उत्पादन आधे से कम रह गया है, प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में भयंकर सूखे की हालत होते हुए भी शासन निकम्मे ढंग से अपने अन्दरूनी झगड़ों में फंसा पड़ा है, व किसान बिजली व डीजल की कमी से कराह रहा है। ऊपर से बकाया वसूलियाँ, व कुर्कियाँ भारी पैमाने में अभिशाप बन रही है, सीमेंट, कोयला, लोहे व फौलाद की पदावार में भारी कमी से व ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में अस्तव्यस्तता के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है।

पहले तो जानबूझ कर फरवरी/मार्च, 1977 में लोक सभा के चुनावों के अवसर पर व बाद को जून, 1977 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों के अवसर पर आर0 एस0 एस0 व जनसंघ को शामिल कर चुनाव लड़े गये व मंत्रि मंडल में शामिल किया गया और जनवरी, 1979 तक सरकारी माध्यम से उन्हें ताकत दी गयी, लेकिन फरवरी, 1979 से दिल्ली के स्तर पर जोड़-तोड़ न बैठने के कारण आर0 एस0 एस0 व अन्य साम्प्रदायिक संस्थाओं की शाखाओं को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबन्ध करने का कागजी आदेश देकर जनता की आँखों में धूल झोंकी गयी, प्रदेश की विकास योजनायें ठप्प पड़ी हैं। छठी योजना नहीं बनायी जा सकी है। शिक्षा सम्बन्धी बदइन्तजामी के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, प्रदेश के लाखों बुनकरों को मंहगे सूत व मार्केटिंग की व्यवस्था न होने से बेरोजगारी का शिकार होना पड़ा है, प्रदेश में बेकारी व बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी बढ़ी है। किसानों को गेहूं, धान, आलू, गन्ना व तिलहन की सही कीमत नहीं मिल सकी। आज भी गन्ना किसानों की सरकारी सबसिडी का लगभग 60 करोड़ रुपया मूल्य मिलना बकाया है। जनता पार्टी द्वारा सन् 1977 में वर्तमान विधान सभा के चुनावों में किये गये वायदों को पूरा नहीं किया गया है, अब वर्तमान मंत्रि मंडल केवल तीन महीनें बाद आने वाले लोक सभा के चुनावों के लिए सरकारी दबाव डालने, मनमाने ट्रांसफर कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने व स्थानीय स्तर पर अनाप शनाप वायदे कर येन-केन-प्रकारेण वोट प्राप्त करने का माध्यम मात्र बनने का जनता विरोधी प्रयास करने जा रही है। इसलिए यह सदन वर्तमान मंत्रिपरिषद् पर अपना अविश्वास व्यक्त करता है।

श्रीमन्, यहाँ पर पुराने चेहरे हैं और नये मासूम चेहरे भी हैं और कुछ अनुभवी लोग हैं और कुछ लोग अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सदन में बैठे कैसे हैं। इनके 195 मेम्बर हैं। 426 की विधान सभा में केवल 195 मेम्बर रह गये हैं। मान्यवर, इनको एक मिनट भी सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। आज जो यह कागज सदन में वितरित किया गया है इसमें 195 नम्बर की सूची छपी हुई है जबकि विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 426 है। यह माइनारिटी की सरकार है, किसी कोएलिशन का ऐलान नहीं हुआ है, कोई प्रोग्राम नहीं है। आज ये दूसरी पार्टी से भी कोई समझौता करते तो कोई प्रोग्राम होना चाहिए था, कोई अवसरवादिता का समझौता हो सकता है। हमने 26 महीने की प्रतीक्षा की, कोई अविश्वास नहीं लाये। मान्यवर, आप देखें कि प्रदेश में 8 उप-चुनाव हुए, लेकिन उनमें से 5 में इस सरकार की अल्पमत की सरकार बैठी हुई है। सदन की ओर से आप कहें कि आज क्या हालत हो रही है। क्या ये शासन चला सकते हैं? मुख्य मंत्री का उनके दल में विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले वे कहते थे कि जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, आज कहाँ गया उनका वह भाषण? ये कोई योजना नहीं बना सकते हैं, बहुमत की कोई नीति नहीं है। आज हजारों फाइलें मंत्रियों के यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है।

मान्यवर, आज का 'पत्रिका' अखबार आप देखें। इसमें कार्टून में हड्डियों का एक ढांचा दिखाया गया ह, मुर्दों का ढांचा दिखाया गया है। श्री नरेन्द्र सिंह किसान सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं। वे कहते हैं कि सैकड़ों, हजारों जानवर मर चुके हैं। नीरो बंशी बजा रहा था और रोम जल रहा था। अगर सदन में किसी मंत्री, राजस्व मंत्री या मुख्य मंत्री की ओर से एक विवरण रख दिया गया होता कि सूखे से मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया तो हमें कुछ संतोष होता, लेकिन कोई सूचना बाढ़ या सूखे से संबंधित नहीं रखी गयी है। यह शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह यह बताती या सदन में एक नोट रखती कि हमने सूखे के मुकाबले के लिए ये आदेश दिये हैं।

आप देखें कि प्रदेश में किस प्रकार से हत्यायें बढ़ रही हैं। आप कोई भी अखबार उठाकर देखें चाहे वह नव भारत टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या हिन्दुस्तान टाइम्स हो, सबमें यही छपा मिलता है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में 2 डकैतियां और 2 हत्यायें हो रही हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रदेश ने हत्याओं का तो रिकार्ड ही तोड़ दिया है। मलिहाबाद में चौराहे पर कत्ल किया जाता है। यही नहीं और जगहों पर भी दिन-दहाड़े सरे आम लोगों की हत्या कर दी जाती है। वास्तव में ये सरकार म बठने लायक नहीं हैं। प्रदेश में अशांति और अराजकता का बोल-बाला है।

बेरोजगारी मिटाने की बात हमारे केयर टेकर प्रधान मंत्री करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से भाषण दिया। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि गत 2 या 2 1/2 वर्ष में हिन्दुस्तान 104 से 111 में पहुंच गया है। पहले दुनिया में भारत का स्थान 104 पर था जो अब 111 पर पहुंच गया है। जहां तक बेकारी का प्रश्न है, इस समय 30 लाख बेरोजगार लोगों की संख्या रजिस्टर में दर्ज है जबकि उन्होंने वायदा किया था कि 10 साल में वे बेकारी दूर करेंगे। अगर वे कहीं यहाँ अपने प्रदेश में झंडा फहराने आते तो यह राज्य भी 11 वाँ या 15 वाँ हो जाता। (व्यवधान) आज उत्पादन गिरा है, प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में गिरी है, न मिट्टी का तेल है, न डीजल है, बिजली भी देहात में नहीं मिल रही है, देहात का किसान आज अन्धकार में कराह रहा है और यह सरकार आज हमसे विश्वास चाहती है? यह सरकार लखनऊ के ही देहात में जाकर किसी दिन किसान से पूछ ले, अगर वे किसान यह कह देंगे कि हमारा विश्वास इस सरकार में है तो मैं इस प्रस्ताव को वापस लेलूंगा। आज किसानों में भी इस सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह गया है।

(व्यवधान)

हमारी पार्टी किसी भी फिरकापरस्त पार्टी की हिमायती नहीं रही है और वह हमेशा उसके खिलाफ लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। (व्यवधान) आज हमारे मित्र ने अभी जो आर0 एस0 एस0 का जिक्र किया, राजस्थान में किसकी मदद से सरकार बनायी? मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में किससे समझौता किया? (व्यवधान) हमारे नेता सदन जो आज हैं इन्हें स्पीकर के पद के लिये तो स्वीकार किया मगर मंत्रि परिषद् में इन्हें नहीं रखा गया? यह क्या था? आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कहीं भी आप आर0 एस0 एस0 से नहीं लड़ सके।

आज हमारी शिक्षा की क्या हालत है? लाखों विद्यार्थियों का जीवन अन्धकारमय हो गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि इम्तिहान हों, मगर पढ़ाई हुई नहीं? कैसे इम्तिहान हो? आपने एक आदेश निकाला कि साल भर की पढ़ाई 4 माह में हो जाय, क्या यह सम्भव है?

आज गन्ना किसान की क्या हालत है? 7 करोड़ रुपये की सब्सिडी गन्ना किसानों की आज भी बकाया है। आपने गेहूं खरीदने की योजना बनायी। मगर बोरे खरीदने का इन्तजाम आपने किया नहीं। आपको यह भी पता नहीं था कि गेहूं के लिये बोरों की भी जरूरत पड़ेगी। यह सरकार बोरों तक का इन्तजाम नहीं कर पायी। (शेम-शेम की आवाजें) (व्यवधान) किसी ने भी मुख्य मंत्री जी को नहीं बताया कि बोरों की कमी है। जब गुन्नौर का इलेक्शन हुआ तब उनको मालूम हुआ कि बोरों की कमी है। तब 3 करोड़ रुपये के बोरे खरीदे गये। यह सरकार यहां अब बैठने के काबिल नहीं रह गयी है।

उत्पादन हर चीज का घटा है। सीमेंट का उत्पादन भी घटा है। डाला सीमेंट फैक्टरी की आज यह क्या हालत ह? अलीगढ़ के ताला उद्योग की हालत क्या है? आज हरिजन भाइयों की क्या हालत है? चमंकार हरिजन जो इक्सपोर्ट करते थे, सारा निर्यात ठप है कारपेट इन्डस्ट्रीज सिसकियां ले रही ह। बुनकर हमारे भाई बेकार हो रहे है। क्या लाखों बुनकरों का सवाल इसमें नहीं है?

बुनकर भाइयों को सूत कहाँ मिल रहा है ? एक भी सदस्य उठकर कहे कि आज एक बुनकर भाई इस सरकार से संतुष्ट है ? कोई संतुष्ट नहीं है। आज श्रीमन्, यह हमारे बुनकरों की हालत है। श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं। मैं व्यक्तिगत आरोप लगाना और चरित्र हत्या करना नहीं पसन्द करता हूं। यह तानाशाही का नारा नहीं चलने वाला है। आज आप सबसे बड़े तानाशाह हैं। कोई हमारे सदस्यों के प्रश्न का जबाब नहीं आता है।

(शोरगुल)

ये कहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। आज अखबारों में साम्प्रदायिक दंगा छपा हुआ है। लखनऊ में तनाव है। अलीगढ़ में दुबारा, तिबारा कर्फ्यू लगा। मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी मत दीजिये बयान कि कितने हिन्दू मरे, कितने मुसलमान मरे। पुरानी सारी मान्यताओं को उठा कर आपने हिन्दू और मुसलमानों के आँकड़े दिये। यह शासन की जिम्मेदारी है। कभी भी पुराने इतिहास में नहीं बताया गया। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम सच्चाई बता रहे हैं। फिर आपने बदली क्यों नीति ? आपकी साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाली नीति थी। आप कहते हैं कि हम तानाशाही का मुकाबिला कर रहे हैं। पत्रकारों से पूछिये कि क्या कभी किसी मुख्य मंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि तुम्हें कुचल दिया जायगा ? क्या कभी किसी मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि तुम्हारे पास कलम ही तो है, तोप थोड़ी है ?

(शेम–शेम की आवाजें)

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, लाल बत्ती आपने ठीक दिखाया। यह शासन को चेतावनी है, आप कहना चाहते हैं कि इस्तीफा दीजिए और नहीं तो सदन आप से इस्तीफा लेगा और यदि सदन नहीं लेगा और आप कभी किसी तिकड़म से बच भी गये, तो आने वाले चुनाव में जनता माफ करने वाली नहीं है। मोरार जी देसाई को बधाई देता हूं कि उन्होंने अल्पमत मान लिया और इस्तीफा दे दिया।

(शोर)

चरणसिंह ने अल्पमत मान लिया और इस्तीफा दे दिया। क्या बनारसी दास, बड़े भाई, अल्पमत में आने पर मोरार जी देसाई तथा चरण सिंह की तरह इस्तीफा देंगे ?

(शोर)

एक शेर सुन लीजिये—

किसी में जर्फ से बढ़ कर न कर महरी वफा हरगिज,
किसी बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है।

श्री मोती लाल देहलवी—

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह प्रदेश तथा देश ऐसे परीक्षण के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहा है, कि मान्यवर, यह प्रदेश फासिस्ट और साम्प्रदायिक लोगों के हाथ में रहेगा या गैर साम्प्रदायिक या जनतंत्र में आस्था रखने वालों के हाथ में। आज यहाँ कुछ अपने को समाजवादी कहने वाले लोग बैठे हैं मान्यवर, जो साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के हैं, फासिस्ट मनोवृत्ति के है, उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे कहना हैं उन लोगों के बारे में जो अपने को समाजवादी, डाक्टर लोहिया व महात्मा गाँधी के अनुभवी कहते हैं। कुछ लोग जो आज साम्प्रदायिक, फासिस्टी लोगों के साथ बैठे हैं। जिन लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है वे अपनी नैतिकता के स्तर को छोड़ कर, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर, अपने कर्त्तव्य को छोड़कर इन लोगों न सरकार के खिलाफ मतदान किया था, सरकारी पक्ष में रह कर। मैं आज मान्यवर, तिवारी जी दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह ने लाल किले से एक सत्य बात कह कर एक बड़ा काम किया है। आज यह भी साम्प्रदायिक लोगों के साथ एक होकर बैठे हैं।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)
(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

कृपया बैठिये। माननीय सदस्य कृपया शान्ति से सुनें। जब आप बोलने लगेंगे तब वह सुनेंगे। वह बोल रहे हैं तो आप सुने, चाहें कितना ही अप्रिय हो।

श्री मोती लाल देहलवी—

हम लोग पहले इन लोगों के साथ में बैठे हुये थे, इसलिए कि मान्यवर, आपातकाल में हम लोग भी उसी राक्षस के सताये हुये थे जिस राक्षस के सताये हुये यह लोग थे। हमने जेलों में प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग एक साथ इन बड़े राक्षसों का खात्मा करेंगे। जब तक हम पहले बड़े राक्षस को खतम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमने वह किया। हमने हिम्मत की थी इतना मार खाने के बाद, इतना अनुभव करने के बाद। विश्वास किया था कि इन लोगों के रास्ते बदलेंगे, सोचने समझने के तरीके भी बदलेंगे यह आशा थी कि ये लोग ईमानदारी और सच्चाई से कार्य करेंगे। लेकिन मान्यवर इन्होंने हमेशा कपट भाव से कार्य किया, निष्कपट भाव से नहीं। एक दफ्तर जनता पार्टी का चल रहा था सचिवालय में दूसरा दफ्तर यह लोग अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये, साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ाने के लिये, फासिस्ट ताकतों को बढ़ाने के लिये चोरी से 7 नम्बर में चला रहे थे। मान्यवर, ऐसी हालत में यह देखा गया, समझा गया कि इनका व्यवहार समझा गया कि इनका व्यवहार कपट पूर्ण है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजमंगल जी पाण्डेय आज नहीं किसी दिन अनुभव करेंगे कि वह उस जहरीले साँप को दूध पिला रहे हैं जो साँप एक दिन इनको डसेगा और सारे हिन्दुस्तान को डसेगा। मान्यवर, इनके बारे में कौन नहीं जानता। महात्मा गाँधी की हत्या किसने की? कौन नही जानता। मान्यवर, हमने कल्पना की थी कि इनके मन साफ होंगे लेकिन इनके मन साफ नहीं हुये कपटपूण रहे। आज जो हमारे कुछ साथी गुमराह है मैं उनकी बेअकली की तारीफ करता हूं और तारीफ इसलिये करता हूं कि वह डाक्टर लोहिया के अनुयायी रहे हैं, महात्मा गाँधी के अनुयायी रहे हैं, गुमराह हुए। मुझे आश्चर्य है, ताज्जुब है कि यह लोग ऐसी ताकतों के हाथ में चले गये है जो इस देश और प्रदेश को रसातल में ले जाने वाली है। कहा यह जाता है कि इस सरकार ने काम नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि 30 सालों के शासन में काँग्रेस सरकार ने, कहीं और का नहीं, मैं अपने क्षेत्र का बता सकता हूं, एक भी सड़क नहीं बनवाई, एक भी पुल नहीं बनवाया। खेतों को पानी नहीं मिला। मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में खेतों को पानी मिला है, नलकूपों को बिजली मिली है। सड़क व पुल बने। खेती में पर्याप्त बिजली मिली है। दैवी आपदाओं को छोड़ कर गाँव का किसान खुश रहा है और आज भी खुश है। मान्यवर, 30 सालों में जो सड़कें नहीं बनी, वह आज दो सालों के दौरान काफी सड़कों का निर्माण हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

सड़कों का निर्माण हुआ है, लोग देख रहे हैं कि तरक्की हुयी है। मैं कहना चाहूंगा कि अब भी समय है अकल आनी चाहिये। अगर इनमें जरा भी सद्बुद्धि है, जरा भी विवेक रह गया हो तो इनको अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेना चाहिये और मैं समाजवादी लोगों से अपील करूंगा कि इनके अविश्वास के प्रस्ताव को उन्हें खुद गिराना चाहिये।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता—

एक विशेष निवेदन है कि आपके पास समय कम है। इस पर बोलना भी है और मत भी लेना है। एक बात निश्चित है कि जैसा विवादग्रस्त विषय यह है उसमें दोनों तरफ कुछ बातें हो सकती हैं जो अप्रिय लगें। तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप चुपचाप सुनें तो कम से कम घंटों का समय बचा लेंगे और अपना समय बढ़ा लेंगे।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, अपने नेता विरोधी दल द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसको आपके सामने समर्थित करते हुये मुझको न कोई रोष है न किसी से घृणा है पर दुख जरूर है। क्यों दुख है? हमने अपने जो साथी दूसरी तरफ बैठे हैं उनके साथ एक झंडे के नीचे, एक प्रोग्राम के नीचे एक नेतृत्व के नीचे चुनाव लड़ा। देश ने यह सोचा कि काँग्रेस पार्टी जो 28 वर्ष तक राज्य कर चुकी है उसके विकल्प में सारे देश के पढ़े और गैर पढ़े लोगों ने सोचा कि हम एक पार्टी बना रहे हैं। बड़े-बड़े मंसूबों को, सारे भारतवर्ष के, दो सालों के अन्दर हमने चूर कर दिया। उसमें कितनी गलती हमारी है और कितनी गलती हमारे समक्ष बैठे हुये लोगों की है इस बात पर प्रत्येक सदस्य बड़ी गंभीरता से सोचे और इस वक्त क्षणिक आवेश को दूर करके विचार करे। मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे मुख्य मंत्री महोदय हैं उनसे बारम्बार हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भैया लखनऊ के मुख्य हो, बड़े मसखरे हो। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जनता (एस) में रहते हो और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को जनता में रहते हो (हंसी) और इतवार को तुम्हारी वल्दियत का पता नहीं रहता।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

इसका नतीजा यह हुआ कि परेशान हो गये कि आखिरकार आप हैं कौन ? समझ में नहीं आया कि यह कौन हैं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो 50 आदमी हटा दिये गये 352 में से, जो जनता पार्टी की सदस्यता थी उसमें 50 आदमी निकलने के बाद 302 रह गये। अध्यक्ष महोदय के पास 160 हमारी लिस्ट मौजूद है जिसको उन्होंने स्वीकार किया। आप अल्पमत में हैं कि नहीं ऐसा समानान्तर प्रश्न उस वक्त आया था (हंसी) आप मेरे तर्क में किसी तरीके का नुक्स नहीं निकाल पायेंगे। हंसें और दूसरी बातें करें वह आप को शोभा नहीं देता। आप सदन के माननीय सदस्य हैं।

प्रश्न यह है कि अगर आप इस वक्त 300 के दल में बहुमत में जब नहीं हैं तो आप को वहां बैठने का क्या अधिकार है ? 1971 में हमारे माननीय चौधरी साहब ने, जब कोइलेशन गवर्नमेंट थी काँग्रेस की और बी0 के0 डी0 की बहुमत काँग्रेस पार्टी का था, गोपाल रेड्डी महोदय से कहा कि काँग्रेस के मंत्रियों को आप निकलवा दें और दूसरी पार्टियों की मदद से मैं अपना बहुमत आप के आगे सिद्ध कर दूंगा तो गोपाल रेड्डी साहब ने कहा वह नहीं बरखास्त होंगे, आप बरखास्त होंगे, आप कोइलीशन की तरफ से हैं, नाऊ यू गो। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि हम काँग्रेस (आरगनाइजेशन) की मदद से और हमारे कम्युनिस्ट साथियों की मदद से अपना बहुमत सदन में सिद्ध कर देंगे। जनता पार्टी के लीडर की हैसियत से जिस की ताकत 353 थी आप सदन के नेता बने थे और आज आप की वह स्थिति है जो कि दर्जा एक का लड़का भी 302 यानी 352–50-302 में से 160 घटा कर जान सकता है कि आप बहुमत में हैं कि नहीं।

कौन हैं हम लोग ? हम लोग वे हैं जिन्होंने गाँधी जी के आगे कसम खाई, समाधि के आगे। उस वक्त बड़ी भक्ति भावना थी, बड़े ईमानदार थे। मगर हमारे साथियों में कुछ लोग इकबाली मुजरिम हैं। उन्होंने यह नहीं कहा, जब वह किसी तरह गद्दी पा गये,

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

कि हम लोगों ने गाँधी जी के आगे शपथ खायी थी चार चीजों को दूर करने के लिये—भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और शिक्षा की नई पद्धति। उन्होंने कहा कि हर एक राजनीतिज्ञ की जो मंशा होती है वह यह होती है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वह हम बन गये, बस हमारी सारी मनोभावना, आकांक्षा, पूरी हो गई। इसी को कहते हैं इकबाली मुजरिम। मुझे समाजवाद का पाठ भी पढ़ाया गया। हमारे जो समाजवादी साथी हैं उन्हें बताना चाहता हूं। दिल्ली में प्रत्येक शेड के समाजवादी है जो जनता पार्टी में थे और जनता पार्टी के बाहर थे.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया सुनें। आप सुन कर ही उतर दे सकेंगे।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैं मान्यवर, बड़ा बदनाम होता हूं जब लोग कहते है कि आप के सदन में लोग बीच में बोलते हैं।

दिल्ली में सभी समाजवादियों ने बैठकर यह तय किया कि हम जनता पार्टी हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उसके अन्दर जो कुछ भी हमें कहना है हम कहेंगे और साहब ऐसा लालच हुआ। समाजवादी नेताओं ने इस्तीफा दिया। उनमें से 5 तो नेता है और चार फालोवर। मधु लिमये तीन समर्थक, जार्ज फर्नींडिस चार समर्थक, मृणाल गोरे शायद कोई समर्थक नहीं, पुरुषोत्तम कौशिक शायद एक समर्थक। 23 समाजवादी कुल मिलाकर हमारे साथी हैं। तो क्यों नहीं हम बहुमत में? जितने सोशलिस्ट नेता आपके साथ हैं उनसे दुगुने हमारे साथ हैं और आप चले गये हैं गलत रास्ते पर। जिस वक्त राजनीतिक पार्टियां भारत वर्ष और सारे संसार में समाजवादी सेवा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये बनाई जाती थीं उस वक्त (व्यवधान) रेगीग्रेड —अपनी पार्टी छोड़ना, दल बदलू संसार में सबसे बड़ी गाली थी।

श्री अधिष्ठाता—

समय सीमित है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

समय सीमित है मगर मुझे जो कहना है वह असीमित है दोनों में सामन्जस्य आप निकालें।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त करता हूं।

अब मैं साम्यवादियों के बारे में कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि भारतवर्ष की जो साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया को मैं चुनौती देता हूं.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि....

श्री अधिष्ठाता—

जब वह बोल रहे हैं तो आप व्यवधान न पैदा करें। इस तरह से आप जो कह रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं और ज्यादा कुछ न कहकर एक जुमला कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया के बारे में कहकर डिस्पोज आफ करना चाहता हूं इस डिबेट में। मान्यवर, सारे संसार

में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया के बराबर असफल कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी देश की नहीं है। यह सन् 30 से हमारे यहाँ बनीं। शायद 65 में बनी सी0 पी0 आई0 (एम) का एक सदस्य तथा सदन में सी0पी0 आई0 के दो चार और हैं। आप इसी से समझ लें कि सन् 30 से 80 तक कुल 8/9 सदस्य कर पाये। अब उनका अधिकार है, चाहे जो कहें।

अब केवल एक बात और कहना चाहता हूं। कृपा कर सुन लें तो आपके कान में पड़ जायेगी। वह आपके आर0 एस0 एस0 और जनसंघ के सदस्यों के मुतल्लिक है। देखिये, यह बड़ी बेजा बात हैं कि किसी स्त्री से संबंध हो, उसके 9 लड़के आप से हो जायं और फिर आप कह दें कि सातवीं भौंरी तो तुम्हारे साथ हुयी ही नहीं थी। दो साल तक उनकी मदद से चार सूबों में राज बनाये रहे। चार सूबों में उन्होंने आपको राज दिया और इसके बाद अब इन्हें कहते हैं कि यह तो साम्प्रदायिक संस्था है। तो यह ठीक नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ हैं, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं माननीय राजमंगल पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोधी दल में होता हुआ भी, विरोध करता हूं।

(शेम-शेम की आवाजें)

यह ठीक कर रहे हैं। मान्यवर, ये अपने अनुकूल ही कर रहे हैं। ये लोकशाही को लौटाकर ले आये हैं। उसी के अनुरूप इनका आचरण भी हो रहा इसलिये कोई बात नहीं है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं जमकर विरोध करना चाहता हूं चाहे कोई कितना 'हुकरे' या 'हुकार' करे। मान्यवर, सन् 36 से हमारी राजनैतिक लड़ाई चली। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट के विचारधारा के लोगों की साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ाई हुयी और हो रही है। मुझे खुशी है हमारे इन भाइयों पर कि ये उस बात को समझ गये। दो साल का अनुभव हुआ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शोर न करें। माननीय ऊदल जी की बात आपके हित में है या अहित में है— यह कोई नहीं मानता कि आप सभी उनकी बात को पसंद करेंगे। लेकिन उनको सुनना है। कृपया जो भी वह प्रिय या अप्रिय कहें, उसको सुनें और फिर उसका उत्तर दें। लेकिन यह अप्रजातांत्रिक तरीका होगा कि उनको बोलने न दें। अगर बोलने नहीं देंगे तो इस तरह से सदन कैसे चल सकेगा ?

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि इन भाइयों की समझ में आ गया। असली मुद्दा यह है इस देश के सामने, कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी कि नहीं रहेगी ? इस देश की एकता रहेगी कि नहीं रहेगी ? इस देश की प्रगति के रास्ते पर ले जाया जाएगा कि नहीं ले जाया जाएगा ? एक तरफ यह प्रश्न है और एक तरफ यह प्रश्न है कि क्या इस देश में फासिस्ट, तानाशाही और साम्प्रदायिक शक्तियों को सिर उठाने दिया जाएगा ? यह मुख्य प्रश्न है। इसके ऊपर मैं राजमंगल पाँडेय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो साल तक इनके जाल में फंसे हुए थे और अब वे उससे अलग हो गय है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि वे बच गये। यह व्यक्तियों का सवाल नहीं हैं, यह देश का सवाल है और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इन्होंने आर0 एस0 एस0 की रैली को एड्रेस किया था। इनकी नेता इंदिरा गांधी सन् 1969 में पार्लियामेंट में अल्पमत में थी और आज नारायणदत्त जी शारदा भक्त जी की बड़ी हिमायत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनकी बातें तर्कसंगत नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। राम नरेश यादव जी ने थोड़ा सा अमल किया था। एक मामूली सा कदम उठाया कि आर0 एस0 एस0 की जो परेड होती है, वह सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों में क्या था ? जितने प्रदेश के खेल-कूद के मैदान थे।

आज अभी मैंने शाही जी का बयान पढ़ा। जब आर0 एस0 एस0 की रैली हो सकती है तो कम्युनिस्ट पार्टी की रैली क्यों न हो ? आपने राम नरेश जी को हटा दिया, बहुत अच्छा किया, उसका बदला भी आपको मिल गया। मैं इस सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा प्रमुख है कि नहीं है ? आज लाखों शिशु मन्दिर, शिशु संस्थान खोल कर अबोध बालकों के विचारों को और उनके दिमागों को विकृत किया जा रहा है, देश को बरबाद किया जा रहा है और साम्प्रदायिकता की भावना पैदा की जा रही है। इसको रोकना होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर ले कि शिक्षा सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति, कौम या संस्था को अपने मनमाने तरीके से शिक्षा को संचालित करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए नहीं तो देश में न तो निरपेक्षता रहेगी, न प्रगति होगी, न एकता रहेगी और देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा।

साम्प्रदायिक ताकतों को कुचलने के लिये फासिस्ट ताकतों को दफनाने के लिये हमको अगर डेमोक्रेटिक ताकतों का साथ देना होगा तो यह कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा देती रहेगी। क्योंकि आज देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, जो खतरा है वह फासिस्ट ताकतों का, साम्प्रदायिक ताकतों का और उनको पीछे ढकेलने में कम्युनिस्ट पार्टी पीछे नहीं रहेगी। मैं आपसे चुनौती देकर कहता हूं कि जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी ताकत में आ आयगी उस दिन शारदा भक्त सिंह जी आपको पता चलेगा। मैं आपको बताये देता हूं कि आप सरमायेदारों की हिफाजत करते हैं, मुनाफाखोरों की वकालत करते हैं, काला बाजार करने वालों की तरफदारी करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जिस दिन आयेगी उस दिन सरमायेदारों, ब्लैक मारकेटियरिंग करने वालों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को नेस्तनाबूद कर देगी और उसी के साथ ही आपको भी नेस्तनाबूद कर देगी। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं आर0 एस0 एस0 और जनसंघ की चुनौती को कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिपाही की हैसियत से स्वीकार कर रहा हूं और आपको चुनौती देता हूं निपटने की।

हमारे गणेशदत्त जी हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि हिटलर जो कि फासिस्ट था उसका खात्मा किया। मुसोलिनी का सत्यानाश किया। जार का सत्यानाश किया। जो भी इस तरह की फासिस्ट ताकतें पैदा होंगी आर0 एस0 एस0 या जनसंघ उनका भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्यानाश करेगी। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। श्रीमान् गणेशदत्त जी को बड़ा ख्याल है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती दे दी कि इनकी नौ सीट्स आयी आप चार वर्ष से काँग्रेस पार्टी से बाहर निकले हैं और दूसरे को दल बदलू की परिभाषा सिखा रहे हैं। वह स्वयं ही बहुत बड़े दल बदलू हैं। वह खुद दल बदल करते हैं और दल बदल को बढ़ावा देते हैं। जब वह उसकी परिभाषा बतलाते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है तुलसीदास जी ने कहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहने का मतलब यह कि दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। मैं इस बात को छोड़े देता हूं। नारायण दत्त तिवारी जी की कोई नीति है ? (व्यवधान) यह कहते हैं कि तुम्हारी नीति है। अक्ल भी बोलने की नहीं हैं। कहते हैं नीति तुम्हारी है। शिष्टाचार सीखिये बोलने का, तरीका सीखिये व्यवहार करने का।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया एक दूसरे पर कटाक्ष न करें। मुझको सम्बोधित करें।

श्री ऊदल—

मैं इन बातों को छोड़ कर अब सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। आज सूखा पड़ा हुआ है। भयानक सूखा है। सूखे से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से माँग करनी चाहिए। अकालग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जो कुछ भी सहायता करना हो, करनी चाहिए। शारदा भक्त सिंह जी बड़ी लम्बी चौड़ी बात करते थे। नारायण दत्त सरकार ने असिंचित का दस गुना और सिंचित का बीसगुना कर दिया। इनसे कहा कि आप अपने को बड़ा प्रोग्रेसिव समझते हैं। इसको खत्म कर दीजिये। आज तक इन्होंने खत्म किया? आज भी प्रदेश के किसान को सिंचित का 10 रुपया और असिंचित का 20 रु0 लगान देना पड़ रहा है। इसको खत्म करने की आवश्यकता है। सीलिंग से बची हुई जमीन, गाँव सभाओं की जमीन जो आबादी के लायक हो, खेती करने के लायक हो उसको हरिजनों में तथा भूमिहीनों में तुरन्त बाटनें की जरूरत है। आज किसान को अपने उत्पादन का मूल्य उस अनुपात में नहीं मिल पाता है जिस अनुपात में औधोगिक उत्पादनों के दाम बढ़ाये जा रहे हैं।

महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है इसको रोकने के लिये सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये तभी जनमानस को राहत मिलेगी। अगर जन मानस को धर्म निर्पेक्षता के रास्ते पर ले जाना है, समाजवाद के मन्दिर पर पहुंचना है, देश की एकता को खत्म होने से रोकना है तो जनता की समस्याओं को आपको हल करना होगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार महंगाई को रोकने में, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने में मजबूत कदम उठायेगी। राज मंगल पाँडेय जी के प्रति मेरा बड़ा आदर है, मेरे व्यक्तिगत दोस्त है लेकिन कभी-कभी दुर्भाग्य यह होता है कि जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं। आज उनकी क्या हालत थी, कितने दिन तक यह हालत चलेगी, मैं नहीं कह सकता। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि यह जो फासिस्टवाद का जाल है इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता का तनाव पैदा करने के लिये, प्रदेश के टुकड़े-टुकड़े में बाँटने के लिये उसको नाकामयाब किया जाय।

कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया है कि अगर ये साम्प्रदायिक ताकतें, फासिस्ट ताकतें तथा दक्षिणपन्थी ताकतें इस प्रकार सरकार को गिराने की कोशिश करेंगी तो ऐसे प्रयासो को कम्युनिस्ट पार्टी विफल करेगी और इस सरकार के साथ मतदान करेगी लेकिन ऐसा हमेशा संभव न होगा, कार्यक्रम तथा नीतियों के आधार पर ही यह संभव होगा। आज राम सुन्दर दास की पार्टी तानाशाह पार्टी, नारायणदत्त तिवारी की हाँ में हाँ मिला रही है। मुझे बड़ा दुख है कि हमने भी नारायणदत्त का, इन्दि गाँधी का समर्थन किया था लेकिन हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, वहाँ से हट गये लेकिन हमारे भाई लोग उन्हीं तानाशाहों की बगल में बैठें कर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इसलिये बडे दुख के साथ मैं राजमंगल पाँडेय और नारायण दत्त तिवारी के अविश्वास के प्रस्ताव का डट कर विरोध करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो बात कड़ुवी कही जाय या अच्छी न लगे लेकिन मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र में सभी की बातें सुनने का अधिकार है। 10 वर्ष के बाद आज मैं विरोधी दल की उसी सीट से बोल रहा हूं और मैं यह भी जानता हूं कि मैं अपने कटु कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं कहूंगा जरा शान्ति से मेरे बात को सुना जाय। अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार के खिलाफ मेरी जैसा आदमी जो 28 महीने तक इसका जबरदस्त समर्थन करता रहा जिस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में जिसने हमेशा साथ दिया वह व्यक्ति आज एकदम जबरदस्त विरोध करने के लिये क्यों बाध्य हुआ। यहाँ सरकार का सवाल है,

[श्री राधेश्याम शर्मा]

किसी व्यक्ति विशेष या मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है। मुख्य मंत्री जी का मैं आदर करता हूं। उनके बारे में एक लाइन भी नहीं कहूंगा। व्यक्तिगत तौर से खिलाफ में बोलना, व्यक्तिगत आलोचना करना ओछेपन की बात है। यह बिलकुल नहीं होना चाहिये। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने विवेक के स्तर को ऊंचा करें और उसी को ध्यान में रखते हुये अपने विचार रखें। मुझे आज क्यों विरोध करना पड़ रहा है। आज सारे देश के अन्दर हमारी जनता पार्टी हलधर के चिन्ह पर चुनकर आयी थी, दल बदल कर नहीं आयी थी। 13 सितम्बर, 1948 को डाक्टर लोहिया की अध्यक्षता में सोशलिस्ट पार्टी का एक रुपये का मैं सदस्य बना था। तब से उसी पार्टी में रहा। उसके बाद यह जनता पार्टी बनी, उसका मैं सदस्य बना।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूं। जब जनता पार्टी बनी थी उस वक्त इस देश में इमरजेन्सी लगी हुई थी और देश के बहुत से लोग जेलखानों में बन्द थे। उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने इसी हाउस के अन्दर साढ़े तीन घंटे तक भाषण दिया था तो एक भी लाइन प्रस में नहीं आयी थी। तब ऊदल जी इन्दिरा कांग्रेस के कट्टर समर्थक हो गये थे और इंदिरा जी के जबरदस्त समर्थक थे। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाँच छः पार्टियों ने मिल कर इंदिरा जी की तानाशाही शक्तियों को कुचलने के लिये जनता पार्टी का निर्माण किया और उसके फलस्वरूप देश के अन्दर एक सरकार बनायी। उसके बाद 28 महीने तक वहाँ पर जनता पार्टी की सरकार रही और आज अकेले एक आदमी की प्रधान मंत्री बनने की भूख ने हिन्दुस्तान की इस जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया और लोकसभा के 534 सदस्यों को सड़कों पर घुमा दिया और फिर 19 तारीख को दिल्ली के एक प्रसारण में बोल रहे थे कि मेरी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। उस अकेले व्यक्ति की भूख ने लोकसभा के सदस्यों को गुमराह किया है और उनको आज सड़कों पर घुमा दिया है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का एक-एक व्यक्ति चाहे वह लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, उनके इरादों को चकनाचूर कर देगा और मैं यहाँ तक कहूंगा कि जब तक मेरी जिन्दगी रहेगी उनका घोर विरोध करता रहूंगा। मैं उनको और उनके शासन को देश के सबसे बुरे शासन से ज्यादा खराब समझता हूं।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी की तानाशाही ने लोक सभा के सारे सदस्यों को बेकार कर दिया है। प्रधान मंत्री वे बन नहीं पाये, तो केयर टेकर के रूप में उनकी सरकार चल रही है, यह बहुत बेशर्मी की बात है। जिस आदमी को सदन में बहुमत नहीं मिला वह आज केयर टेकर के रूप में सरकार चला रहा है, यह कैसी बिडम्बना है? किसी देश ने इनको प्रधान मंत्री होने पर बधाई नहीं दी--आस्ट्रेलिया ने नहीं दी, कनाडा ने नहीं दी, जर्मनी ने जापान ने बधाई नहीं दी--बधाई किसने दी पाकिस्तान के जियाउल हक ने बधाई दी। एक आदमी की पद लोलुपता ने आज पूरी जनता पार्टी को नेस्तनाबूत कर दिया। आज इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसमें बनारसी दास का कोई कसूर नहीं था और वे नहीं चाहते कि हम सड़कों पर चले जायं, किन्तु एक आदमी की प्रधान मंत्री पद की भूख ने सब लोगों को सड़कों पर घुमा दिया है इसकी हम घोर मुखालिफत करते हैं और इसीलिये हम सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। यह प्रस्ताव बनारसीदास के खिलाफ नहीं है बल्कि उस आदमी के प्रति हमारा घनघोर विरोध है। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के माहौल में बोला जा रहा है कि लोक सभा के चुनाव में हमको भारी सीटें हासिल होंगी। जरा शीशे में अपना मुंह देख लें, कौन है तुम्हारे साथ, कहाँ से बहुमत ला सकते हो?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शाँति बनाये रखें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हरिजन तुम्हारे साथ नहीं, मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं और कोई तुम्हारे साथ नहीं, केवल बिरादरी तुम्हारे साथ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात इस विधान सभा में रिकार्ड हो कि वह एक आदमी जिसके प्रधान मंत्री बनने की भूख ने लोकशाही को तोड़ा है, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, अगर भारत की लोक सभा में चौधरी चरण सिंह साहब जैसे आदमी फिर से कभी सदस्य बन जायं। मैं बड़ी से बड़ी सजा पाने के लिये तैयार रहूंगा। अधिष्ठाता महोदय, एक व्यक्ति की भूख ने सारे लोक सभा सदस्यों को सड़कों पर घुमा दिया और यहाँ विधान सभा के सदस्यों को भी सड़कों पर घुमाने की योजना चलाई जा रही है। मैं माननीय विधायकों से कहना चाहता हूं, माननीय राज्यपाल महोदय से पूरी बातें हो चुकी हैं इस सरकार को गिराने के बाद 24 घंटे के अन्दर नयी बढ़िया सरकार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कह दे कि हमारा मतलब उस आदमी से कुछ नहीं है जो दलबदल कर प्रधान मंत्री बन गये और जिनकी प्रधान मंत्री की भूख ने जनता पार्टी को तोड़ा, उससे नाता तोड़ लें तो हम अपना अविश्वास का प्रस्ताव वापस कर लेंगे . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शर्मा जी आप कृपया बैठें आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस अविश्वास प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

***श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज मंगल पाँडेय विरोधी दल के नेता ने जो अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में पेश किया है मैं समझता हूं कि आजादी के बाद इतना खराब अविश्वास प्रस्ताव कोई नहीं आया। मान्यवर, जब श्री पाण्डेय बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसे कोई चिट्ठी वह पढ़ रहे हों जिसमें कोई नीति नहीं, कोई प्वाइंट नहीं ऐसा लगता था कि जबरदस्ती वह उधर बैठा दिये गये हों और वहाँ उनका कोई स्थान नहीं। इसलिए उनका अविश्वास प्रस्ताव कोई जमा नहीं। एक जो सबसे बड़ी बात कही वह यह कि दिल्ली के अन्दर इन्दिरा गाँधी से मिल कर सरकार बनाई और यह यहाँ राज्य की सरकार को इंदिरा गाँधी से मिल कर यह सरकार को गिराना चाहते हैं। देश में आज एक नया राजनीतिक संकट है। मैं पाण्डेय जी से पूछना चाहता हूं, उनके समर्थक लोगों से पूछना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह ने सिद्धान्तों पर इन्दिरा गाँधी से कोई समझौता नहीं किया। अगर किया होता तो उनकी सरकार न जाती। मैं पाँडे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उत्तर प्रदेश में नारायणदत्त तिवारी से समझौता करके सरकार को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या इसका कोई जबाव आपके पास है? मैं जानना चाहता हूं कि जिस तानाशाही के खिलाफ आप बात करते हैं आज उसके चलते, इन्दिरा गाँधी की तानाशाही के चलते उसका समर्थन कर रहे है। आप उस तानाशाही के साथ आज समझौता कर रहे हैं और बनारसी दास सरकार को गिराना चाहते हैं। उदित नारायण शर्मा जी जैसे लोग जो आज उधर बैठे हुए है, जब बनारसी दास को मुख्य मंत्री बनाने की बात थी सबसे आगे थे।

हम सिद्धान्तों की बात करते हैं, हम चापलूसी की बात नहीं करते। जनता सरकार बनने के लिये एडजेस्टमेंट की राजनीति हुई, हर राजनीतिक आदमी ने उसका प्रमाण दिया है। इस पूरे देश के अन्दर समझौते की राजनीति चली। यह सही है कि जनता पार्टी ने जनसंघ और आर० एस० एस० के लोगों से मिल कर इन्दिरा गाँधी के खिलाफ चुनाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]

लड़ा। तो यह गलत राजनीति थी। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज उनके विरूद्ध हैं, उनकी राजनीति सही है और आज भी सही है (व्यवधान) आज राजनीति के अन्दर इस तरह की बहस हो रही है लगता है कि वह गुस्से में है लगता है कि जैसे कुर्सी छिनने वाली है और एक तनाव का वातावरण है। लेकिन मान्यवर, मैं ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर बनारसीदास की सरकार गिरा दें, बनारसी दास जी ने कभी लोगों को धमकी नहीं दी कि हमारी तरफ रहो नहीं तो हम विधान सभा खत्म करा देंगे। लेकिन यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने साफ हमसे कहा है कि गणपतराव देव जी तपासे से हमारी बात हुई है, अब राजमंगल पाँडेय की सरकार आएगी, मध्यावधि चुनाव कतई नहीं होंगे। आज इस प्रदेश में दो-ढाई साल बाद जो एक राजनीतिक माहौल बना है, मैं उसका स्वागत करता हूं और देश की हर समाजवादी और साम्प्रदायिकता विरोधी शक्ति उसका समर्थन करेगी।

मैं आज नारायणदत्त तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, आरिफ जी इस समय नहीं बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आज आप उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं, आप तो उनका आज समर्थन कर रहे हैं, जिनका अलीगढ़ के दंगों में हाथ रहा है और इसको लेकर जिनके आप विरोधी रहे हैं और जिनके रहते पचासों बार यहाँ साम्प्रदायिक दंगे हुए और गोलियाँ चलीं ? लेकिन बनारसी दास की सरकार बनने के बाद एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और कहीं भी गोली नहीं चली। लेकिन जब राम प्रकाश, शारदा भक्त सिंह और बाजपेई जी सरकार में थे, उस समय कितने अधिक दंगे हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या औचित्य था ? मैं एक बात कहना चाहता हूं आज उत्तर प्रदेश में जो सूखे के काले बादल छाये हुए हैं, ऐसे समय में तथा कथित विरोधी दल के लोग, गद्दी से हटाये गये लोग सूखे की तरफ ध्यान न देकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने के लिये, प्रदेश में एक निराशा और अस्थिरता का वातावरण बनाने के लिए, अपनी आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह होश में आकर बनारसी दास सरकार का समर्थन करें और राजमंगल जी क प्रस्ताव को भारी बहुमत से अमान्य करें।

*श्री शम्भूनाथ---

माननीय अधिष्ठाता जी, पाण्डेय जी का प्रस्ताव सुनने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई है। वह इसलिए हुई कि जब उन्होंने शुरूआत की तो ऐसा लगा कि जैसे वह मन से नहीं बोल रहे हैं और यह बात सही थी ! उनका मन तो यह चाहता है कि मैं उन शक्तियों के साथ न रहूं, लेकिन परिस्थितिवश उनको आज इस तरह से बोलना पड़ रहा है जिसकी वजह से वह बहुत धीरे धीरे, जिसमें कोई दम नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, वह बोले और माननीय तिवारी जी जब बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि तिवारी जी की इस तरह से भाषण करते कभी नहीं देखा। ऐसा लगा कि उनका सारा रोष पान्डेय जी पर ही है कि यदि वह आज वहाँ न बैठे होते तो हम वहाँ पर बैठे होते। जो वह बोले हैं, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। आज उनका सारा रोष देखने को मिला, जब वह इधर बैठे हुए हैं। मैं तो अपने मुख्य मंत्री जी को सैकड़ों-हजारों बार बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जबसे सक्रिय संघर्ष छेड़ा और जनता पार्टी के भीतर जनता पार्टी के नेता पद के लिए उम्मीदवार हुए उसी समय उन्होंने ऐलान किया था, मैं यदि नेता पद पर आसीन हुआ और मुख्य मंत्री इस प्रदेश का बना तो नान जनसंघ मंत्रिमंडल बनाऊंगा। 22 मार्च को यह हमारी शक्तियाँ जो उधर दिखायी पड़ रही हैं ने मर्यादा को तोड़ा जो दल बदल की बात कहते हैं पाँडेय जी, मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अफसोस होता है, मैं उनके साथ कांग्रेस छोड़ कर आया था और सी0 एफ0 डी0 बनायी थी। उन दिनों पाँडेय जी कहा करते थे कि यह जन संघ वाले अपने तो मिल गये हैं। उनके चार बेटे बाहर घूम रहे हैं भगवा लेकर, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, आर0 एस0एस0 सब को लेकर घूम रहे हैं, हम्को आपको धराशायी कर रहे हैं। वहीं पाँडेय जी आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने 22 मार्च को मर्यादा तोड़ी। माननीय मुख्य मंत्री उनकी धमकी से नहीं डरे और मौन रहे। जब कभी भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया उन्होंने बराबर इस बात को कहा है कि चाहे कुर्सी पर रहूं या न रहूं, मगर वह साम्प्रदायिक जनसंघ के साथ तालमेल नहीं कर सकते। हिम्मत के साथ वह बैठे हुए हैं।

अब फासिस्ट के मरने का वक्त आ गया है। जब फासिस्ट मरता है तो ऊपर नहीं उठता। मुझे विश्वास है कि अब फासिस्ट के मरने का वक्त आ गया है। अब वह पुनः नहीं आयेगा। उनके तरह-तरह के भाषण हुए। जनता पार्टी में पाँच की परिभाषा को बदला गया है। कहा गया कि जनता पार्टी का एम0एल0ए0 और एम0पी0 और मिनिस्टर आर0एस0एस0 की परेड नहीं करेगा। जब आर0 एस0 एस0 का नाम लिया जाता है, अगर आर0 एस0 एस0 से उनका सम्बन्ध नहीं है, उनकी परेड से सम्बन्ध नहीं है तो क्यों तिलमिला कर खड़े हो जाते हैं? यही है आपके दिमाग में सबसे बड़ा काला। आप जिम्मेदार हैं, इस जनता पार्टी को तोड़ने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं है, आर0एस0एस0 पर है, जन-संघ घटक पर है। उसका इतिहास मैंने जौनपुर में देखा है। मेरे यहां दस सीटें थीं कांग्रेस (आई) एक भी सीट नहीं जीत सकती थी। लेकिन आर0 एस0 एस0 ने अपने सारे लोगों को खड़ा किया, यह कह कर कि चूंकि जौनपुर जनसंघ का गढ़ है, कहीं जनसंघ परास्त न हो जाय। वह दोहरी चालें चल रहे हैं। आज हमें ऐसी परेशानी है, हमारे हरिजनों के बीच में, चौधरी गनेशी लाल से आज बात की जोकि आज बड़े भारी समर्थक है जनसंघ के, उनसे पूछा कि कैसे साथ छोड़ कर चले गये? उन्होंने कहा कि एक हरिजन प्रधान मंत्री हो रहा था, उसको प्रधान मंत्री नहीं होने दिया . . .

(व्यवधान)

बैठिए।

श्री अधिष्ठाता––

कृपा करके व्यवधान न करें। व्यवधान करने पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि समय सीमित है। दूसरे भी आपको इसी प्रकार नहीं सुनेंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' (जिला आगरा)––

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता––

इस समय वह बोल रहे हैं। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अव्यवस्था न बढ़ाएं।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'––

[* * * * *]

श्री अधिष्ठाता––

मैं नहीं सुनता। यह बात आपकी लिखी नहीं जायगी। जब तक वह बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'––

लिखिय नहीं। सुन लीजिये। एक सेकेंड।

श्री अधिष्ठाता––

मैं सुन कर क्या करूंगा। रेकार्ड नहीं सुन रहा है।

नोट––[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

यह रिकार्ड में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ—

मान्यवर, 4 मिनट तो इन्होंने मेरे ले लिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलिये, जब तक आप बोलते रहेंगे, नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

इनकी कोई चीज नहीं लिखी जायगी ।

श्री शम्भूनाथ—

मेरे 5 मिनट चले गये । लेकिन यह लोग घड़ियाली आँसू बहाते हैं । जब-जब बाबू जगजीवन राम के प्रधान मन्त्री बनने का मौका आया, तब-तब इन्होंने विरोध किया । जब यह जानते थे कि मोरार जी देसाई की सरकार चलने वाली नहीं है तब इन्होंने हरिजनों का नारा नहीं लगाया । अब पार्लियामेंट भंग हुई है और इनको जनता के सामने जाना है । दश के हरिजन ने सन् 52 से लेकर आज तक जनसंघ को वोट नहीं दिया । आज एक नहीं चाहे बीसों जगजीवन राम आ जायें, परन्तु हरिजन इनको वोट नहीं देगा । बाबू जगजीवन राम को नेशनल लीडर न मानकर केवल हरिजनों का नेता माना है, यह स्वार्थी लोग कर रह हैं । हमार साथी गुमराह हो रहे हैं । मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सरकार बराबर बरकरार रहेगी । मीठी भाषा के आधार पर फासिस्ट आपको गुमराह कर रहे हैं और मौका खोज रहे हैं । दिल्ली में कोई मोरार जी के साथ, कोई श्री जगजीवन बाबू के साथ और कोई चन्द्रशेखर के साथ और कुछ दूसरे नेताओं के साथ लगे हुए हैं और अपनी ताकत को बढ़ावा दे रहे हैं । मैं आप से कहता हूं कि इस सरकार को चलायें और फासिस्टों को जिन्दगी भर के लिए सबक सिखायें ।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, शम्भूनाथ जी ने बड़े जोर से चौधरी साहब का पक्ष लिया । मैं शम्भूनाथ जी का जिक्र करना चाहता हूं । उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रैंस बुलाई थी और उन्होंने शासन के प्रति अपने विचार दिये थे और कहा था कि इस शासन काल में नौकरशाही, भ्रष्टाचार, दंगा-फसाद, हत्याओं, व्यभिचार का बोलबाला हो गया है और नागरिकों की जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है । हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को अधिक जानें गवानीं पड़ी हैं । इस तरह स प्रशासन के निकम्मेपन के कारण जनता पार्टी की छबि खराब हुई है । ये पिछले शासन के आदमी थे . . . .

(व्यवधान)

अब आ गयी है श्री बनारसीदास की सरकार । आप देखें इस समय प्रदेश में अशाँति और अराजकता का वातावरण व्याप्त है । अपराध संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है । प्रत्येक 2 घंटे में एक हत्या और एक डकैती हो रही है । उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं होती, व तो इस बात में तल्लीन रहते हैं कि किस प्रकार से कुर्सी पर बने रहें ।

नोट—[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता पार्टी के पूरे शासन में इस प्रदेश में हरिजनों पर बड़ा अत्याचार हुआ। 55 बार गोली काँड हुए और लाठी चार्ज हुए। इसी शासन के एक मंत्री का बयान है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, 42 व्यक्ति घायल हुए। आज इस शासन में विधायकों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। करीब-करीब 90 विधायकों के पास इस समय शैडो हैं।

दूसरी बात यह है कि शासन की ओर से सूखे के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। शासन के पक्ष में बोलने वालों ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है। आज जितने भी मंत्री सरकार में हैं, वे इस बात पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार से सरकार बचे। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इन मुख्य मंत्री के काल में हुआ है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है।

(शेम शेम की आवाजें)

हिन्डालको की बड़ी आलोचना करते थे मुख्य मंत्री जी लेकिन जिस दिन मुख्य मंत्री हुए उसके चौथे दिन कितने मेगावाट और किस कारण से, किस मैरिट के आधार पर, इनको बिजली दी गयी है ? 7 लाख रुपया मंत्रि परिषद् के लोगों ने लिया (शेम शेम की आवाजें)

जहाँ तक शिक्षा जगत का हाल है, मेरा निवेदन है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसमे सुबह को एडमिशन होता है और शाम को इम्तिहान दे दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कुलपति भी पुलिस के पहरे में ही रहता है। अब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हाल बताता हूं। वहाँ पर 100 अभ्यर्थियों से पूरे साल की फीस ले ली गयी और दूसरे दिन ही उन्हें बी0 एड0 की परीक्षा में बैठा दिया गया।

बेकारी के बारे में यह सरकार कहती है कि 10 वर्ष में समाप्त कर दी जायगी। यह सरकार भी वैसे ही वायदे कर रही है। अगर आप इंगलैण्ड का पूरा इतिहास देखें तो पायगे कि कोई भी वहाँ का अध्यक्ष मुख्य मंत्री नहीं हुआ। इस समय प्रदेश में 27 कैबिनट मंत्री भी बढ़ा दिए गये। आज मंत्रियों की हालत क्या है ? एक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। जब वे यहाँ बोलते हैं तो पता लगता है कि डायलाग कर रहे हैं और फिल्म का शो हो रहा। हेल्थ विभाग के पूरे विभाग के लोग कहते हैं कि एक चपरासी तक का ट्रांसफर बिना मंत्री जी की आज्ञा के नहीं होता है। सुना जाता है कि एक होटल में बैठा आदमी रुपया लेने के बाद चिट लिखता है और वह चिट यहाँ पर आती है। ऐसा शासन कभी नहीं आया कि ऐरा, गैरा, नत्थू खैरा सभी को मंत्री बना दिया गया। जिसको देखा कि वह जा रहा है, अकड़ रहा है, कहा, अरे भाई अब की बार शपथ में तुम्हारा नाम है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपकी आवाज तो वैसे ही बुलन्द है, आप जरा धीमे बोलें या माइक से जरा दूर हो कर बोलें क्योंकि आवाज फट रही है और आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है जिसके कारण लिखना भी मुश्किल हो रहा है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, एक नियम यह बनाया कि जो भी मंत्री होगा उसके लिये ग्रेजुएट होना आवश्यक होगा। अब एक मंत्री जाली डिग्री ले आये, आज वे मंत्री हैं .... (व्यवधान) इस शासन में तो क्रिमिनल्स भी सब मंत्री हो गये। ... (व्यवधान) सत्यदेव त्रिपाठी हैं एक मन्त्री उन पर केस चला दफा 376 का.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जो कहें उनकी बात सुनी जाये और फिर बोलने वाले उनकी बात का उत्तर दें। इधर से व्यवधान होगा तो उधर से भी होगा। 9 मिनट आपके हो चुके हैं सेहरा जी।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

अभी माननीय गुलाब सेहरा जी ने जो माननीय सत्यदेव त्रिपाठी पर चार्ज लगाया उसे या तो वे साबित करें..... (शोर) यह धारा 376 क्या है!.....

(व्यवधान)

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

अगर माननीय सदस्य यह साबित कर दें तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा, वरना यह दें। मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपको मौका मिलेगा बोलने का, तब आप कहें।

श्री गुलाब सेहरा—

इस मन्त्रि परिषद् में ही जब मन्त्री भ्रष्ट हैं तो शासन कैसे स्वच्छ रह सकता है ....

(व्यवधान)

कई मन्त्री हैं जो पहले पैसा लेते हैं....

(व्यवधान)

जो प्रस्ताव अविश्वास का माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सरकार की जितनी भी नीति हैं सब गलत हैं। एक नीति बनाई- गाँव की ओर चलो। किसानों का बंटाधार कर दिया गाँव की ओर चलने में, आज भी किसान याद कर रहा है। गेहूं की बिक्री जो है, उसमें बीच के दलालों ने लाभ उठाया। आज इस सरकार की स्ट्रेन्थ 195 है जबकि सरकार में रहने के लिए यह स्ट्रेन्थ बहुत कम है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री ऊदल जी ने बड़े जोर-शोर से कहा है और बड़ी खुशी प्रकट की ह, मानता हूं कि श्री ऊदल जी की खुशी स्वाभाविक है। ये आज हमसे हमारे भाइयों को अलग कर पाये हैं, इनकी खुशियाली स्वाभाविक है। यह काम उन्होंने काँग्रे- सियों के साथ भी किया था। काँग्रेस को दो हिस्सों में बाँटा था। आज जनता पार्टी के साथ भी ऊदल जी ने बटवारे का काम किया है। इसीलिए आज हमारे ऊदल भाई खुश है कि हमारे भाई हमसे जुदा हैं। हिन्दुस्तान की एक राष्ट्रीय पार्टी सारे हिन्दुस्तान की एकता बनाए रखती है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की दाल नहीं गल पाएगी। काँग्रेस पार्टी जो एक बड़ी पार्टी थी, उसे बाँटने का काम करवाया। मैं श्री ऊदल जी से कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के हमारे साथी जो आज हमसे छूट गए हैं, उनमें काफी ऐसी संख्या है जो विचार कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं है कि वह लौट कर आवेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी की यह चाल नहीं चलेगी। श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने पिछली, हम लोगों की सरकार के कार्यकाल की कुछ आलोचना की है। उसका उत्तर तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश जी देंगे, जो उनके ही साथ हैं परन्तु श्री मोती लाल देहलवी जी ने उनका उत्तर दे दिया, श्री राम नरेश यादव के कार्यकाल की प्रशंसा करके परन्तु मैं उसका वर्णन करने नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं आज तुलना जरूर करना चाहूंगा, पूरा सदन कान खोलकर सुन ले। उस समय भी 56 जिलों में से 54 जिलों में बाढ़ आई थी, बाढ़ का सामना जिस प्रकार से किया गया था, उसको सभी जानते हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भी कहा था कि बाढ़ के संकट का सामना करने के लिए इस सरकार ने कुछ काम किया है। समाचार पत्र को उठा कर

देख लीजिए। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि वर्तमान मन्त्रि मण्डल जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है, क्या हिम्मत से कह पायेगी कि 56 जिलों में से केवल 28 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है और उसमें भी राहत काम नहीं हो पाया है, राहत काम शुरू नहीं हो पाया है ? 20 दिन हो गया, जब जिला मिर्जापुर से रिपोर्ट शासन को आ चुकी है, 30 दिन हो गये दूसरे जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है, कोई सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं हुआ, राहत का काम शुरू नहीं हुआ है। श्री राम नरेश यादव का मन्त्रि मण्डल जब था, तब गाँव के किसानों को 22 घंटे बिजली रोज दी जाती थी। आज 22 घंटे बिजली के स्थान पर 12 घंटे क्यों कर दी गयी, उसके बाद भी मुश्किल से 2–4 घंटे बिजली मिल पाती है, वह भी नियमित नहीं। किसान परेशान हैं। मैंने पत्र लिखा मुख्य मन्त्री जी को कि उत्तर प्रदेश में 4 हजार ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं, किसी की नालियाँ टूट गयीं, किसी का मोटर बिगड़ गया, किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला हुआ है। सूखे का सामना करने की यही हालत है। भुखमरी की हालत में गरीब जनता खड़ी है। बाढ़ आई थी राम नरेश यादव के मन्त्रि मण्डल में, एक–एक बाढ़ पीड़ितों को कितना गल्ला मिलता था, लोग उठाकर नहीं ले जा पाते थे, 50–50, 60–60 किलो गल्ला एक परिवार को मिलता था। एक व्यक्ति को उठाना मुश्किल हो जाता था। मैंने मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि इतनी तो कृपा कर दीजिए कि हर जिलों में जरूरत भर को गल्ला भेज दीजिए जिससे कि राहत का काम शुरू हो जाय।

मैं एक बात कहना चाहता हूं मसूद साहब बैठे होंगे, वह उस समय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री थे। उस समय श्री राम नरेश यादव मन्त्रि मण्डल के समय में जो सड़कें बनीं, थीं जहाँ की तहाँ वैसे ही पड़ी हैं। बाँध बने थे, वे अधूरे ही पड़े हुए हैं। जो निर्माण कार्य चल रहे थे वे रुक क्यों गये ? फिर क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं था ? उस तबाही को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जो हो रही है। बनारसी दास जी से म कहना चाहूंगा कि आज जब सूखे का सामना करने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी उस समय सबके सब मन्त्री दिल्ली में कोई अशोका होटल में और कोई कहीं बैठा था। जो भी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में उसका पहला कर्तव्य होगा कि वह इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे। जो सूखे से मरने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वे बढ़ती जायेंगी।

जनता पार्टी के टिकट पर हम सभी बहुत से लोग चुनकर आये थे। हमने कुछ वायदे कुछ घोषणाएं की थीं। लेकिन उन्हें फेंक दिया और आज जनता का बिश्वास उन पर से उठ गया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारा कर्तव्य हो गया। आज उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए जो भी करना पड़ता है, किया जा रहा है इससे हमारे कुछ भाइयों को तकलीफ हो रही होगी। यह बात अच्छी नहीं है कि जिन वायदों को कहकर चुनकर आ जायें उन्हें फेंक दिया जायें। केवल कुर्सी के लिए बने रहें यह जनता के साथ विश्वासघात है।

मुख्य मन्त्री जी ने कई बार कहा कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे लेकिन जिनके बल पर मुख्य मन्त्री बने हैं उन लोगों के दबाव कब तक टाल सकेंगे। यह कहा गया है कि चुनाव नहीं होंगे, यह सरकार बनी रहेगी लोक सभा की एक सीट के लिए एक लाख रुपया और 5 जीपें दी जायेंगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही नहीं है कि एक माह पैसा वसूला जायेगा, जीपें इकट्ठा की जायेंगी और एक माह बाद विधान सभा का विसर्जन करा कर उत्तर प्रदेश को भी मध्यावधि चुनाव में झोंक दिया जायेगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधान सभा को चुनाव से बचाना है तो अविश्वास प्रस्ताव में सभी सदस्य साथ दें। अगर सदस्य साथ देंगे तो जनता पार्टी नई सरकार बनायेगी और मध्यावधि चुनाव से हम प्रदेश को बचा लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी इसका समर्थन करें। यह सरकार जायेगी, नई जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मध्यावधि चुनाव से उत्तर प्रदेश को बचा लिया जायगा।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरे ऊपर यह जो आरोप लगाया गया दुनियाँ के किसी भी अदालत में अगर इस तरह का मुकदमा कभी चला होगा तो मैं सदन की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो वह त्याग-पत्र दें। सदन के बाहर गुलाब सेहरा जी यह आरोप लगायें, मैं उन आरोपों का जवाब दूंगा। उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा करता।

(शोर)

अब मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर आता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गाँधी एक तानाशाह हैं, इस बात के खिलाफ इस मुल्क की जनता ने एक दल का निर्माण किया था जिससे तानाशाही समाप्त की जा सके। उसके संविधान में लिखा था। धारा 5–क में लिखा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संगठन का, जिसकी नीतियाँ अलग हों, इस पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन यह लोग जो साम्प्रदायिक नीतियों में विश्वास करते थे उनके अनुसार चल रहे थे, उन्होंने इस पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। गाँधी जी की समाधि पर शपथ लेते हुए उन्होंने निष्पक्षता एवं ईमानदारी से कार्य करने की शपथ खाई थी लेकिन वह भी नहीं किया। मैं सदन के समक्ष यह फोटो रखना चाहता हूं। यह फोटो मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि इसमें देश के प्रधान मन्त्री को साम्प्रदायिक ताकतों के हाथों का खिलौना बनना दिखाया गया है। देवरस की गोद में मोरारजी लेट हुए हैं एक छोटा सा बच्चा बनकर और कह रहे हैं "माँ मुझे अपने आँचल में छुपा ले।" साम्प्रदायिकतावादी ताकतों के हाथ में यह लोग चले गये।

यहाँ खादी बोर्ड बनाया गया। गाँधी से नफरत करने वाले लोग रखे गए। खादी से जिनका विरोध था उन्हें रखा गया। यह लोग एक भी मीटिंग में नहीं गए, पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी, संसद सदस्य हैं, एक भी मीटिंग नहीं अटेंड की। सारे काम आर0 एस0 एस0 के लोग चलाते रहे। नियुक्तियाँ होती रहीं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वकील है जिसने एक दिन भी क्रिमिनल के मुकदमें में एक भी हलफनामा नहीं लगाया उसको सरकारी क्रिमिनल का वकील बनाया गया। इनकी असलियत 6 मार्च, 1978 को खुल गयी थी जब उन्होंने कहा कि हम **Akin to Politics** हैं। सरकार्यवाह श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि आर0 एस0 एस0 यह कहता है कि हमारे सदस्य विधान सभा में हैं, लोक सभा में हैं, मन्त्रि परिषद् में ह और हम **Akin to Politics** हैं। हमने गल्ती की थी, हमने गलत किया था कि हमने उनसे कहा था कि वह जनता पाटी में मिलें और एकजुट होकर कार्य करें लेकिन वह गल्ती हमने देश के हित में की थी, उस वक्त इसी की आवश्यकता थी। तानाशाही को इस देश की हुकूमत से हटाना था इसलिए हमने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। इसलिए हमने यह नहीं देखा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। हमें गोत्र मालूम था लेकिन गोत्र की जानकारी होते हुये भी हमने यह सवाल नहीं उठाना चाहा क्योंकि बड़े राक्षस का वध करना था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन्दिरा गाँधी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह ने सरकार बना ली। अभी बिहार में राम सुन्दर दास की सरकार को बचाने के लिए किसने मदद की? हरियाणा में कौन मदद कर रहा है? और 22 मार्च, 79 को हिन्दुस्तान ही में नहीं दुनिया के संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में वह काला दिन कहा जायगा जब इस सदन के एक दल के सदस्यों ने विनियोग विधेयक पर सारी नैतिकता को छोड़ दिया। लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी जब लखनऊ आये थे, मैं उस समिति में था जिसमें आन्दोलन के लिए कार्यक्रम बनाया था। उस कार्यक्रम में 4 सवाल रखे गए थे। पहला था कि इस मुल्क में भ्रष्टाचार को मिटाना है उसके लिए हमने संजयवाद के खात्मे का नारा दिया था। लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि क्रान्तिवाद चलाया जाय।

(शोर)

विरोधी दल के नेता राजमंगल पाण्डेय ने दल बदलने की बात कही। मैं चाहता था कि वह सुनते कि हिन्दुस्तान की राजनीति में मामूली बात नहीं है, हिन्दुस्तान में हर पार्टी

लगातार बिखराव के लिए चलती रही है, इससे सारी पार्टियों का बिखराव हुआ। मुझे दुख है कि जब जवाहर लाल का नाम लेकर, जो महात्मा गाँधी को नेता मानते हैं उन्होंने हाफ पैंट वालों से समझौता कर लिया। जवाहर लाल नेहरू ने कहा था--

"India's decline was due to the narrow-mindedness of the type that the R. S. S. is preaching today. Let there be no doubt on this point. We shall fight with all the resources at our command any such force and we shall put it down with a strong arm."

जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आज आर0एस0एस0 के संकीर्ण दिमाग के लोगों ने इस मुल्क की तरक्की में इस मुल्क के संगठित रहने पर हमला किया है इसलिए जरूरी है कि हम पूरी ताकत से लड़ें।

कैसे तिवारी जी लड़ रहे हैं उनकी गोद में बैठकर ? गोद में बैठकर काम नहीं चलेगा। इस देश की राजनीति दो हिस्सों में बंट गयी है। एक तरफ साम्प्रदायिक, भ्रष्टाचारी, पूंजीवादी ताकतें हैं और दूसरी तरफ समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष सिद्धान्त वाले लोग हैं। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हम गाँधी और लोहिया को मानने वाले हैं। हमारा व्यक्तिगत चरित्र जिस दिन ऐसा होगा जैसा सेहरा जी का है तो हम राजनीति को छोड़ देंगे।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबेआला, आज हम एक अजीब तमाशा इस एवान में देख रहे हैं। दो अविश्वास के प्रस्ताव पेश हुए हैं दो दलों की तरफ से जोकि कल तक एक दूसरे से इतने दूर थे कि कभी ख्याल भी नहीं हो सकता था कि वह कभी एक साथ हो सकते हैं। मैं आपसे सच कह रही हूं मुझे आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था कि काँग्रेस(आई0) भी अविश्वास के प्रस्ताव के साथ होगी। क्योंकि सरकार के खिलाफ पेश किया गया है। दो सालों से जबसे जनता पार्टी हुकूमत में आई है तमाम वक्त यही पुकारा गया कि इस पार्टी में वह पार्टियाँ शामिल हैं जिन्होंने कि देश में हमेशा एक फिरका-वारानगी पैदा करने की कोशिश की, जिन्होंने महात्मा गाँधी को कत्ल करके. . . .

(व्यवधान)

इतने बड़े नेता को हमारे मुल्क से खत्म कर दिया और आज हम एक अजीबो-गरीब तमाशा देख रहे हैं। जनाबेवाला, मुझे अफसोस है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी ऐसे प्रस्ताव का साथ दे रहे हैं। मैं अपने दल की पोजीशन साफ कर देना चाहती हूं। हम हरगिज कभी इस बात के खिलाफ नहीं हो सकते थे कि ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव का साथ दिया जाय जिसमें कि ऐसी पार्टी शामिल हो जिस के बारे में तीस साल से काँग्रेस ने हमेशा नारा बुलन्द किया।

मैं समझती हूं कि आज जवाहर लाल नेहरू की रूह कितनी तकलीफ में होगी। हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने मुल्क के लिए कुरबानियाँ की थीं। उस बड़े महापुरूष के लिए उन्होंने अपनी जान देने की तैयारी भी की थी जिसने बिना हथियार के इस मुल्क को आजाद किया था उसके मारने वालों के साथ हमारी काँग्रेस (आई0) शामिल हो सकती है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी। जनाबेवाला, जब से जनता पार्टी की हुकूमत आई है पिछले दो साल से बड़ा इल्जाम जनता पार्टी पर काँग्रेस के लीडरों ने लगाया है, वह यह है कि उसमें जनसंघ और आर0एस0एस0 शामिल हैं हम उसका साथ नहीं देंगे।

जनाबेवाला, काँग्रेस ने तीस साल से यह कोशिश की चाहे दिखावे के लिए हो, चाहे सही माने में हो कि यहाँ के लोग एक होकर रहें यहाँ फिरकापरस्ती बिल्कुल खत्म हो जाय,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

अकलियतों के साथ बराबर का सलूक किया जाय। विधान में जो हुकूक दिए गए हैं उनके तहत हर एक के साथ सही तरीके का बर्ताव हो। मुसलमानों, हरिजनों, ईसाइयों, सिक्खों जो भी यहाँ अकलियतें हैं, उन सबके साथ सही बर्ताव, बराबर का बर्ताव किया जाय। जनाबे-वाला, आप देहात में जाकर देखें, शहर में जाकर देखें किसी को यह बात हरगिज पसन्द नहीं है कि ऐसी पार्टी का साथ दिया जाय जो जनसंघ या आर0एस0एस0 हो।

जब मैं पहली दफा काँग्रेस के टिकट पर खड़ी हुई उस वक्त मेरे खिलाफ जनसंघ के कैण्डीडेट को 34,000 वोट मिले थे और जब-अब खड़ी हुई तो आठवें से भी कम वोट उनको मिले। मैं गाँवों में देखती हूं कि गाँव वाले फिरकापरस्ती के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका ख्याल है कि सब मिलकर रहें। जनाबेवाला, हमारे मुल्क ने इतना बड़ा नाम कैसे पैदा किया? जवाहरलाल नेहरू ने शुरू से इसी बात की कोशिश की कि यहाँ के सब लोग एक होकर रहें। मैं विधि बनाने वालों में हूं। मैं उनमें से हूं जिसने यह कहा था कि हम मुसल-मानों के लिए रिजरवेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हिन्दू भाइयों के साथ मिल कर रहें, हमें हिन्दू भाइयों के वोट मिलेंगे, हमारी मुसलमानों की इतनी संख्या नहीं है कि हमें वापस कर सकेंगे।

(इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो जनाबेवाला, आज ताज्जुब का मौका है। आज हैरानी इस बात की है कि जिस उसूल के लिए राम नरेश यादव जी ने सारे देश में नारा बुलन्द किया और उसके बाद बनारसी दास जी की गवर्नमेन्ट आई। उन्होंने उसी चीज को लिया। अब उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे दिमाग में फिर भेदभाव पैदा किया जा रहा है कि हिन्दू–मुसलमान अलग-अलग हैं। हम यहाँ के लोगों को एक साथ रहने नहीं देंगे। तो जनाबेवाला, मैं समझती हूं कि जो हमारे उसूल पर चल रहे हैं, उनको बढ़ावा न देकर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायें, तो यह कहाँ तक ठीक है और कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज का साथ देते हैं? हमारी पार्टी निर्दलीय पार्टी है। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेन्ट की मुखालफत करें या गवर्नमेंट का साथ दें। लेकिन मैं काँग्रेस से पूछना चाहती हूं कि उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि आप अपने जमीर से, अपने कान्सेंस से वोट दें। मैं काँग्रेस (आई0) से पूछना चाहती हूं कि आज उनका कानसियेन्स कहाँ है कि वह इस तरह से श्री राजमंगल पाण्डेय के साथ मिलकर अवि-श्वास का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं? जो यहाँ के भेदभाव को दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने एक ऐसा उसूल बनाया है और जो चाहते हैं कि यहाँ के लोग एक साथ रहें, जो फिरकावाना चीजों को दूर करना चाहते हैं, उनकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मान्यवर, मुझे तो इस पर गालिब का एक शेर याद आता है—

"मैंने कहा कि बस्मेयार चाहे गैर से नहीं,
सुन के सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं।"

तो जनाबेवाला, इन्होंने बिल्कुल उल्टा काम किया। जनाबेवाला हमारा प्रोग्रेसिव व्यू है और हम प्रोग्रेसिव व्यू लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ यह कहा जाता है कि चूंकि हम मुखालिफ पार्टी के हैं, इसलिए हमारा उसूल है कि मुखालफत करें। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सा आपका उसूल बाकी रह गया है। जो उसूल कोई रह गया है तो वह यही है कि बनारसीदास की गवर्नमेंट की मुखालफत की जाय? कौन सा उसूल कायम है सिवाय इसके कि उनको कुर्सी मिल जाय अपने फायदे के लिए? क्या उनको मुल्क का ख्याल है जिसकी किस कदर इज्जत बढ़ गयी थी? जनाबेवाला, हमारे हिन्दुस्तान की इज्जत इधर बहुत बढ़ी थी दूसरे मुल्कों में। लेकिन आज उसकी हालत क्या है?

मुझे मालूम है, उनमें कुछ कमजोरियाँ हैं। नारायण दत्त तिवारी जी की स्पीच भी सुन चुकी हू। हमें भी मालूम है। जनता पार्टी में बहुत सी कमजोरियाँ हैं। उनको ठीक करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि बनारसी दास जी आज कान्फीडेंस का वोट जीत कर अपनी उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो कमजोरियाँ पैदा हो गयी हैं, उनको दूर किया जायगा और लोग खुशी से यहाँ रह सकेंगे और वह समझेंगे कि वह भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। इसलिए मैं साफ कह देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। हम साथ देंगे बनारसी दास गवर्नमेंट का क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया है जो राम नरेश यादव ने उठाया था। जिनकी वजह से देश में पब्लिक के दिमाग में एक कनफ्यूजन पैदा हो गया था, उसको वह दूर करेंगे और आप लोग बनारसी दास जी की गवर्नमेन्ट को जिताकर दिखायेंग कि हम ऐसा चाहते हैं कि यह मुल्क ऐसा रहे कि जिसमें दोनों तरह के लोग एक साथ रह सकें और जो सारे फसाद हुए हैं, उनकी बात को खत्म किया जाय। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इस सरकार के प्रति मेरा जो मोह है, वह भी स्वाभाविक है। अर्जुन को भी मोह हो गया था तो कृष्ण ने याद दिलाया कि सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य का साथ देना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं राजमंगल पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पहला आरोप इस सरकार पर लगाता हूं कि यह सरकार विश्वासघाती है। विश्वासघाती इस माने में कि हिन्दुस्तान की जनता ने बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी को वोट दिया था। हमने वोट लिया था चक्र में बने हुए हलधर चुनाव चिन्ह पर। जनता हमसे अपेक्षा करती थी कि जैसी लोकतन्त्र की मर्यादा होती है, जनता पार्टी के लोग एकताबद्ध होकर हमारी सेवा करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कुर्सी के लोभ में एकता को भंग किया और जनता ने जो विश्वास दिया था, 1977 में, उसके साथ घात किया। इसलिए सरकार विश्वासघाती है।

(माइक खराब होने के कारण श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर श्री शम्भूनाथ चौधरी अपना वक्तव्य जारी रखने के लिए नेता विरोधी दल के स्थान पर आ गये)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो नियमावली से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात कही होगी तो मैं उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान।)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या इस सदन के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य नेता सदन या नेता विरोधी दल का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर व्यवस्था देता हूं कि वे बोल सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, राज्यों में दलबदल हुआ, लेकिन इस दलबदल के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश-विदेश में हमारी मर्यादा को ठेस नहीं लगी है। लेकिन इस प्रकार से कुर्सी के लोभ में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

दल-बदल करके जनता पार्टी को तोड़ा गया जिससे विदेशों में भी हमारी ख्याति गिरी है। हिन्दुस्तान के लोग कह रहे हैं कि इस सरकार ने सारे देशवासियों की नैतिकता पर कलंक लगा दिया ।

दूसरा मेरा आरोप यह है कि यह सरकार जनतन्त्र विरोधी है। श्रीमन्, भारतीय संविधान में स्वशासी इकाइयों के लिए प्राविधान है चुनावों का। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में ऐलान किया था कि हम समय से चुनाव करायेंगे, लेकिन वह आज तक नहीं कराए गये। जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, महापालिकायें हैं, वहाँ बार-बार आग्रह करने पर भी चुनाव नहीं कराए गए। इतना ही नहीं इस सरकार ने जनतन्त्र विरोधी कार्य यह किया कि उनको भंग कर दिया और वहाँ मनोनयन किया। श्रीमन्, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। मुख्य मन्त्री जी की चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हुई और वह चुनावों से कतराते हैं। आज तक जनता विधान मण्डल का चुनाव नहीं होने दिया गया। इसलिए जो सरकार चुनाव कराने से डरती हो वह जन विरोधी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इनकी बात सुनाई नहीं पड़ रही है। यह क्या भाषण दे रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तीसरा मेरा यह आरोप है कि यह सरकार नीतिविहीन सरकार है। नीतिविहीन सरकार इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि यह सरकार डण्डावादी नीति पर चल रही है·····

(व्यवधान)

मैं अपने उधर के बठने वाले दोस्तों से पूछता हूं कि जिन कम्युनिस्टों की गोद में बैठे हुए हो क्या वह तानाशाह नहीं हैं ? उनको साथ लेकर बैठे हैं और कहते हैं कि हम तानाशाही के विरुद्ध हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मान्यवर, मेरा इन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप है। गैर सरकारी संस्थाओं के लिए लाखों रुपया मन्त्री लोग इकट्ठा करते हैं। इसलिए यह सरकार जनतन्त्र विरोधी है यह कहा गया कि गाँव की ओर चलो लेकिन कब यह सरकार गाँव की ओर गयी। इन्दिरा काँग्रेस की हिम्मत तक नहीं पड़ी। हाँ, इस सरकार के मुख्य मन्त्री हेलीकाप्टर से जरूर बलिया के एक गाँव में उतरे। जो सरकार ब्याह शादी के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल करती हो वह जन विरोधी है। इसलिए यह गाँव की ओर चलो का जो नारा है वह कितना खोखला है। जहाँ तक बिजली का सम्बन्ध है एक ओर हिन्डालको को बिजली बढ़ाई जा रही है लेकिन गाँवों की बिजली में कटौती की जा रही है। इससे यह साबित होता है कि यह सरकार गाँव की ओर नहीं जा रही है क्योंकि गाँव के ट्यूबवेल बन्द हैं, नहरें सूखी पड़ी है और मुख्य मन्त्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लिप्त है। गाँव भले ही उजड़ें लेकिन इनकी कुर्सी बच जाय यह इस सरकार की नीति है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है।

इस सदन में कई बार इस विषय को मैंने प्रश्नों के माध्यम से भी उठाया है कि पाम-आयल तथा रेपसीड आयल की मिलावट हो रही है। रिफाइन्ड आयल में इसका मिश्रण किया जाता है। भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने तथा यहाँ के स्वास्थ्य मन्त्री ने इस मिश्रण कराने के लिए 56 लाख रुपया व्यापारियों से लिया है। इसके लिए पाम आयल पर जो 3 प्रतिशत बिक्री-कर पड़ता था उसे बढ़ाकर 8 प्रतिशत भी कर दिया गया। कहा यह गया चूंकि पाम आयल डालडा में मिल जाता है इसलिए दाम बराबर कर देने पर यह मिलावट नहीं होगी। वनस्पति डालडा के सबसे बड़े व्यापारी मोदी साहब हैं पाम आयल की कीमत डालडा

बराबर करने के लिए ताकि डालडा की बिक्री कम न हो जाय मोदी साहब ने इनाम के तौर पर सरकार को 5 लाख रुपए भी दिए।

यह सरकार जनविरोधी है, किसान विरोधी है, नीति विहीन है तथा दिशा शून्य है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात तथा जाल फरेब किया गया है। जनता पार्टी को विश्वास दिया लेकिन जनता पार्टी को छोड़ कर जब एक नेता ने दूसरी पार्टी कुर्सी के लिए बना ली तो पत्रकारों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि विभिन्न विचार तथा घटकों के लोगों का यह दल है, क्या यह दल चलेगा? उन नेता का उत्तर था कि विभिन्न विचार तथा दल के हम लोग नदी नाले थे अब सब समुद्र में गिर गये हैं तो समुद्र से बाहर कौन कहाँ जायगा। लेकिन अब वही समुद्र के बाहर चले गये तो वहाँ से तो एक जानवर ही निकलता है और यह जनता (एस0) रूपी जानवर है जो सारे प्रदेश को आग की लपेट में जला रहा है।

(श्री रियासत हुसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप 10 मिनट का समय लेंगे या 15 मिनट?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जैसा आपने निर्णय किया है, मैं 20 मिनट का समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप 15 मिनट में समाप्त कर दें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, आज सदन के अन्दर वर्तमान मन्त्रि मण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत है। मैं इस सदन के सम्मानित माननीय सदस्यों का ध्यान 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए भाषण की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें प्रधान मन्त्री ने दो बातों की तरफ देश का ध्यान दिलाया था। एक तो प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट रूप से लाल किले पर झंडा फहराते वक्त जो कुछ कहा जिसका रीऐक्शन देश की जनता पर इस तरह से पड़ा कि जैसे कोई इलेक्शन स्पीच कोई मन्त्री दे रहा हो। दूसरी बात मैं माननीय वर्क साहब से, माननीय अन्सारी साहब से और माननीय लारी साहब से कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने लाल किले से उस दिन कहा था....

श्री उपाध्यक्ष--

रियासत हुसैन जी, यह लोक सभा नहीं है, असेम्बली है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं उसी का रिफरेन्स देकर कह रहा हूं। आज उसी बात के आधार पर इस सदन के अन्दर सरकार बनी हुई है। आज जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री को जनता पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है और मैं समझता हूं कि उसकी सूचना आपके पास पहुंच गई होगी। मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं कि वे इण्डेपेन्डेंट लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं और तब सरकार इस प्रदेश में चल रही है। सब जानते हैं और मुख्य मन्त्री जानते हैं कि इन्डेपेन्डेंट आदमियों का औब्जेक्टिव सिंगिल प्वाइंट प्रोग्राम होता है और वह होता है--कुर्सी। वही यहाँ हैं और यही वहाँ भी हैं। इसी को बचाने की जल्दी पड़ी हुई है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, राम नरेश जी इस वक्त नहीं हैं, कोई बात गलत नहीं कहूंगा--यह अखबार--नव भारत टाइम्स--के 27 तारीख की खबर है जिसमें साफ तौर से कहा गया है--"उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव"--इसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि राम नरेश यादव को चौधरी चरण सिंह ने विशेष रूप से दायित्व दिया है कि उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]
में जाकर बनारसी दास से इस बात का प्रोग्राम बनायें कि मध्यावधि चुनाव जल्दी से जल्दी हों. . . . . (व्यवधान)

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हू कि रियासत साहब अनधिकृत रूप से बिलकुल गलत बात कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का कोई निर्देश न राम नरेश जी को है और न मुझको है। यह बिलकुल मिथ्या प्रचार किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने अखबार का हवाला देकर कहा है, हो सकता है गलत हो. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने विषय पर आयें।

श्री बनारसी दास—

कोई निर्देश नहीं है. . . . .

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि आज ऐसा चौधरी चरण सिंह जी का कोई निर्देश नहीं है क्या कल या भविष्य में नहीं होगा, इसके बारे में भी कह सकते हैं ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, नारायण दत्त जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की साजिश दिल्ली में उनके दल ने की, यहाँ पर वह साजिश कामयाब नहीं होगी।

(मेजें थपथपाई गयीं)

यह जाहिर है कि श्री राजमंगल पाण्डेय ने जो अपनी सूचना दी है वह 160 सदस्यों की है जिसमें दो आदमी वोट नहीं दे सकते हैं, कितनी गलत बात है और इनके 45 आदमी हैं।

(व्यवधान)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

यह सूचना की बात कहाँ से आ गयी. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य— [* * *]

बैठिये (व्यवधान)

(किसी के चुप रहिए कहन पर।) [* *]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, शान्ति रखें। मैं नेता सदन से भी अनुरोध करूंगा कि जब वह भाषण दें तब उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। इस समय वह न कहें तो अच्छा है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अनुरोध कर दिया है कि जब वह भाषण दें उस वक्त जो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं हैं उसका जवाब दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने साजिश की बात की है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कितनी बार श्रीमती इन्दिरा गाँधी से मिले, कितनी बार श्री कमलापति त्रिपाठी जी से मिले, कितनी बार उमाशंकर दीक्षित जी से मिले ?

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेता सदन ने सूची की बात कही ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नेता सदन से कह दिया है, मैंने सूची की बात को इस समय मुनासिब नहीं समझा और कह दिया है कि वह जब भाषण दें उस वक्त कहें । इसलिए इस समय चर्चा न करें ।

(व्यवधान)

मैं श्री रियासत हुसैन साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय को छोड़ें ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

यह विवाद का प्रश्न नहीं है कि 160 में किसको वोट देने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको जवाब देने का मौका मिलेगा उस समय कह दीजिए ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

यहाँ पर एक मन्त्री ने चुप रहिये, [× × ×] शब्द का प्रयोग किया ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जहाँ तक ला-एण्ड-आर्डर की बात है उसकी चार मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

21 जून, को बुलन्दशहर में चलती ट्रेन में इस्तमाही असमदरी की शर्मनाक वारदात । इसी तरह विधायकों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है । गुजिस्ता दो वर्षों के दौरान सूबे में वरपा होने वाले फिरका वाराना वारदात में 84 अफराद हलाक हो गये । गोण्डा में मैजिस्ट्रेट रेप केस में इनवाल्व हो गये । इसी तरह एक और खबर है हरिजन महिला को साहूकार ने मार डाला, यह कानपुर की खबर है तथा काशी विद्यापीठ में पुलिस ने किस तरह से लोगों को मारा, जिसमें 53 लोग घायल हुए ।

(सदन से बिजली चली गयी ।) (व्यवधान)

(बिजली आने पर)

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि ला-एण्ड-आर्डर की हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है । भ्रष्टाचार इतना अधिक समाया हुआ है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रह गयी है । इस दौरान में आपकी सरकार ने रिश्वत का नाम हक कर दिया है और रिश्वत के स्थान पर हक के नाम में खुलकर रिश्वत का लेन-देन हो रहा है । रिश्वत

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री रियासत हुसैन]

लेने वाला अपना अधिकार—हक समझकर उसे लेता है और देने वाला देता है। आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

मालवीय जी के पास बसों का मुहकमा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, नागालैण्ड की बसें टूरिस्ट बसों के नाम पर फर्जी तरीके से आपके प्रदेश में बेधड़क चल रही हैं। उन्होंने यहाँ कोई कागज नहीं बनवाये हैं, लेकिन रिश्वत के सहारे वह आपको लाखों लाख रुपए की क्षति पहुंचाकर यहाँ लाभ कमा रहे हैं। आप इसे मालूम कीजिए और जाँच कीजिए कि उससे कितना नुकसान हो रहा है। मैं विशेष रूप से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि वह इसका जवाब भी दें। मैंने 24 मई, को इस सदन में एक काम रोको प्रस्ताव किया था और उसमें यह स्पष्ट किया था कि 16 मई की तारीख को मुख्य मन्त्री जी अलीगढ़ तशरीफ ले गये थे और वहाँ से लौटकर 17 तारीख को उन्होंने तफतीश से एक बयान दिया था—श्रीमन, आप उस सम्बन्ध में उस दिन की कार्यवाही मंगा कर देख लें, लिखा हुआ है उसमें, जो उन्होंने उस दिन कहा था कि वहाँ के वाईस चान्सलर प्रोफेसर खुसरो साहब और प्रो वाइस चान्सलर ने उस काण्ड के सम्बन्ध में बड़ा सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है। यह उन्होंने अलीगढ़ की घटनाओं के बारे में स्वयं जाकर देखा था, तब कहा था। उन्होंने यह बयान यह कहकर दिया था कि आप यह बात मत कहिए कि कितना किसका नुकसान हुआ और उन्होंने कहा था कि मैं सत्य का पुजारी हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि वह सत्य के पुजारी थे और सत्य कहना चाहते थे तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों छिपाया कि 10 और 11 की रात्रि में हुई आगजनी और लूट के सम्बन्ध में प्रोफेसर खुसरो और शफी के नाम नामजद रिपोर्ट है, जिसकी सच्चाई को वित्त मन्त्री ने 4 तारीख को कौंसिल में कबूल किया। 7 तारीख के बयान में उन्होंन इसको छिपाया है कि वह भी इसमें मुलजिम हैं। यह सत्य क्यों छिपाया माननीय मुख्य मन्त्री ने? जब गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, अखबारों में गिरफ्तारियाँ छपीं, विभिन्न दलों के मुस्लिम लेजिस्लेटर्स को बुलाया, सबकी पीठ ठोंकी और कहा कि घबड़ाइए नहीं, मुख्य मन्त्री पुराने तजुर्बेकार हैं। 27 कैबिनट मिनिस्टर बना दिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

मेरे पाँच मिनट बीच में, व्यवधान में गड़बड़ हो गये। मैंने 4–22 पर शुरू किया है। पाँच मिनट निकाल दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

एक दो मिनट और बोल लीजिए।

श्री रियासत हुसैन—

पाँच मिनट और दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट में बोल कर खत्म कीजिए।

श्री रियासत हुसैन—

22 कैबिनेट मिनिस्टर बना कर काफी समय निकाल दिया, इसी लालच में कि स्टेट मिनिस्टर और बनेंगे, फिर समय निकल रहा है कि डिप्टी मिनिस्टर बनायेंगे। शायद अगले दिन आयेगा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और बनायेंगे। यह तरीका माननीय मुख्य मंत्री का है, पुराने तजुर्बेकार हैं, इसकी दाद देता हूं। हमारे मन्त्री जी हैं मेडिकल डिपार्टमेन्ट के, उनके पास प्राहिबिशन और एक्साइज भी है। क्या हालत है? प्राहिबिशन है और बराबर शराब बिक रही है। क्या इन्तजाम किया है

सरकार ने रोकने का ? इतना जबरदस्त सूखा पड़ा है जितना इतिहास में नहीं पड़ा। आज किसान अपने सर पर बीस लीटर की पिपिया लिए मिलेगा पानी देने के लिए। इसी तरह कुआँ बन्द हो जाता है रात को नौ बजे, बारह बजे फिर कुआँ चलता है। किसानों की हालत पर गौर कीजिए। आपन डिक्लेअर किया था, लेकिन अब तक वसूलयाबियों में किसान जेल में बन्द किये जा रहे हैं, चाहे मालगुजारी का मतालबा हो, या कोआपरेटिव का मताबला हो, या किसी बैंक का मतालबा हो। बसन्तपुर की, तहसील हवालात में अब भी दो चार आदमी बन्द हैं। यह हालत है।

ईंट का भाव ढाई सौ रुपए हो गया। सरकारी काम बन्द हो गए। आपका रेट 180 रुपए है जिस पर भट्ठे वाले देने को तैयार नहीं। ढाई सौ रुपए से कम पर ईंट नहीं देते। जितनी सड़कें बनी थीं, उन पर पुलियाँ नहीं बनीं। कलेक्टर कहता है कि ईंट नहीं मिलती, कोयले का भाव 45 रुपए तक पहुंच गया। व्हाइट मनी का आदमी, अपनी गाढ़ी कमाई से मकान कैसे बनवा सकता है ? लेकिन ब्लैक मनी वाले के लिए चाहे 45 रुपए हो या 50, वही सारी सीमेन्ट ले जाता है। आपने एक बड़ा तीर मारा। शफाखानों में जो अठन्नी फीस पड़ती थी, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको खत्म कर दिया। अब फिर लगा दिया। फिर अठन्नी वसूल करने लगे। आपने बजट में प्राविजन किया, कि प्राइवेट हाट बाजार खत्म कर दिए जायेंगे, दो करोड़ की आमदनी बजट में दिखला दिया, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुए। आपकी बात पर कैसे यकीन किया जाय ? यह कहा कि इस स्टेट के अन्दर कोई मिड टर्म चुनाव नहीं होगा, जबकि ऊपर के आपके नेता इस बात को आज तक तय नहीं कर सके।

जाहिदी साहब चले गए। बर्क साहब, सम्भल के मामले को लेकर याद रखिए, सम्भल के अन्दर किसी मुसलमान की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। आप ज्यादा जानते हैं और मुसलमानों को सात-सात साल की सजायें शुरु हो गयीं। कहा कि मुसलमानों की दुकाने नहीं जलीं, उनकी दुकाने जलीं। माननीय मुख्य मन्त्री जी का वैसा ही हिसाब है जैसा कि मुसलमान कहें कि मैं दिली मुसलमान हूं, लेकिन खुदा को नहीं मानता हू, उसी प्रकार से वह कहते हैं कि मैं जनता पार्टी का हू और विश्वास करते हैं चौधरी चरण सिंह और राजनारायण में। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

*श्री विजय राज सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री उदित नारायण शर्मा, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री कल्पनाथ सिंह का हमसे सैद्धान्तिक मतभेद क्या है ? कौन से आधार है जिनके आधार पर वह हमसे बिछुड़ गए है ? मेरी समझ में एक ही कारण आता है कि उनके हमसे बिछुड़ जाने का कि उनको मन्त्री नहीं बनाया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं सुन रहा हूं आप भी शान्ति से सुनियेगा।

श्री विजयराज सिंह--

कल्पनाथ सिंह जी, दिल थाम कर बैठिए।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं आपसे कहता हूं कि मैं सुन रहा हूं और आप भी सुनिएगा शान्ति से।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय राज सिंह--

माननीय गणेश दत्त बाजपेयी ने कहा कि मैंने गाँधी की समाधि पर कसम खाई है कि भ्रष्टाचार मिटाने, मंहगाई को बन्द करने, गरीब और अमीर का मतभेद कम करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1974 के जे0 पी0 के आन्दोलन पर किसने हस्ताक्षर किए थे--उस पर हस्ताक्षर हरिश्चन्द्र जी ने, माननीय राम प्रकाश गुप्त ने और रवीन्द्र किशोर शाही ने किए थे। इन लोगों ने अपने नेता विरोधी दल के बारे में चारित्रिक दोष लगाये थे। कहना चाहता हूं कि जो निजी जिन्दगी में स्वच्छ नहीं है वह सामाजिक जिन्दगी में स्वच्छ कैसे हो सकता है . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विजय राज सिंह जी, अपना भाषण जारी रखें।

श्री विजय राज सिंह--

हमारे घर के कुछ साथियों ने यह बात कही थी कि जनता ने हलधर पर मुहर लगाई थी। गरीबों ने उस पर मुहर लगाई थी। किसानों ने हलधर पर अपनी मुहर लगाई थी और इस उद्देश्य से लगाई गयी थी कि आप जनता पार्टी में रहेंगे उसको तोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसीलिए मुहर लगवाई थी कि 12 रुपए मन आलू आप खरीदें और 80 रुपए के हिसाब से बेचें? जब व्यापारियों की हड़ताल हुई थी तो उनकी हड़ताल की वकालत हरीश जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त, हिम्मत सिंह ने की थी। उन्होंने व्यापारियों की हड़ताल की वकालत की थी।

(शेम-शेम की आवाजें)

ऐसा विश्वासघात इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया था। इसलिए वोट नहीं दिया था कि काँग्रेसी लोगों के साथ बैठकर सरकार गिराने का प्रयास करना। अगर हम सभी गलतियों के जिम्मेदार हैं तो मध्यावधि चुनाव में जनता के सामने जाने से क्यों घबराते हो? हम तो चाहते हैं कि आप भी चलिए।

(व्यवधान)

अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल जी जो माननीय राम नरेश यादव की सरकार में राज्य मन्त्री थे, 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करके रायबरेली जेल से बाहर निकले थे।

(अत्यधिक शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय विजय राज सिंह, आप किसी का नाम लेकर न कहें तो अच्छा है। आप नीतियों पर ही चर्चा करें। इस प्रकार से यदि नाम न लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री विजय राज सिंह--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब उन्होंने इन्दिरा गाँधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन किया तो वे किस खेत की मूली हैं। जब वे राज्य मन्त्री हुए तो उसके पूर्व इनकी एक किराने की दुकान थी उद्योग मन्त्री श्री राम प्रकाश जी जब थे तो उनको 20 लाख रुपया 4 प्रतिशत की दर पर रुपया दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग इसी कारण से शासन में आए थे कि जब आयेंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ायेंगे? जनता पार्टी कोई दल नहीं था, दल-दल थी। इसमें जो लोग फंस रहे हैं, वे चीख रहे हैं और

चिल्ला रहे हैं। श्रीमन, एक तरफ तो गाँवों के किसान, मजदूर हैं, शहरों के गरीब लोग हैं और दूसरी ओर मुनाफाखोर और जखीरेबाज है.....

(शोर)

निकट भविष्य में लोक सभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप लोगों की उसमें जमानतें जब्त होंगी।

(व्यवधान)

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से यह अनुरोध करूंगी कि इस सदन में महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इसलिए तहजीब का ध्यान रखेंगे और मैं यह भी निवेदन करूंगी कि आप उनको आदेश दें कि हमारे सम्मानित सदस्य सदन में चर्चा करते समय महिलाओं की उपस्थिति का भी ध्यान रखें। भाषण देते समय लखनऊ की परम्परा के अनुसार सुन्दर भाषा का प्रयोग करें। किसी का नाम लेकर करेक्टर एसेसिनेशन न करें और इस सदन की परम्परा को कलुषित न करने का आपके सामने वायदा करें।

मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है, समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है बल्कि यह इस प्रदेश की पीड़ित, शोषित, दीन और मूक जनता की आवाज है। जो भी भाषण यहाँ पर हो रहे हैं उनसे बिश्वास या अविश्वास का महत्व इतना खास नहीं है, मैं तो अनुरोध करती हूं कि आपको अगर इसका पता लगाना है तो यह सरकार यहाँ लखनऊ की ही गन्दी और अन्धेरी बस्तियों में जाकर किसी से पूछे, यहाँ पर रिक्शे वाले से जाकर पूछें, एक गरीब मोची से जाकर पूछे, फटे पुरान कपड़े बेचने वालों से जाकर पूछे कि उन लोगों को इस सरकार में क्या विश्वास है? यही जवाब हर तरफ से मिलेगा कि नहीं।

हमारे ऊपर यह गलत आरोप लगाया जा रहा है कि हम जनसंघ के साथ समझौता करके यहाँ बैठे है। अगर उन्होंने हमारे अविश्वास के प्रस्ताव को सही तरीके से पढा होता तो उनको ऐसा भ्रम नहीं होता। वे ऐसा आक्षेप न लगाते। अभी हमारी एक बहिन का भाषण हुआ, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, वे एक बहिन है, माँ है, बेटी है, उनको इस शासन ने क्या दिया है? पिछले ढाई वर्ष के इस पार्टी के शासनकाल में महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है। हमारे संविधान में जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं वे भी नहीं मिले हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, उनको वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आज हमारी बहुओं की इज्जत सेफ नहीं है। यहाँ पर जितने भी भाषण हुए किसी न भी महिलाओं के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा भाषण एक राजनैतिक का भाषण नहीं है, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के करोड़ों महिलाओं की मूक आवाज को रखने के लिए खड़ी हुई हूं। एक जमाना था जबकि इस भारत की पवित्र भूमि पर 5 हजार वर्ष पूर्व एक महिला का चीर हरण हुआ था। आज तो घर-घर चीर हरण हो रहा है। आज कपड़ा इतना मंहगा है कि घरों में महिलाओं के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा तक नहीं है। इस जनता सरकार ने महिलाओं के शरीर से कपड़ा तक उतरवा लिया है। आज छोटी-छोटी कन्या, छोटी-छोटी लड़कियाँ घर से बरगलाई जाती हैं और सड़कों पर खुलेआम बेंच दी जाती है। आज औरतों की, कन्याओं की सड़कों के ऊपर, अन्धेरी गलियों में उनकी बारात लगाई जा रही है। आज अस्पतालों में नर्सों के साथ बलात्कार हो रहा है। लोगों ने क्या आवाज लगाई? आप लोगों ने महिलाओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया? मैं उधर के लोगों तथा इधर के लोगों से पूछना चाहती हूं। 'अगर महिलाओं की यही हालत रही, तो आप लोगों के घरों की जो नारियाँ है, उनकी इज्जत को आज बड़ा भारी खतरा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी पूछना चाहती हूं कि जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया है? किसानों को देखिए जब गाँव की ओर चलो, उन्होंने कहा जहाँ पर पैर पड़े सन्तन के वहीं-वहीं बंटाधार। गन्ना किसानों से पूछिए, क्या उनको आपके ऊपर विश्वास है? उस किसान से पूछें जिसके मनों आलू खेतों में सड़ गए, उनको आपके ऊपर विश्वास है कि नहीं? आप उस श्रमिक से पूछें, उस मजदूर से पूछें कि जिसके ऊपर आपके कानपुर में गोलियाँ चलवाई। आप उन महिलाओं से पूछें कि जिनकी इज्जत भी गयी है और गोलियाँ भी चलाई गयी हैं। उनसे आप पूछें कि उनको सरकार के ऊपर विश्वास है कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय मैं 7 मिनट रखूंगा।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। बड़ी अजीब परम्परायें चलती जा रही हैं, जो आपके पास आता है सिफारिश करने के लिए उसको तो बुलवा रहे हैं और जो नहीं जा रहा है, उसको नहीं बुलवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह श्री नेगी जी ने जो आपत्ति की, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। आने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि एक इधर से बोलवा रहा हूं, एक मध्य वालों से बोलवा देता हूं और एक उधर से। तो नेगी जी, जो केवल यहाँ पर आ जायं, उसी को मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मै बड़ा आभारी हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी बनारसी दास के खिलाफ इसलिए मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सारे लोग इस विधान सभा में बैठे हैं और सरकार के लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार किए और चौधरी चरण सिंह ने दल बदल कर किया, तो आप क्या भ्रष्टाचार मिटायेंगे? यही नहीं, माननीय सदस्यों की सारी बहस मैं सुन रहा हूं। सरकार के लोग बैठे हुए हैं, ये लज्जा खाएं। गाँव की हालत जो हो रही है, बगैर अन्न के, बगैर पानी के, बगैर बिजली के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि जनता पार्टी बना कर आए थे और झंडा किसान का उठा कर आए थे, वाह रे बाबू बनारसी दास हम तो आपके साथ रहे, क्या कह रहे थे आप जब काँग्रेस ओ0 की बात कर रहे थे? आज आओ और जो बहस हो रही है जिस नेता के चरणों के बल पर नेता बने थ, माननीय मालवीय जी सामने बैठे थे, माननीय हरी किशन बैठे थ, उस नेता के सम्बन्ध में हमारे सामने लज्जा की बात कही थी, आज भ्रष्टाचार मिटाने की बात क्या करोगे? हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कही, सगा भतीजा रोता रहा उसे दवा नहीं दी जा रही है। हरिजनों के तुम हिमायती बन गये। यह बताओ इस विधान सभा में सारे मुस्लिम लोगों ने अलीगढ़ के दंगों के बारे में क्या नहीं कहा. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मान सिंह जी, आप इधर देख कर भाषण करें।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ वगैरह में हरिजनों पर जिस प्रकार लाठी चार्ज, गोली वर्षा कराई गयी। जनता पार्टी से जीत कर आये लेकिन उत्तर प्रदेश की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार जो रही वह चरण सिंह, राजनारायण की कठपुतली सरकार रही। रोडवेज की हालत बताऊं। 19 मुस्लिम रोजा रखकर भूखे मर कर काम किया और उन्हें तनख्वाह नहीं दी गयी। जो चेयरमैन हैं जिस पर वाजरा काण्ड चला और सारे बदमाश इसी लखनऊ में मौजूद हैं। कहाँ तक बताऊं दोस्तों और साथियों. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

दोस्तों और साथियों को नहीं एड्रेस किया जाता है।

श्री मान सिंह आजाद—

सारे दोस्त हैं, आप भी दोस्त हैं। सामने बैठे हैं, जिनको वोट दिया, जिनकी वजह से यहाँ हैं, गरीबों की बात न कह कर सरकार की मदद कर रहे हैं।

मलिखान कौन है, कौन है मलिखान सिंह, आर0एस0एस0 के मेम्बर हैं। किसानों की बात करते हैं।

हमारे अलीगंज में बैकवर्ड लोगों की बात माननीय मन्त्री जी तब थे हमारे मालवीय जी, माननीय मगौती सिंह जी समाजवादी नेता हैं, जबरदस्ती कब्जा कराया। किन-किन बातों को कहूं। आज कहा जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा इन्तजाम, क्या इन्तजाम कर दोगे, फिर कहा जाता है कि मध्यावधि चुनाव होई। क्या चुनाव करा दोगे, शर्म आनी चाहिए।

(शोर)

जनता का पैसा आज खर्च होने जा रहा है, जनता के हित की बात करते हैं। आज मैं निवेदन करता हूं बाबू बनारसी दास जी से, आज इस्तीफा दो। मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राजमंगल पाण्डेय, नेता विरोधी दल और इन्दिरा कांग्रेस के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन, यह जितने लोग इस हाउस में हैं, चाहे सरकारी दल के हों चाहे विरोधी दल के, उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसका उद्देश्य क्या है? मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या नेता जी जो आज तक हम लोगों के साथ बैठे थे क्या आपका साथ देंगे? यह नारायण दत्त तिवारी जी आपके साथ मिलकर सरकार बना सकेंगे? मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन लोगों का सरकार बनाने में साथ देंगे?

जितने विधायक हम लोग चुनकर आये हैं, वह किस लिए आये हैं, पार्लियामेंट भंग हुई, विधान सभा भंग नहीं होनी चाहिए। जितने लोग चुनकर आये हैं यह नहीं चाहते कि पाँच साल तक हम जनता की सेवा करें। यह चलने वाला नहीं है। आप सरकार बना नहीं सकते, आप सरकार चला नहीं सकते, क्या मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं? क्या सरकार भंग कराना चाहते हैं? क्या चौधरी चरण सिंह के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाकर राजनारायण के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाकर गुमराह करना चाहते हैं? मैं तमाम विधायकों से कहना चाहता हूं कि यह कुर्सियों की लड़ाई है, सभी को कुर्सी मिलनी चाहिए। मैंने कभी मन्त्री बनने की ख्वाहिश नहीं की। हमेशा ही अपनी पार्टी के साथ रहा हूं उसके सिद्धान्तों को, नियमों को माना है। यह भी साफ बता देना चाहता हूं कि भाई लोग क्यों नाराज हुए हैं। मैं कहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। हिन्दुस्तान के अन्दर किसी ने भी इतनी हिम्मत का काम नहीं किया, आर0एस0एस0 की दोहरी सदस्यता को समाप्त करने का फैसला लिया। जब यह लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी]
नहीं माने तो श्री राम नरेश यादव ने इन्हें शासन से हटा दिया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने भी इन्हें मन्त्रि मण्डल से अलग किया। ऐसा क्यों हुआ, मैं बुनियादी बात कहना चाहता हूं। साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाँच वर्ष पूरे करके जनता की सेवा करें। इन्दिरा काँग्रेस के लोग राज मंगल जी का साथ नहीं देंगे। राज मंगल इनके चक्कर में न पड़ें। इसका फल जगजीवन बाबू उठा चुके हैं, मोरार जी देसाई उठा चुके हैं, चौधरी चरण सिंह उठा चुके हैं। हरिजनों का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करिये।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी सदन के सामने सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य श्री हरी सिंह ने फ्लोर क्रास किया है। मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की आपको नोटिस देता हूं, मेरी इस नोटिस को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—
आप लिख कर भेज दें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—
मान्यवर, अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। हर जनतन्त्र के अन्दर विरोधी दल को अधिकार होता है कि वह अविश्वास के प्रस्ताव को लाए। जनतन्त्र के अन्दर पार्टियाँ बनती हैं और पार्टियाँ टूटती हैं, सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं यह हर जनतन्त्र के अन्दर होता है। मैं तमाम सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि क्या जो हमारे देश के अन्दर हो रहा है, वह जनतन्त्र है? बगैर नीतियों के और बगैर कार्यक्रमों के पार्टियाँ टूट रही हैं हैं, लोग दल बदल रहे हैं केवल कुर्सी के लिए। यह जो हो रहा है क्या वह हमारे जनतन्त्र के लिए शोभनीय है? हिन्दुस्तान का जनतन्त्र आज हास्यस्पद स्थिति में हो गया है। हिन्दुस्तान के जनतन्त्र की तमाम दुनियाँ के अन्दर एक मिसाल कायम थी आज तमाम दुनियाँ हिन्दुस्तान पर हंस रही है।

मान्यवर, क्या हो रहा है, वह लोग जिन्होंने 18 महीने इमरजेंसी की यातनायें सही आज इस सदन के अन्दर देखता हूं कि उनका नेता वह आदमी है जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था और सरकार में शामिल था। जिस व्यक्ति ने इमरजेंसी का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उसके समर्थन में प्रस्ताव लाया आज वह नेता बन रहा है उन लोगों का जिन्होंने इमरजेन्सी का विरोध किया।

मान्यवर, क्या यही जनतन्त्र है? कहा जाता है कि यह लोग डिक्टेटर हैं। मैं चौधरी चरण सिंह का समर्थक नहीं हूं. लेकिन जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मलाई खायी और ऐशो-आराम किया और आखिर में अपनी पार्टी को छोड़कर जनता पार्टी में चले गए, क्या यह नैतिकता है? मोरारजी देसाई का नाम मैं नहीं लेना चाहता, गाँधी जी के परम भक्त हैं, सत्य अहिंसा की दुहाई देते हैं, लगातार नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय के पास लिस्ट जाती है तो 25 काँग्रेसी सदस्यों के नाम उनको बिना मरजी के लिस्ट में चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह 25 काँग्रेस के लोग आपके साथ थे भी तो क्या यह दल बदल नहीं है। क्या आप डिफेक्शन को प्रोत्साहन नहीं दे रहे है।

मान्यवर, यही बदकिस्मती है कि मेरे पड़ोसी लोग लगातार आर0एस0एस0 के खिलाफ कहते रहे, जनसंघ को गाली देते रहे और लगातार जनता पार्टी का आह्वान करते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे कि आज जनसंघ को निकाल दें हम आपका समर्थन करेंगे। आज क्या स्थिति हो गई है, जनसंघ यहाँ से निकल गया, जनसंघ उधर चला गया। आर0एस0एस0 वहाँ चला गया, लेकिन माननीय पाण्डेय जी आप मत भुलावे में आयें हमारे जनसंघी भाई हरीश जी बहुत उस्ताद आदमी हैं। आप चिन्ता न कीजिए यकीन रखिए कभी मुख्य मन्त्री नहीं बन सकते हैं, न जगजीवन राम बन सकते हैं। आपको पाण्डेय जी एक शिखण्डी खड़ा किया है जनसंघ वालों ने। आर0एस0एस0 ने शिखण्डी खड़ा किया है। आप मेरे बड़े अच्छे मित्रों में हैं मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप पर आक्षेप करूं। जैसा मैंने कहा एक शिखण्डी खड़ा कर दिया है, वही जगजीवन बाबू का हाल है। आज कहते हैं हरिजन को प्रधान मन्त्री नहीं बनायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं क्या जगजीवन राम 1979 में पहले-पहले हरिजन हुए? क्या 1977 में जब मोरारजी प्रधान मन्त्री बनाये गये थे उस समय जगजीवन हरिजन नहीं थे। क्यों ऐसी सस्ती राजनीति खेलते हो? मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जनता इतनी भोली-भाली नहीं है कि सस्ते नारों पर हम को या आपको वोट दे दे। आज स्थिति वह नहीं है।

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी की तरफ से लगातार वक्तव्य आये कि यह सरकार इसलिए विश्वास का मत प्राप्त करने जा रही है ताकि यह साबित कर सके कि सदन के अन्दर उसका बहुमत है। बहुमत साबित करने के बाद सरकार सदन को डिजाल्व और मिड टर्म पोल करा सकती है। लगातार पाण्डेय जी की तरफ से इस बात की दलीलें आ रही हैं। शायद उनको मौका मिलेगा जवाब देने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आप को यकीन है कि काँग्रेस(आई0) के बगैर अपनी सरकार बना सकते हैं? अगर है यकीन तो उस यकीन के पीछे कौन सी राजनीति है? आपने 160 की लिस्ट दी है। इस राजनीति में भी वही होंगे डिफेक्टर्स, दल बदलू। या तो दल बदलुओं को गाली न दें, उनका विरोध न करें...

(व्यवधान)

हकीकत है मान्यवर, बिना काँग्रेस(आई0) के माननीय पाण्डेय जी सरकार नहीं बना सकते। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को भी यकीन है कि उनके 45 भी सरकार नहीं बना सकते। लाजिकल नतीजा इसका यह है कि प्रदेश के अन्दर मिड-टर्म इलेक्शन हों लेकिन राजनीति में ईमानदारी होती तो माननीय पाण्डेय जी इस बात की माँग करते कि क्योंकि सरकार नहीं बन सकती इसलिए इस सदन को डिजाल्व किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन कायम किया जाना चाहिए, मिड-टर्म-पोल होने चाहिए। ईमानदारी का तकाजा था कि राजमंगल पाण्डेय जी अपने भाषण में इस बात की माँग करते। यह भी नहीं है मान्यवर,.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

दोनों तरफ के दल बदलू चले जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैनेजर सिंह जी को अपने नये और पुराने दोस्तों की अच्छी तरह पहचान है। मेरा तो उन से कोई ताल्लुक नहीं पड़ा।

मैं निवेदन कर रहा था कि नारायण दत्त तिवारी जी प्रस्ताव लाये हैं जाहिर है कि वह इनके साथ मिलने नहीं जा रहे हैं जैसा उनकी बातों से विदित होता है। बख्शी जी की बातों से भी लगता है कि नारायण दत्त तिवारी जी पाण्डेय जी के साथ मिल कर सरकार नहीं बनायेंगे। माननीय तिवारी जी स्वयं इस स्थिति में नहीं हैं कि सरकार गठित कर सकें। लिहाजा उनका भी नैतिक फर्ज था कि इस बात की माँग करते कि चूंकि यह सरकार अल्पमत में आ गई है इससे इस्तीफा देना चाहिए, सदन को डिजाल्व करना चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन न पाण्डय जी कहते हैं न तिवारी जी कहते हैं, क्यों, इस-

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

लिए कि अगर इस बात को कहेंगे तो जो मेरे मित्र उधर बैठे हैं टूट कर इधर न चले आयें। और क्यों टूटेंगे क्योंकि कोई एम0एल0ए0नहीं चाहता कि ढाई साल के अन्दर चुनाव हो।

वास्तविकता यह है। मान्यवर, कि प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर कितना भी बड़ा बहुमत कोई सरकार क्यों न लाये, आज स्थिति यह आ गयी है कि कोई भी सरकार चल नहीं सकती—बन भले ही जाय, क्योंकि जब तक मौलिक समस्याओं का हल नहीं होता, तब तक कोई भी सरकार नही चल सकती। आप तो, मान्यवर, बहुत दिनों से असेम्बली में रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि सम्पूर्णानन्द जी और पन्त जी के बाद भी कोई मुख्य मन्त्री पाँच साल तक कुर्सी पर कायम नहीं रहा और अब केन्द्र के अन्दर भी यही होने जा रहा है। जब तक जनता की समस्या का हल नहीं करेंगे, जब तक गरीबी दूर नहीं करेंगे, जब तक बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं करेंगे, कितनी भी तिकड़मबाजी से बहुमत बनायें, सरकारें चलने वाली नहीं। सरकारें टूटेंगी और पूंजीवादी पार्टियाँ टूटेंगी।

मान्यवर, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं मैं देख रहा हूं कि आशा की नयी किरन फूट रही है। माननीय भगवती सिंह, सी0पी0आई0, और सी0पी0एम0 दो मोर्चों के अन्दर खड़े हैं। आज एक मोर्चा बना है। यह मोर्चा छोटा-मोटा मोर्चा नहीं। केवल 42 सदस्यों का सवाल नहीं। इस नये प्रयोग में तमाम लोग हमारे साथ आयेंगे, कांग्रेस के लोग हमारे साथ आयेंगे और जब यह धारा फूटेगी, तो इस नदी के अन्दर जो वहाँ समाजवादी बैठे हैं, जो यहाँ समाजवादी बैठे हैं, जो समाजवादी दृष्टिकोण को अंगीकार कर चुके हैं ईमानदारी के साथ प्रजातन्त्र कायम करना चाहते हैं, एक नयी दिशा देना चाहते हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि जो दिल्ली के अन्दर हो रहा है, उससे एक नयी दिशा दिखायेंगे और तब वह दिन दूर नहीं कि तमाम वामपंथी लोग, तमाम प्रजातन्त्र में यकीन करने वाले लोग एक धारा में बहेंगे। उसके सामने न जनसंघ टिक पायेगी, न आर0एस0एस0 टिक पायेगा और न पूंजीवादी पार्टियाँ टिक पायेंगी। जै हिन्द।

*श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साल दो साल से कहता आया था कि माननीय पाण्डेय जी को सन्तोष नहीं जब तक कि वह नेता विरोधी दल नहीं बन जायेंगे। आज वही स्थिति हो गयी है। और जब हम कहते थे कि वह नेता विरोधी दल हो जायेंगे, तो वह हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते थे और आज हमको बीच में ही छोड़ कर नेता विरोधी दल बन कर, मुख्य मन्त्री के आमने-सामने बैठ गये हैं और हमें बीच में छोड़ गए हैं। श्रीमन्, आगे भी यही हालत होगी कि पूरी पार्टी को बीच में छोड़ जायेंगे। यही हाल काँग्रेस (आई) का होगा, अगर यह सरकार गिरा पाए। काँग्रेस (आई) का तो यह लक्ष्य ही है। जैसे मोरार जी देसाई को गिराया, चौधरी चरण सिंह के साथ 24 दिन रह कर, 24 दिन के बाद फिर समर्थन वापस कर लिया, याद रखिए पाण्डेय जी, पहले तो वह मौका आने वाला नहीं, लेकिन अगर आ जाय तो काँग्रेस (आई) का कतई भरोसा मत करिए। ये आपके साथ नहीं हैं। ये अपने साथ भी नहीं हैं। यह अपने देश के साथ भी नहीं हैं। मुझे पीड़ा इस बात की है कि मैं उस दल में था। मैंने उस दल में 30 साल बिताए हैं। जिस काँग्रेस ने प्रतिक्रियावादी तत्वों का हमेशा विरोध किया, आज वही काँग्रेस (आई) हाइड एंड सीक का खेल जिसे कहते हैं वह खेल रही है। बिहार में जनसंघ का साथ दे दिया, हरियाणा में भजनलाल का साथ दे दिया लेकिन जब केन्द्र में जगजीवनराम को साथ देने का सवाल आता है तब साथ नहीं देते, तो ये खुद अपने साथ भी नहीं हैं। अगर कोई पार्टी विभाजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक्सपर्ट है तो यह काँग्रेस आई की नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी हैं जिन्होंने काँग्रेस के साथ अपघात किया 1969 में, जिसके मारे हुए आज बैठे हुए हैं बनारसी दास जी, जिसके मारे हुए हम हैं, जिसके मारे हुए मोरारजी देसाई हैं और जिसके मारे हुए 45 आदमी कांग्रेस (ओ) में जनता पार्टी में हैं। मैं जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आज 1969 के बाद 1979 हो गया। मैं केन्द्र में मंत्री था लेकिन 1969 के वाद बराबर विरोधी दल में क्यों रहा ? श्रीमती इंदिरा गाँधी की नीतियों के विरोध में रहा और आज भी उनका विरोधी हूं क्योंकि व्यक्तिवाद को उन्होंने खड़ा किया है। सही बात में लोगों को चोट लगती है....

श्री उपाध्यक्ष---

वे आपकी बात में आनन्द ले रहे हैं, कोई चुभने वाली बात नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र---

श्री पाण्डेय कभी यह आशा न करें कि यह काँग्रेस(आई)की मदद से मन्त्रि परिषद् में बैठ जायेंगे। यह केवल बनारसी दास जी को हटाने को चेष्टा में हैं। उसके बाद आपको भी उतार देंगे। जैसे मोरारजी को उतारा, फिर चरण सिंह को उतारा और फिर जगजीवनराम को। नारायण दत्त तिवारी जी हंस रहे हैं, हम लोग इनकी करतूत का फल भोग चुके हैं। 2---3 वर्ष की इमरजेन्सी में इन लोगों को पैदा कर दिया, नारायण दत्त तिवारी इसके जनक हैं। इनसे इस देश को आगाह रहना होगा। यह कहते है कि हम साम्प्रदायिकता विरोधी हैं। कैसे हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ के भाई भी हमारे मित्र हैं, यह कोई निजी बातें नहीं हैं। लेकिन मैं साम्प्रदायिकता का विरोध हूं और मैं राजमंगल पाण्डेय जी का घोर विरोध करता हूं। खेद है कि राजमंगल पाण्डेय जैसे परिपक्व नेता, मैं तो उन्हें परिपक्व समझता हूं वे शायद न समझते हों, कुछ ऐसे लोगों के साथ में आ गए हैं। यह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। आज शाम तक चलेगी, कल सुबह तक नहीं रहेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज शाम तक की दोस्ती के लिए इस प्रदेश में।

श्रीमन्, जैसा कि नेगी जी ने कहा 1955 के बाद कोई भी मन्त्रि मण्डल यहाँ स्थिर नहीं रहा। मुख्य मन्त्री 6---7---8 आए। दो-दो, तीन-तीन वर्ष रह कर चले गए। इतनी बड़ी पार्टी टूट रही है और टूटने पर तोड़ने वालों को सन्तोष नहीं है। इतना ही नहीं कि टूट गयी बल्कि मन्त्रि मण्डल तोड़ कर जाना चाहते हैं। कोई अगर उस जगह आ जाय तो दुःख की बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हों तो हम वह नहीं चाहते। इस सूखे की स्थिति में मैं देश की नहीं लेकिन खासतौर से प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि हमें प्रदेश को मध्यावधि चुनाव में नहीं डालना है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर बनारसी दास जी का मन्त्रि मण्डल रहा तो मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर पाण्डेय जी का मन्त्रि मण्डल आ जाय, जोकि मुझे एक आध परसेन्ट भी उम्मीद नहीं है, तो कल ही बाध्य करके नारायण दत्त जी कहगे कि आपका गला दबा दूंगा नहीं तो मध्यावधि चुनाव कराओ। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नारायण दत्त तिवारी जी का वक्तव्य आया है कि मैं तो यह नहीं देख रहा हूं कि कौन सरकार गिरती है। यह तो वानर बाँट में अपना फायदा समझ रहे हैं। हो सकता है इनको फायदा हो लेकिन प्रदेश का तो नुकसान है। आज प्रदेश को स्थिरता चाहिए, अस्थिरता नहीं। आज इस सूखे और अकाल की स्थिति में जरूरत है सूखे और अकाल का मुकाबला करन की। लेकिन हम सुझाव दें तो किस को दें ? अगर मजबूत सरकार नहीं होगी तो कौन करेगा ? पाण्डेय जी कहते हैं कि हम लोग गुमराह हैं। हम कतई गुमराह नहीं हैं। मैं तो कहूंगा कि पाण्डेय जी अभी भी हाथ मिला लीजिए और इधर चले आइए।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपने दल के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैंने लिख कर भेज दिया है। मैं ही बोल रहा हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं माननीय मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अधिकार पत्र नेता सदन से मेरे बारे में उन्होंने ले लिया है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

न नेता विरोधी दल से और न नेता सदन से मुझे कोई अधिकार मिलना है, न अधिकार पाना है और न अधिकार माँगना है। मेरा मौलिक अधिकार है, उसके नाते कह रहा हूं। आप इधर आइए मैं भी आपकी मदद करूंगा। वरना आपका कोई स्थान नहीं रहेगा पालिटिक्स में।

आपका यह टेम्पोरेरी एलायन्स नहीं चलेगा। आप सी0एफ0डी0 और बहुगुणा जी के साथ रहे। आप किस गलत गोल में चले गए। नारायण दत्त जी भी गलत गोल में चले गए हैं। दोनों ही, हो सकता है, मिलकर गलत गोल में चले गए हों। आज जो स्थिति है, मेरी निश्चित राय है, मेरी भविष्यवाणी है कि आज यह सरकार रह कर रहेगी और राज मंगल पाण्डेय जी का अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह सरकार रहने जा रही है तो साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान जो चलाया है उसको लेकर खड़े रहें। पूरा प्रदेश और देश इनके साथ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और व्यक्तियों का सवाल भी नहीं है, नीतियों का सवाल है। हम उनके पीछे हैं, दुनिया उनके पीछे है। राजमंगल जी आप भी सुन लें धीरज रख कर या अधीर होकर, मैं नहीं जानता मैं समझता हूं कि अधीर तो आप शाम को होंगे, लेकिन स्थिति यह आ गई है कि रोज-रोज अविश्वास का प्रस्ताव ला कर जो यह मखौल उड़ाया जा रहा है इसके मैं सख्त विरुद्ध हूं। अगर प्रदेश की प्रगति करनी है, क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना है, अकाल से लड़ना है, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाना है तो आपको अवसर देना होगा।

मेरा स्वयं आज के मन्त्रियों की करतूतों से, क्रिया कलापों से मतभेद है लेकिन इस वक्त अवसर नहीं है, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का और नारायण दत्त तिवारी जी उसकी विवेचना करें। पहली बार तीस वर्षों में अपने पार्लियामेंटरी जीवन में मैंने यह देखा है कि एक प्रस्ताव आया, फिर दूसरा प्रस्ताव इतना लम्बा पढ़ कर सुनाया गया, पैरा पैरा जिग हुई जो अभूतपूव है। अभूतपूर्व इस मान में ऐसा लगा जैसे दो प्रस्ताव आए हों। जनसंघ का जो प्रस्ताव आया है उस पर शायद काँग्रेस (आई) को वोट नहीं करना है। एक कहता है कि काँग्रस (आई0) वोट नहीं करेगी अगर जनसंघ का प्रस्ताव होगा, उनका प्रस्ताव होगा तभी वह वोट करेगी। अजीब हालत है। वह कहते हैं मुझे न छुओ लेकिन मैं उनको छू लूं। हालाँकि बात एक ही है। क्या तर्क है ? तिवारी जी की क्या काँग्रेस (आई0) है ? आई है या गई है, मैं नहीं जानता।

आप कृपा करके अपनी विचारधाराओं को बदलने की चेष्टा कीजिए और इस देश के साथ मखौल न करें। दस वर्ष से जो पार्टीज का विघटन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति पर इस देश में है और वह हैं श्रीमती इन्दिरा गाँधी जो आज काँग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने काँग्रेस को तोड़ा जिसके कारण विघटन हुआ काँग्रेस का जनता पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में। नैतिकता को बिलकुल छोड़ दिया गया और नैतिकता से अधिक मूल्य अनैतिकता को दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा एक सवाल है। जब माननीय सदस्य को इन्दिरा जी से इतनी नाराजी थी तो पिछले साल काँग्रेस संगठन को छोड़ कर काँग्रेस (आई0) में इन्दिरा जी के साथ क्यों आ गए थ ?

श्री श्यामधर मिश्र—

नारायण दत्त तिवारी जी इस समय नेता विरोधी दल नहीं हैं इसलिए मैं बैठ नहीं रहा हूं जिसका कि मुझे कानूनन हक है। मैं कह रहा था जिस तरह से कांग्रेस का बंटवारा हुआ, जिस तरह से अनैतिकता को प्रोत्साहन दिया गया, जिस तरह से अप्रजातांत्रिक तरीके से आपातकाल स्थिति लाई गयी, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ वह हम सबके सामने है और वही लोग आज अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं और अपने को बड़ा नैतिक बतलाते हैं। एक ओर कहते हैं कि साम्प्रदायिक तत्वों से लड़ेंगे, दूसरी ओर उनका साथ दे रहे हैं और शायद तब तक दें जब तक सरकार गिरा न दें और बाद में फिर साथ न दें। तो क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है इसे आप स्वयं तय कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि राज मंगल पाण्डेय जी अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर का नाम पुकारे जाने पर तथा कई लोगों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

उनको भी बोलने का अधिकार है। उनका अविश्वास का प्रस्ताव था। लेकिन वे केवल 7 मिनट ही लें।

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव भी था। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव में बहस हुई और मैं आशा करता था कि इस का स्तर ऊंचा रहेगा। नेता विरोधी दल ने भी कोई व्यक्तिगत आक्षेप नेता सदन पर नहीं लगाए। मैं भी यही चाहता था कि इसके अन्दर व्यक्तिगत प्रश्न न उठाए जायं। लेकिन सबसे पहले श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने व्यक्तिगत मामले उठाए और फिर एक माननीय सदस्य ने बुलन्दशहर का मामला उठाया इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मैं भी अपने दल की तरफ से उसी तरह के मामले उठाऊं।

मेरे लायक दोस्त नेगी जी ने और माननीय ऊदल जी ने एक बात कही। श्यामधर जी ने भी कहा लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि वे एक ऐसी औरत के समान हैं जो ससुराल में रहते हुए अपना सारा धन पीहर को भेज देती हैं। क्योंकि वे पी0ए0सी0 के चेयरमैन हैं। उनको यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे सरकार की आलोचना करें, उनकी नीतियों के खिलाफ बात उठायें। लेकिन मैं माननीय नेगी जी और ऊदल जी से कहना चाहता हूं, मैं भी एक समाजवादी हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का आन्दोलन विश्व में रहा है, भारत के आन्दोलन की तरफ भी तो आप देखें। आपको आज बुरा लग रहा है। आप कहते हैं कि 1934 की बनी हुई पार्टी है। आप क्यों भूल जाते हैं कि 1967 में आप जनसंघ के साथ बैठे थे। उस दिन भी आर0एस0एस0 शाखाओं में जाते थे। उनके चेहरे उस दिन भी वैसे ही थे जब उनके दल के लोग मन्त्रि मण्डल में बैठते थे। उस समय सत्ता चलाने की बात थी और झाड़खन्डे राय मन्त्रि मण्डल में थे। आप बड़े क्रान्तिकारी हैं। यदि नारायण दत्त तिवारी ने संजय की एक जूती उठाई होगी तो आपके राजेश्वर राव ने हजारों उठाई होंगी।

सन् 42 की लड़ाई के बारे में कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ रिपोर्ट किसने दी? यह आपकी ही पार्टी थी जिसने सी0आई0डी0 का काम किया। शतरुद्र प्रकाश, सत्य प्रकाश मालवीय को मुख्य मन्त्री बनाना चाहते थे और जब वे नहीं बन पाए तो वे हमसे नाराज हो गए।

आप धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचते हैं। धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। रूढ़ियों में विश्वास करते हैं। प्रदेश में सूखे की स्थिति भयावह हो रही है, लेकिन आपका एक भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

मन्त्री गाँवों में ट्यूबवेल को देखने के लिए नहीं गया लेकिन इनके विदूषक की दाढ़ी मुंड़वाने के लिए विन्ध्याचल में इनके मन्त्रि मण्डल के सदस्य वहाँ पहुंचे . . .

(शेम, शेम की आवाजें)

आज हमारे खेतों में पानी नहीं है, कहीं सूखे की स्थिति है, कहीं बाढ़ से फसलें डूबी हुई हैं। प्रदेश कराह रहा है लेकिन इस स्थिति में सतना में राज नारायण हवाई जहाज में जाते हैं यह देखने के लिए कि चौधरी चरण सिंह का मन्त्रि मण्डल रहेगा या नहीं। क्या यही धर्म-निरपेक्षता है? चौधरी चरण सिंह के मन्त्रि मण्डल बनने से दूसरे ही दिन सबसे पहले ताँत्रिक कपूर को रेलवे का पास दिया गया। राजा राम मोहन राय और गाँधी जी ने हमेशा इसके लिए लड़ाई लड़ी।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस्लाम को मानने वाले बुतपरस्त नहीं होते। इसलिए कोई मुसलमान इनके साथ नहीं होगा। यह गले हुए और सड़े हुए इन्सानों की धूल चाटते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं ताँत्रिक को पूजने वाले और अपनी दाड़ी को विंध्याचल में जाकर मुढ़ाने वाले विदूषक के साथ कभी नहीं रहूंगा। यह मेरे दोस्त बड़े भारी समाजवाद की बात कर रहे थे। मेरे भाई नौटियाल साहब ने 26 जनवरी, 1979 को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा कि 60 करोड़ रुपए की मशीनरी सिंचाई विभाग में बेकार पड़ी है और कहा कि इस मशीनरी को न मंगाया जाय और इसे वापस कर दिया जाय। लेकिन इनके पत्र के बाद 4 करोड़ की और मशीनरी खरीदी गयी इस प्रकार वह 60 करोड़ की मशीनरी आज भी बेकार पड़ी है। यह किसने किया, आपने किया। मेरे दोस्त शतरुद्र प्रकाश ने मंहगाई की बात की तो मैं कहना चाहता हूं कि 5 रु0 बोरी जो आलू बिक रहा है, यह किसने बिकवाया? गेहूं की बात आप कहते हैं, यह किसने बिकवाई? मन्त्रि मण्डल में आपके दोस्त बैठे हैं।

पाण्डेय जी के बारे में कहा गया, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री जी का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता। इन्दिरा गाँधी का एक संजय गाँधी था लेकिन मुख्य मन्त्री जी के तीन संजय हैं। माननीय मुख्य मन्त्री का एक लड़का चार दिन तक यू0 पी0 निवास में मुख्य मन्त्री कक्ष में ठहरा और सारे यू0पी0 के ठेकेदार वहाँ इकट्ठा हुए और उनके साथ सौदा किया। दूसरे लड़के हरेन्द्र अग्रवाल. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अगर मेरी बात झूठी पाई जायेगी तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा। हरेन्द्र अग्रवाल ने एक बी0टी0सी0 स्कूल में जबरदस्ती कब्जा कर लिया और औरतों को मारा-पीटा जिस को कहने पर श्री मन्जूर अहमद और श्री ओम प्रकाश जी एम0एल0सी0 को गिरफ्तार किया गया। उनके लड़के लक्ष्मण दास को पास कराने के लिए नौगढ़ बस्ती भेजा गया. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला एक बार आ चुका है उसकी चर्चा आप न करें।

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं और न ही पाण्डेय जी की प्रसंशा करना चाहता हूं। माननीय नेता, विरोधी दल के विरुद्ध व्यक्तिगत बातें किसने उठायीं। यह काम श्री शतरुद्र प्रकाश ने किया और फिर उधर के दूसरे

साथियों ने किया। मैं कहता हूं कि इनकी सारी बातें झूठ हैं और इस मन्त्रि मण्डल का एक दिन रहना ठीक नहीं है ।

(परिवहन मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें मौका मिलना चाहिए. . .

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

आपने कहा था कि दो उधर से और दो इधर से बोलेंगे. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

एक उधर से एक मध्य से और एक इधर से। मैंने अब श्री सत्य प्रकाश मालवीय को बुला लिया है। मैं अपने हिसाब से ठीक चल रहा हूं ।

*परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री राजमंगल पाडेय का भाषण बहुत ध्यान से सुना और जब उनका भाषण समाप्त हो गया तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि जैसे वह मन से नहीं बोल रहे थे और किसी के दबाव में आकर बोल रहे थे और मुझे पूरी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस दबाव से श्री राजमंगल पाण्डेय जी बहुत जल्दी अपने को अलग कर लेंगे। आज देश में जो एक वातावरण था काँग्रेस (आई0) पार्टी का साथ कौन दल दे रहा है, इस अविश्वास प्रस्ताव से यह स्थिति बिलकुल साफ हो गयी है क्योंकि श्री पाण्डेय जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक वैसा ही प्रस्ताव इन्दिरा काँग्रेस के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी पेश किया है। मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के वर्तमान प्रधान मन्त्री ने यदि श्रीमती इन्दिरा गाँधी से साँठ-गाँठ कर ली होती, तो यह मध्यावधि चुनाव न होता और वह ढाई साल तक प्रधान मन्त्री बने रहते। मैं चौधरी चरण सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने, उनसे मदद लेने को कौन कहे, उनसे टेलीफोन पर बात करने तक से इन्कार कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश में इस समय अनिश्चितता और अस्थिरता का जो वातावरण है वह शीध्र साफ हो जायगा, समाप्त हो जायगा और कल से इस सदन के सारे सदस्य एकजुट होकर एक साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जरा चौधरी जी से पूछ लेना, तब बयान दीजिएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं, इस माननीय सदन के अन्दर इस प्रदेश की सारी जनता का ध्यान 22 मार्च की एक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि एक दल के लोगों ने अपनी ही सरकार को सदन के पटल पर गिराने का प्रयास किया हो ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदन का ध्यान सन् 1959 की ओर दिलाना चाहता हूं, उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्य मन्त्री डा0 सम्पूर्णानन्द जी थ और प्रदेश में काँग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय काँग्रेस पार्टी के अन्दर दो विभिन्न विचारधारा वाले लोग थे—दो गुट चल रहे थे। विरोध पक्ष ने उस समय सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा। तो उस समय 98 असन्तुष्ट पार्टी सदस्यों ने एक मत से एक पत्र लिखकर अपने तत्कालीन मुख्य मन्त्री और काँग्रेस दल के नेता को यह बताया कि आपकी सरकार में हम लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, लेकिन हम सदन के पटल पर इस सरकार के विरुद्ध कभी वोट नहीं देंगे। इस सम्बन्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

में मैं आपका ध्यान एक किताब—'Factional Politics in an Indian State' की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके पृष्ठ 47 पर लिखा हुआ है—.

"In March, 1959, when an opposition motion of no-confidence in the Government was being considered in the U. P. Assembly. MLAs submitted a memorandum to the Government, which was released to the press, declaring that, although they would not vote against the Government, they had no-confidence in it."

इसमें विधान सभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों ने अपने मुख्य मन्त्री से कहा है कि यद्यपि हम आपकी सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन अपनी ही दल की सरकार के खिलाफ हम हर्गिज-हर्गिज मतदान नहीं करेंगे ।

तो मैं कहना चाहता हूं, जो हम पर लाँछन लगाते हैं, उनसे कि क्या जनतन्त्र की हत्या उन लोगों ने नहीं की है, जिन्होंने अपनी ही सरकार के विरोध में सारे विश्व में पहली मर्तबा वोट दिया है। मुझे आशा है कि भविष्य में कोई भी विधान सभा या लोक सभा सदस्य ऐसा कुकृत्य नहीं करेगा। इस बात की भी चर्चा की गयी कि कुछ लोगों ने अपन दल को बदला है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 8 दिसम्बर, 67 को लोक-सभा सदस्यों ने एक समिति बनाई, उसमें बहुत से लोक सभा सदस्य थे और साथ ही उसके एक सदस्य लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी थे। यदि अपने दल के चुने हुए लोग, चाहे विधान सभा में बैठते हों या लोक सभा में बैठते हों, लेकिन और दल के निर्देश के विरोध में विधान सभा या लोक सभा में वोट देंगे तो ऐसे लोगों की सीट स्वयंमेव रिक्त हो जायगी। उसी में इस बात की संस्तुति की गयी है कि कुछ लोग जिस दल से चुनकर आते हैं यदि अपने दल को छोड़ देते हैं, स्वयमेव सीट रिक्त हो जायगी लेकिन अगर ऐज एरिजल्ट आफ स्पिलिट होता है तो सीट रिक्त नहीं मानी जायगी। 1973 में उसी आधार पर पालियामेंन्ट में एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसको 16 मई, 1973 को प्रकाशित किया गया। उस बिल के प्राविधानों की ओर केवल इस लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे इस सम्बन्ध में जो भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है वह साफ हो जाय :

"(2) A person shall be disqualified for continuing as member of either House of Parliament—

(a) if he, having been elected as such member, voluntarily gives up his membership of the political party by which he was set up as a candidate in such election or of which he became a member after such election;

(b) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by such political party or by any person or authority authorised by it in this behalf without obtaining prior permission of such party, person or authority."

इसका तात्पर्य है हिन्दी में कि यदि कोई संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य किसी दल से चुन कर आता है दल के प्रत्याशी के रूप में, अगर वह लोक सभा या विधान सभा में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो स्वयमेव उसकी सीट खाली हो जायगी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो संस्तुति की थी उसी के आधार पर बिल पार्लिया-

मेन्ट में प्रस्तुत हुआ। यदि वह पारित हो गया होता तो उस समय जितने सदस्य बैठे हुए थे सारे के सारे, उनकी सीट रिक्त हो जाती ।

इसके आगे लिखा है——

"(3) Notwithstanding anything in clause (2), a member of either House of Parliament shall not be disqualified under sub-clause (a) of clause (2) on the ground that he has voluntarily given up his membership of any political party if he has given up his membership of such political party by reason of a split therein."

श्री मैनेजर सिंह——

यह सब सही बात कह रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय——

आप तो लोकनायक के चेले हैं। इसका अनुवाद यह है कि यदि कोई सदस्य एज-एरिजल्ट आफ स्पिलिट पालिटिकल पार्टी अपने दल को छोड़ देता है ऐसी सूरत में डिफेक्शन नहीं कहलाया जायगा। इसमें साफ लोकनायक जय प्रकाश जी की समिति ने सिफारिश किया था। उसको ले कर पार्लियामेंन्ट में 1973 में एक बिल प्रस्तुत किया गया जो दुर्भाग्यवश पारित नहीं हो पाया। जो आज भ्रमित किया जा रहा है, कि कुछ लोगों ने दल बदला है, बिलकुल गलत है।

मुझे यह कहने में बहुत दुख हो रहा है जब हम लोग जेल में थे, जब इमरजेंसी लगी हुई थी और 1977 तक बराबर जेल में रहे, 15 अगस्त, 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का लाल किला में भाषण होता है। उसके बाद सितम्बर में, जब संवैधानिक परिवर्तन करके सर्वोच्च न्यायालय में राजनारायण जी के मुकदमे के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की और उसको जितवाया तो बालाराव जी देवरस एक पत्र लिखते हैं, जिसमें 15 अगस्त, 1975 के श्रीमती इन्दिरा गाँधी के भाषण का धन्यवाद देते हैं। उनके प्रति देश की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम की स्तुति करते हैं। दोबारा जब सितम्बर में सर्वोच्च न्यायालय से अपील स्वीकार कर ली जाती है तो देवरस गुरु जी दूसरा पत्र लिखते हैं और उसमें स्तुति करते हैं। आपातकाल से छूटने के बाद मैंने जानकारी किया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने जेल में रहते हुए अकेला लड़का और अपना बाप खोया, कोई भी उस पार्टी से सम्बन्ध नहीं रख सकता जिसका सम्बन्ध इन्दिरा गाँधी से हो।

मुझे बताया गया कि यह रणनीति थी, बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन कर दिया, जेल से छूटने के लिए श्रीमती इन्दिरा देवी की स्तुति की, याचना की। जितने भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं, सब लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, बुद्धजीवी हैं, निश्चित रूप से उस देवरस जी के पत्र को पढ़ा होगा। और इस सम्बन्ध में अगर कोई भ्रम होगा तो मुझे पूरी आशा है कि आप उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। अभी सत्यदेव त्रिपाठी जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार की सरकार को किन लोगों ने बचाया है। बिहार की सरकार को श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बचाया और यहाँ पर उन्हीं के दल के लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया है। मैं कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष इस प्रदेश में अस्थिरता का वातावरण लाना चाहते हैं। 158 की जो सूची दी है अगर उसको सही मान लिया जाये और तिवारी जी के 45 सदस्यों को लेकर 190 के करीब होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और श्यामधर मिश्र जी ने इस बात को बिलकुल साफ कर दिया है कि बनारसी दास जी के नेतृत्व में मध्यावधि चुनाव नहीं होने वाले हैं। मध्यावधि चुनाव की कोई सम्भावना है नहीं, तो राज मंगल जी किस प्रकार से इसको गिराने में लगे हुए हैं और वह किस प्रकार सरकार को बनाने की बात सोच रहे हैं।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मान्यवर, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात कही गयी है और उसकी बड़ी चर्चा की गयी हैं। मैं इस बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1937 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं अगर पूरी जानकारी करें तो आपको मालूम हो जायगा कि पूर्व में जितने भी मन्त्रि मण्डल बने हैं उनमें आज के मन्त्रि मण्डल से ज्यादा अल्पसंख्यक मन्त्री नहीं रहे। आज के मन्त्रि मण्डल में 4–4 सदस्य, अल्प संख्यक के रखे गये हैं। यह इस बात का सबूत है कि आज की जो सरकार है वह धर्मनिपेक्ष है, लोक ताँत्रिक सरकार है और समाजवादी सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है और विश्वास ही नहीं है बल्कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि डेढ़ घंटे के बाद भी तिवारी जी की साजिश से और इन्दिरा गाँधी की साजिश से जो अविश्वास का प्रस्ताव रख गया है, वह बुरी तरह से गिर जायगा। चौधरी चरण सिंह ने स्वयं संस्तुति की थी कि लोक सभा को भंग कर दिया जाय और हम जनता के सामने जाय और वह दिन दूर नहीं है जबकि चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सरकार बनेगी और जो अस्थिरता का वातावरण हैं, वह दूर होगा। जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको आप सभी लोग गिरा दें।

(श्री उदित नरायन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मन्जूर अहमद––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप व्यवस्था दें। आप विरोधी दल के किसी भी सदस्य को समय नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका भी नम्बर आ जायेगा। आप बैठिए।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)––

आप कोई रेशियो रखें। आप अनुपातिक ढंग से चलें तो सभी को अवसर मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

मैंने श्री उदित नरायन शर्मा को बुला लिया है। मैं तो कोशिश यही करता हू।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुखद और कठोर कर्त्तव्य है कि मैं आज माननीय बनारसी दास की सरकार के विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अविश्वास का प्रस्ताव संदन में प्रस्तुत है, उसका असली मुद्दा क्या है, उसको आप समझने की कोशिश करें। मान्यवर, इसके साथ वह बात भी जुड़ी हुई है कि जो आज आपने सुबह अपने निर्णय द्वारा दी थी। उस समय जो यहाँ पर चर्चा हो रही थी, इतना हल्ला हो रहा था, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं भी खड़ा होकर कुछ कह सकूं। खड़ा तो हुआ था लेकिन उसके लिए उचित माहौल नहीं था। आपने इस सदन के अन्दर 2 दलों को 2 नाम दे दिए हैं––एक को आपने 'राज मंगल पाण्डेय की जनता पार्टी' और दूसरी को 'माननीय बनारसी दास की जनता पार्टी' कह दिया। यह निर्णय आपने इसलिए दे दिया कि आपने असल मुद्दे पर उत्तर देना या निर्णय करना मुनासिब नहीं समझा मेरा निवेदन है कि आपको करना चाहिए था।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर दो ही मानी हुई पार्टीज हैं। एक जनता और एक है जनता (एस0) और वे ही दोनो पार्टीज ठीक उसी तरह से इस सदन में भी मौजूद हैं। फिर क्या वजह थी कि आपको यह नहीं मालूम हो रहा था कि कौन जनता पार्टी है और कौन जनता (एस0) है? मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी

को जितनी निष्ठा माननीय चौधरी साहब में है उससे भी कहीं अधिक माननीय राज नारायण के प्रति है और यह ठीक है। तुलसी दास जी ने कहा है कि "राम से अधिक राम कर दासा"। इनके राम ने और हनुमान, दोनों ने जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने आपको जनता (एस0) का नेता घोषित किया। राजनारायण जी इस्तीफा देकर जनता (एस0) के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बावजूद दोनों में निष्ठा व्यक्त करते हुए भी आपने जनता (एस0) में निष्ठा व्यक्त नहीं की। यह कितनी विचित्र बात है? मैं अपने दोस्तों की बात से सहमत हूं कि 26 तारीख को शासक दल के सदस्यों ने दो माँग की थी कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जनता पाटी म हैं या जनता (एस0) में। इसकी घोषणा से बात साफ है कि आप जनता (एस0) में हैं और हम जनता पार्टी में हैं। यह बात ठीक है या गलत है? मैं तो यह कहता हूं कि जो भी आप काम करें वह दिलेरी के साथ करें। आपको बिना संकोच के इस दल को जनता और उस दल को जनता (एस0) कहना चाहिए था। मुख्य मन्त्री जी ने जब कह दिया कि उनका विश्वास श्री राजनारायण और श्री चरण सिंह में है, तो निश्चय ही उन्होंने अपनी निष्ठा जनता (एस0) में प्रकट कर दी। यह बात तो ऐसी साफ है जैसी कि एक दर्पण। यह सब होते हुए भी आखिर माननीय बनारसी दास जी इस बात को तस्लीम करने में क्यों दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, कि वे जनता (एस0) में हैं और उनका दल जनता (एस0) है? वे जनता में नहीं हैं। इतना सब कुछ साफ होने के बाद आपका फैसला तो यही होना चाहिए था कि वह दल जनता (एस0) है, यह दल जनता है।

अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूं। दुर्भाग्य से जो यहाँ पर विवाद हुआ करते हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं हुआ करता, लेकिन कभी-कभी मित्र उस स्तर को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। माननीय विजयराज सिंह जी ने जो कहा मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, माननीय बनारसी दास जी ने वही कहा होता तो दूसरी बात थी। मुझे नहीं मालूम कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने क्या कहा पर उन्होंने या मैंने माननीय विजयराज सिंह जी से तो यह नहीं कहा होगा कि हमें मन्त्री बनवा दीजिए। ऐसी गलत बात उनको नहीं कहना चाहिए। वे पहले खुद ही बन जायं, जरूरत से ज्यादा खुशा-मद वे क्यों कर रहे हैं? जो विवाद और तर्क में हारता है वही इस तरह की बातें करता है। आखिर, वे क्या जवाब दें? क्यों उदित नरायन और माननीय कल्पनाथ सिंह जी यहाँ बैठ गये? जब इसका कोई जवाब नहीं था तो यही कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि मन्त्री नहीं बनाए गए, इसलिए विरोध पक्ष में बैठ गए। उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं।

नैतिकता की बड़ी बात कही जा रही है। मालवीय जी ने भी एक बात कही। यह कहा गया कि माननीय राजमंगल जी के खिलाफ कभी जयप्रकाश जी ने कुछ कह दिया था। श्री जय प्रकाश जी ने कभी यह तो नहीं कहा कि उन्होंने स्वयं उसको देखा था। आज तो इस तरह की चरित्र हत्या का रोजगार हो रहा है। उसमें बड़े नेता को भी बरगलाया जा सकता है, उनको गलत सूचना दी जा सकती है। मगर मुझे ताज्जुब इस पर हो रहा है, एक कहावत है हमारे बुन्देलखण्ड में कि "सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद हों"। अजीब बात है।

(व्यवधान)

माननीय चौधरी चरण सिंह ने बहुगुणा जी के खिलाफ जो पत्र लिखे। क्या लिखा यह मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा और क्या बहुगुणा जी ने लिखे, मगर आज बहुगुणा जी ही चौधरी चरण सिंह की सरकार में मन्त्री हैं।

(व्यवधान)

जो लोग काँच के मकान में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले विचार करना चाहिए। हमारे मालवीय जी ने जो पढ़कर सुनाया और बड़ी वकालत की वह अगर पास हो जाता तो

[श्री उदित नरायन]

स्वत: इस दल में यह न रह जाते और उस सूरत में माननीय चौधरी चरण सिंह तथा श्री राजनारायण जी का क्या होता ? वे सदस्य न रह जाते। मैं जानना चाहता हूं माननीय मालवीय जी से जानना चाहता हूं यदि वह पास हो गया होता तो माननीय राजनारायण जी और माननीय चौधरी साहब कहाँ रहते, उसका कुछ पता है ? उसका कोई पता नहीं है और मालवीय जी के बारे में मैं नहीं कह सकता। तो श्रीमन्, दूसरी बात मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बातें करना और नैतिकता के बारे में इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। आज किस दिलेरी के साथ राजनारायण जी पार्टी को तैराते रहे हैं। हमारे आरिफ जी बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण है। इनको यह देख लिया गया कि आजमगढ़ के चुनाव म इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था। तो श्रीमन्, उन्हें बिना नोटिस के निकाल दिया गया। नोटिस देना चाहिए था। हमारे यहाँ शिव नन्दन जी हैं जिन्हें आज कल इनाम दिया गया, उन्होंने पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ लिया, हमारे इग्जीक्यूटिव के मेम्बर बनाए गये, फिर पार्लियामेंट के मेम्बर बनाए गए। श्रीमन्, राजनारायण जी स्वयं बड़े हैं, चौधरी साहब ने अपनी पार्टी के प्रति जिस प्रकार से विश्वासघात करने का कीर्तिमान उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जोकि कभी जा ही नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी तो स्पीकर बनना चाहते थे....

(व्यवधान)

(श्री आरिफ मोहम्मद खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मन्जूर अहमद--

मुझे आप इतना बता दें कि मुझे समय मिलेगा कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यदि समय बचेगा, तो मिलेगा, वरना नहीं।

श्री मन्जूर अहमद--

आपने मुझसे वायदा किया था।

श्री उपाध्यक्ष --

मैं कोशिश करूंगा, अगर समय बचेगा, तो अवश्य मिलेगा।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आज मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहूंगा कि आज से सवा साल, डेढ़ साल पहले जिस पार्टी की हुकूमत थी, उससे पैदा होने वाले जो खतरे थे, जिसकी वजह से मैंने इस पार्टी को छोड़ा था और जो एक सम्भावनाएं थीं, जो मेरा अन्दाजा था, वह मेरे अन्दाजे एक साल में पूरे हो गये। मुझे निहायत खुशी है कि साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी गठबन्धन जो हुए थे, श्रीमन्, दो-दो खतरे इस मुल्क के सामने पैदा हो गये थे। जहाँ साम्प्रदायिक शक्तियां और फिरकापरस्ती शक्तियाँ, जो मजहब के नाम पर दंगे कराते हैं और जो गाँवों में हरिजनों का वोट नहीं पड़ने देते, मुझे बड़ी खुशी है कि वह गठबन्धन टूट गया और वह खतरा बन्द हो गया है।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है, मेरे नेता माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन श्रीमान्,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ एक बात और कहूंगा पिछले 3 माह से अखबारों में छपने वाली बातें श्री मालवीय जी के भाषण, जिस पार्टी से सम्बन्ध है उनके अध्यक्ष के रोजाना भाषण, दूसरे नेताओं के भाषण जो कुछ अखबारों में छपता है, साम्प्रदायिकता के खिलाफ संकीर्णता के खिलाफ अगर यह सब सही है तो मैं महसूस करता हूं कि इसका विरोध किया जाये या नहीं। अगर किसी दिन भेड़िया आकर बकरियों से कहने लगे कि मैं बकरी बन गया हूं और बकरी उनकी बात मान लें? उसी प्रकार से जैसे पंचतन्त्र की घटना है एक बुड्ढा बगुला मछली पकड़ने में असमर्थ था, मछलियों से कहने लगा कि मैं शाकाहारी हो गया हूं और मछलियाँ खाना छोड़ दिया है। फिर एक दिन आकर भविष्यवाणी करता है कि इस तालाब म सूखा पड़ने वाला ह तो मछलियों ने कहा कि आप सन्यासी हो गये ह, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इसलिए श्रीमन्, मैं मानने को तैयार हूं कि अगर जनता सेक्युलर है तो पार्टी या दल सेक्युलर हो जाता है। तो मान्यवर, सेक्युलर के नाम पर मैं पुराने भाषण ही सुनता हूं। आज भारत में 32 साल में पहली बार लाल किले की दीवार से इजरायल की तरफ जुमला किया गया। अरब, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी इकानामी सेटिल हो गयी, लेकिन इजरायल की तारीफ में हमारे प्रधान मन्त्री ने....

(व्यवधान)

अगर इजाजत दें तो मैं बोल लूं। ये लोग ऐसा व्यवधान पैदा करते हैं। हरी टोपी लगाने वाले सेक्युलर होते हैं। यहाँ हरी टोपी लगाने वाले लोग थे जो उर्दू के लिए आन्दोलन चलाए वे अगर.....

(व्यवधान)

देखिए तकरीर करने दीजिए बीच में व्यवधान न कीजिए। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे क्लास लगायें। ये मिनिस्टर हैं।

उर्दू तुर्कों, मंगोलों की जबान है। उर्दू विदेश से आई है। अगर इसकी तरक्की करनी है तो उसकी लिपि बदलनी होगी। श्रीमन्, मेरठ और बुलन्दशहर में रहने वाले गढ़ मुक्तेश्वर काण्ड भूले नहीं हैं। माननीय राम नरेश जी ने हिम्मत करके बहादुरी का फैसला लिया, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उन्होने पाबन्दी लगाई शाखाओं पर, जनसंघ के लोग नाराज हुए, स्वाभाविक था, लेकिन.....

(व्यवधान)

आर0एस0एस0 की शाखाएं नहीं लगने दी जायेंगी। माननीय बनारसी दास जी ने मुख्य मन्त्री होने के बाद, इस हाउस की प्रोसीडिंग में है, बनारसी दास जी ने कहा कि यह आर्डर केवल आर0एस0एस0 के लोगों के लिए नहीं है। यह तो काँग्रेस(आई0) पर भी है, जनता पार्टी पर भी है, कम्युनिस्ट पर भी है। माननीय रामनरेश जी के लिए मैं मान सकता हूं कि उन्होंने एक सही फैसला किया था बनारसी दास जी ने धरासाई कर दिया उस फसले को। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर का जुम्ला कहता हूं जो उन्होंने कहा मेरे जाने पर, उन्होंने कहा कि यदि विरोधी दल ने लोक सभा और विधान सभा में तत्परता न दिखाई होती, अगर उसने मुकाबला न किया होता तो मुख्य मन्त्री जी ने जिस प्रकार का उत्तर दिया था, इस यूनिवर्सिटी के लोग उन पर हमला करते। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं, सम्भल के बारे में, किसी ने बात नहीं की सम्भल के बारे में, सम्भल पर जुर्म हुए, उसकी निन्दा की जानी चाहिए। अलीगढ़ के साथ सम्भल की बात की जाती है। सम्भल की बात अलीगढ़ के साथ क्यों की जाती है। एक बड़े उर्दू के शायर के शेर को पेश करूंगा––

बुलबुले उठते हैं दिल में देखकर उनका जमाल,
हैसियत होती है पस्त उनकी नजर को देखकर।

यह भी होता है कि एस0पी0 की पिटाई आपके रहते बनारस के सर्किट हाउस के बाहर होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज शाम को जायेगी। चेतराम

[श्री आरिफ मोहम्मद खाँ]

गंगवार के ऊपर बरेली अस्पताल में जो जुर्म हुआ उस पर हेल्थ मिनिस्टर ने चिकित्साधिकारी को यह करने के लिए हिम्मत बढ़ाई। अगर सरकार चली गयी तो चेतराम गंगवार पर कुछ नहीं हुआ। [* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आपने क्या कहा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैंने यह कहा कि इनके ऊपर भी वही होगा जो चेतराम गंगवार जी के साथ इन्होंने कराया।

श्रीमन्, मैं अपनी बात कह दूं। दो मिनट मेरे हैं अभी। मछली के काँटे वाला हाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय समाप्त हो गया।

(श्री खान गुफरान जाहिदी को पुकारे जाने पर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं बैठूंगा नहीं। श्रीमन्, इन्हें बैठाइए दो मिनट लूंगा। श्रीमन्, जिस तरह मछली को काँटे का चारा खिलाया जाता है लोहे को छिपाने के लिए। मछली कांटा नहीं देखती लोहे का, चारे को देखती है। उसको खाने के चक्कर में ऐसी फंसती है कि निकल नहीं पाती। वैसे यहाँ सेक्युलरिज्म का चारा फेंकना चाहते हैं अपने काँटे को छुपाने के लिए। मुझे यकीन है कि देश की जनता इनके कहने में नहीं आएगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

जनाबे वाला, जब बेगम साहिबा बोल रही थीं तो उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि काँग्रेस (आई0) और राजमंगल की जनता पार्टी का एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ रहा है। मैंने सोचा था कि जवाब बड़े अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कुछ बातें जिनको साफतौर पर कह कर भी नहीं कहा गया है उनको क्लियर करना चाहिए। मसलन काँग्रेस (आई0) और जनता पार्टी के बारे में अभी हमारे माननीय सदस्य गणेश दत्त बाजपेयी ने कहा था कि "इकबाली मुजरिम" तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि 26 महीने की जो नो-काँफीडेन्स-मोशन की बात नारायण दत्त तिवारी ने कही, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लाया था लेकिन आज लाया, तो क्यों ? उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के बारह आदमी हमारी तरफ और 5 आदमी उनकी तरफ हैं। अगर यही देख लिया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि 49 मुसलमान मेम्बर हैं उनमें से 32 आदमी हमारी तरफ हैं। इसी से आप सेकुलरिज्म का अन्दाजा लगा सकते हैं कि कौन सेक्युलर है। बेगम साहिबा ने कहा कि दिखावे के लिए सेकुलरिज्म वाले साथी दूसरी तरफ मिल जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि हमने लोक सभा में यह काम किया, 24 दिन की सरकार बना ली और गिरा ली। असल में मध्यवर्ती चुनाव कराने वाले यह लोग हैं और यही लोग चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। मान्यवर, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि. . .

(शोर)

मैंने किसी के बोलने में व्यवधान नहीं डाला है, आपको मेरी बात सुननी होगी, सन्जीदगी से सुननी होगी। अभी फसादात का जिक्र किया गया, बेरोजगारी का जिक्र किया

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया लेकिन आज 30 साल का रिकार्ड बताता है कि काँग्रेस में जवाहर लाल जी के बाद इन्दिरा जी का सबसे लम्बा दौर रहा है और उसमें 20 हजार फसादात हुए ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें)

मैं पूछता हूं कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो रियासती सर्विसेज की सतह पर अकलियतों की नुमाइन्दगी सिर्फ 12 परसेंट थी, लेकिन आज घटकर वह 1 परसेंट कैसे रह गई है ? इन 30 सालों में किसने हुकूमत की। आप अकलियत की बात करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम अकलियत किरदार जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का था उसको किसने खत्म किया था, काँग्रेस ने खत्म किया था जो लोग उधर बठे हैं।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें ।)

नारायण दत्त तिवारी जी पहले नो कान्फीडेन्श मोशन किस लिए नहीं लाए, बात यह थी कि हमारे साथी जो यह खास विचारधारा के थे वह हममें शामिल थे इसलिए नहीं लाए। सारे सूबों में जहाँ-जहाँ जनता पार्टी की सरकार बनी इंडस्ट्री का मुहकमा जनसंघ के लोगों को क्यों दिया गया ? हमारे यहाँ अन्धे, हुनरमन्द लोगों को मोम का लाइसेन्स न देकर एक खास विचारधारा के लोगों को दिया गया। आपके साथ राम प्रकाश जी बैठे हुए हैं। सिविल सप्लाई में देख लें, सीमेन्ट का लाइसेन्स फतेहपुर में कितना दिया गया। सीमेन्ट का लाइसेन्स एक खास विचारधारा के लोगों को दिया गया, 100 परसेन्ट उन्नाव को दिया गया जो एक विचारधारा के लोग थे। ऐसा नहीं है कि नारायण दत्त तिवारी जी ने किसी मोहब्बत में ऐसा नहीं किया ।

"एक चेहरे को इसी चेहरे पर लगाए रखिए,
लोग पहचान न लें खुद को छिपाए रखिए ।"

आप देखें विचारधारायें एक हो रही हैं। अगर नहीं होती तो पी० सी० सेन पश्चिमी बंगाल में काँग्रेस से समझौता नहीं कर रहे होते। नानाजी ने जरूर टिप्पणी की इस पर। देखना है कि ये क्यों मिलना चाहते हैं। काँग्रेस जिसकी प्रेसीडेंट इन्दिरा गाँधी हैं वह तानाशाही पसन्द हैं ।

हमारे विपक्ष में जो बैठे हुए हमारे ऐसे साथी भी हैं जो तानाशाही पसन्द हैं। नीचे से ऊपर तक एक ही विचार धारा है। जब तक वे एक ही विचारधारा में शामिल नहीं रहे नारायण दत्त तिवारी जी यह प्रस्ताव नहीं लाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके जमाने में बिजली की कमी नहीं रही, कानपुर में कारखाने बन्द नहीं हुए ? बड़े होशियार हैं, घुमा फिरा कर बाते करते हैं। आज सब बातें खुल गयीं। राम सुन्दर दास की किस तरह से मदद की है। यह सब विचारधारायें मिलने जा रही हैं। ऊदल जी ने इस तरफ इशारा किया था। मैं दावे के साथ चैलेन्ज करता हूं कि सेक्यूलर और सोशलिस्ट को शिकस्त देकर इसे हमेशा के लिए ये नेस्तनाबूद कर देंगे ।

श्री अशफाक अहमद खान (जिला गोंडा)—

मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। श्रीमन्, एक शेर अर्ज है—

हमारे याँ की सियासत के हाल मत पूछो,
घिरी हुई है तवाइफ तमाश-बीनों में ।

श्रीमन्, दूसरी आजादी प्राप्त करने के बाद देश के चन्द कर्णधारों ने मानवता के महापुजारी बापू की समाधि पर जाकर कहा था कि "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय पर वचन न जाई" लेकिन मान्यवर, मैंने इतिहास देखा है। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति बलात्कार करने वालों के नाम अच्छी तरीके से जानता हूं। श्रीमन्, दस दिन के दल बदलू

[श्री अशफाक अहमद खान]

दुनिया के सबसे बड़े प्रजातन्त्र की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ कर हमको सिद्धान्त बताते हैं। मान लीजिए कि उस समय हम सरकार के खिलाफ वोट करके अंगूठे तक कीचड़ में डूबे तो ये गर्दन तक डूब गये लेकिन हमारे सिद्धान्त और आपके सिद्धान्तों में फर्क है। हमने किसी स्नेहलता रेडडी की लाश पर कदम रख कर इन्दिरा गाँधी के पैर नहीं छुए। हमने मुजफ्फर-नगर.....

श्री उपाध्यक्ष——

क्या कहा आपने, फिर दोहराइए.....

श्री अशफाक अहमद खान——

हम अगर इस शासन के खिलाफ वोट करके घुटने तक कीचड़ में डूबे तो ये गर्दन तक डूब गए। मगर फिर भी इनके सिद्धान्तों में और हमारे सिद्धान्तों में फर्क है। हमने किसी स्नेहलता रेड्डी की लाश पर पैर रखकर इन्दिरा गाँधी के पैर नहीं छुए। हमने उन बेसहारा माताओं, बहनों और भाइयों को जिन्होंने इमरजेन्सी में गोलियाँ खायीं, निराश नहीं किया। उनके सामने जाकर, श्रीमन्, ये क्या जवाब देंगे कि हमने कुर्सी के लिए पार्टी छोड़ दी। कल जब मैं अलीगढ़ देंगे पर बोला तो बड़ी वाह-वाही हुई। आज मैं इधर हूं तो कम्युनल हो गया। उधर बोला तो सेक्युलर था, इधर आ गया तो कम्युनल हो गया। श्रीमन्, इनके सेकुलरिज्म के सिद्धान्त को पूछना चाहें तो मैं तो कहूंगा कि दुनिया या हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा कोई साम्प्रदायिक है तो वह राजनरायन है, राजनरायन है, राज नरायन है। क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में वह हिन्दुओं और मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देता।

श्री उपाध्यक्ष ——

कृपया बाहर के आदमी का नाम न लें।

श्री अशफाक अहमद खान——

मान्यवर, सेकुलरिज्म की आड़ में खरीदारी की जाय, यह ठीक नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों, याद रखें। हम रातोरात बिक जाते हैं और हमारे नेता राज नरायन, चौधरी चरण सिंह और बहुगुणा बन जाते हैं।

(व्यवधान)

सच्चाई बड़ी कड़ुवी लगती है। मैं ने बड़े सब्र से सुना, अब आप भी कृपया सुनें। मान्यवर, सी0पी0आई0 के सम्बन्ध में ऊदल जी ने बात की। मुझे यकीन नहीं होता कि इनको अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान नहीं है और अगर नहीं है तो मैं बताऊं। सी0 पी0आई0 का अगर नकाब नोचें तो अफगानिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत खत्म करने की साजिश की और खत्म कर दिया। चेकोस्लोवाकिया में भी देख लिया। और ऊदल जी कहते ह हम साम्प्रदायिकता का विरोध करेंगे। अरे, किसी बैसाखी के सहारे विरोध करेंगे? खुद अपने पैरों पर नहीं। कैसे साम्प्रदायिकता का विरोध करेंगे?

श्री ऊदल——

मान्यवर, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, मुसलमानों की नहीं।

श्री अशफाक अहमद खान——

मान्यवर, उधर से बहुत शोर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष——

आप अपनी तरफ भी तो लोगों को खामोश करें।

श्री अशफाक अहमद खान—

मान्यवर, यह किसानों के बारे में बात करते हैं। लेकिन हालत क्या है? किसानों की किसको खबर है? रात भर दारुलशफा में कारों की दौड़ से सोना मुहाल है। उधर सूखा पड़ गया है, धरती फट गयी ह, डीजल महंगा हो गया है। मिट्टी का तेल महंगा हो गया है। माचिस महंगी हो गयी है। बिजली मिल नहीं रही है। इधर कारों की दौड़ जारी है। अगर एक दिन भी सरकार सोच लेती कि आज से अपनी मोटरों को छोड़ रहें हैं और पेट्रोल के दाम डीजल खरीदने के लिए और किसानों के लिए लगा देते तो मैं सोचता कि किसानों की सरकार है। लेकिन सूखे और बाढ़ की स्थिति एक भी मन्त्री जी को नजर नहीं आई। बाढ़ में लोग मर गए। सूखे से लोग बिलबिला रहे हैं। बिजली और डीजल मिल नही रहा है। कतार से लोग आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं और ये कहते हैं कि किसानों की सरकार है। अरे, याद रखिए दल-बदलुओं, आने वाली तवारीख तुम्हें माफ नहीं करेगी। कभी माफ नहीं किए जाओगे और अगर हिम्मत है तो हमारा चैलेन्ज है। आ जाओ किसी शहर में किसी चौराहे पर। याद रखिए, अगर जनता कालिख से न नहला दे, तो मेरा नाम बदल देना।

श्रीमन्, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा।

***संस्थागत वित्त राज्य मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत देर से बहस चल रही है। माननीय राजमंगल पाण्डेय जी ने और माननीय नारायण दत्त जी ने एक साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव रखा है। आगे आने वाली जो प्रदेश और देश की राजनीति होगी, उसकी यहाँ स्पष्ट छाप है। मान्यवर, देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई है, वह यह है कि साम्प्रदायिक शक्तियों और तानाशाही शक्तियों ने एक साथ हाथ मिलाया है और इस सदन के अन्दर माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि इस सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। मै उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम है और वह यह है कि एक साथ साम्प्रदायिकता और तानाशाही का सर कुचल दिया जाय। यही हमारा कार्यक्रम हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, इनकी जनता पार्टी की नीतियों में कोई आस्था नहीं थी। इन्होंने जनता पार्टी के दफ्तर से अलग, 7 नम्बर कोठी में अपना दफ्तर बनाया और षड़यन्त्रकारियों का वह दफ्तर अड्डा बन गया।

राम नरेश जी मुख्य मन्त्री थे, 4 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में दो उप चुनाव होने जा रहे थे, एक लखनऊ में और दूसरा फैजाबाद में, दोनों ही चुनावों के लिए गैर जनसंघ घटक के लोगों को टिकट मिला लेकिन इन्होंने गैर-जनसंघ उम्मीदवारों को, जो जनता पार्टी के टिकट पर खड़े थे, हराने का प्रयास किया। मै आपके सामने 'पांचजन्य' की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। लिखा है "उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की जनता तेजी से मुंह मोड़ रही है। क्योंकि अक्षयवर मल और जय शंकर पाण्ड को असेम्बली का टिकट दिया गया है।" जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में लिखते है "समाज में इनका कोई असर नहीं है। अक्षयवर मल असभ्य और अशिष्ट है।" आप अपनी पार्टी के बारे में आर0एस0एस0 के पेपर के अन्दर इस तरह की बातें लिखते है और आप चाहते हैं कि पार्टी एक रहेगी? यह पार्टी कुछ निश्चित सिद्धान्तों को लेकर टूटी है। यह जो नारायण दत्त तिवारी जी इनका साथ दे रहे है राजमंगल पाण्डय जी का, जोकि आर0एस0एस0 के एक कार्यकर्ता बनकर यहां बैठे हुए है, इसलिए कि चिकमंगलूर के चुनाव में इन्होंने इनकी मदद की थी। राजमंगल पाण्डेय की मदद से इन्दिरा गांधी चिकमंगलूर का चुनाव जीती थी क्योंकि इनके सरसंघ चालक ने कहा था कि इस चुनाव में हम इन्दिरा गांधी का विरोध नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

करेंगे। यह देश की राजनीतिक स्थिति है। हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ हैं। हमारा नादिर शाह के वंशजों से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। देश के अन्दर वह संस्कृति चलेगी जो जायसी, निजामुद्दीन, गाँधी और जय प्रकाश जी की संस्कृति है। उसी के अनुसार हम हिन्दुस्तान की रचना करेंगे और भाई-भाई के साथ मोहब्बत से रहेंगे। इन्हें अपने इतिहास को सोचना चाहिए। जो देश धर्म के आधार पर बने हैं चाहे वह पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या ईरान हो, उनकी हालत आप देख रहे हैं। जो हिन्दुत्व की बात करते हैं वह देश को तोड़ने की बात करते हैं, अव्यवस्था पैदा करने की बात करते हैं, देश के टुकड़-टुकड़े कर देने की बात करते हैं। इनकी यह साजिश नहीं चलेगी। महात्मा गाँधी जी ने इनकी साजिश की बाबत बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। सन् 48 में ही इन्होंने उन पर हमला नहीं किया। दो बार उन पर हमला किया। एक बार सन् 1930 में हमला किया जब वह अम्बेदकर से मिलने जा रहे थे और दूसरी बार हमला किया जब वह मोहम्मद जिन्ना से दोस्ती करने जा रहे थे। गोडसे भी उसमें शामिल था। आप देखें कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया क्योंकि इनके साथी दो मन्त्रियों को मन्त्रि-मण्डल से हटा दिया गया। एक इनकी मन्त्री थीं जो थाने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को छुड़ाने जाती थीं। इनके दूसरे मन्त्री थ [X × ×] उनके ऊपर आरोप है कि वह गोपाल गोडसे के साथ घूमते थे जो नाथू राम गोडसे का भाई है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यक्तिगत बातें आप न कहें।

श्री मुख्तार अनीस—

चूंकि यह साम्प्रदायिक और पूंजीपतियों के एजेंट हैं इसलिए यह विरोध कर रहे हैं। किसानों की और मजदूरों की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं। इनका तो सेल्स टैक्स से मतलब है [X X X] इनको इसी में विशेष महारत हासिल है। चौधरी चरण सिंह का विरोध क्यों है इसलिए कि वह किसान के घर पैदा हुए। उनसे विरोध इसलिए है कि उनके बाप खुरपी लेकर घास छीलते थे. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपत्तिजनक बातें आपने कही हैं उनको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा। यह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। उसके खण्डन के लिए कुछ कहें।

श्री मुख्तार अनीस—

आज जरूरत है कि देश के अन्दर जो 70 प्रतिशत किसान हैं, मजदूर हैं उनकी सरकार बनी रहे और उनके जरिए नए हिन्दुस्तान की रचना हो।

***श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—**

मान्यवर, निगाह पड़ रही है सरकार गिराने वालों की तरफ। गोडसे गाँधी जी और रियासत, लोहिया जी बैठे हैं। गोडसे महात्मा जी के हत्यारे और रियासत जी लोहिया से लाभ उठाने वाले . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह बातें पुरानी हो गयीं। आप इसके महत्व को इतना नीचे न गिरावें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फजाबाद)—

मान्यवर, बड़ा तरस आ रहा है मुख्य मन्त्री जी की बुद्धि पर इन्होंने इतनी छोटी भूल की, क्या इनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया? उदित नारायण शर्मा की सड़ी खोपड़ी को आपने मन्त्री क्यों नहीं बना दिया ?

नोट-[X X X] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष सिंह—

सड़ी खोपड़ी आपने कही। इसे वापस लीजिए, इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

वापस लेता हूं। मान्यवर, मैं बधाई दूंगा राज मंगल पाण्डेय को जो बहेलिया रूपी आर0एस0एस0 की आज घोड़ी बने हुए हैं और उन्होंने आज इस प्रदेश की जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है। फिर तिवारी जी का दल इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में कभी छमक कर आर0एस0एस0 की तरफ और कभी चौधरी साहब के साथ हुआ। जब लोक सभा गिर गयी तो कैसी नौटंकी इन्दिरा जी ने छमक-छमक कर दिखाई।

मान्यवर, आज वह शक्तियाँ एक साथ हैं जो तानाशाही की प्रतीक हैं और जो मसोलनी, हिटलर के नक्शे-कदम पर चलने वाली हैं। साथ ही राम नरेश यादव तथा चौधरी साहब को बधाई देता हूं। राम नरेश मदारी ने पहली छड़ी इन भालुओं को मारी। साथ ही बधाई के पात्र पाण्डेय जी भी हैं। जिन्होंने इतिहास में एक पन्ना जोड़ा। फिर तिवारी जी पर दृष्टिपात की जाय तो ज्ञात होगा वह कहा करते थे धार्मिक, साम्प्रदायिक शक्तियाँ जनता पार्टी की सरकार में हैं, जिससे वह बहुत नाराज हैं। इधर बैठकर वह इस तरह से बोला करते थे।

तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह की सरकार चाहते हैं? क्या ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें जबरिया नसबन्दी कराई जाय या ऐसा मुख्य मन्त्री चाहते हैं जो किसी भारतीय स्तर के नेता के लड़के के पग धोता रहे। अगर ऐसा वह चाहते हैं तो दो घंटे में फैसला हो जायगा। उधर आरिफ साहब जो नकली चन्दन लगाए हुए हैं वह कम्युनिस्टों पर हमला करते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं राजमंगल पाण्डेय जी से कि वह हैं क्या? बहुगुणा जी तथा राज मंगल पाण्डेय जी को मैं समकीलीन समझता था लेकिन मालूम होता है बहुगुणा जी पिटारा भूल आए जिसमें अण्डा रूपी राजमंगल जी रह गये थे। जिनको मुख्य मन्त्री ने परना रूपी बच्चा निकाल लिया लेकिन अब वह परना आर0एस0एस0वाले काट लेंगे। आप तो अकेले एक ब्राह्मण हैं, उधर दूसरे ब्राह्मण तिवारी जी बैठे हैं जिन्होंने कटते हुए इंसान को अलीगढ़ में, बनारस में देखा। हमारे दोस्त हैं आरिफ साहब जिन्होंने जगह-जगह पूंजीपतियों को देखा जिनके गुर्गों ने चाकू और बरछे निकाले और वे किसके सीने में घुसे? वे घुसे मुसलमानों के मासूम बच्चों के सीने में और यहाँ वे चिल्लाते रहे लेकिन इसी देश में बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिसकी आपने भर्त्सना की है एक घंटे में उन फसादों को कुचल दिया लेकिन यहाँ इन आर0एस0एस0 वालों ने कुचलने नहीं दिया।

(श्री गनेशी लाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

अभी मेरा समय है। आप डिस्टर्ब करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लें। ठीक 8 बजकर 17 मिनट पर मतदान होना है। 7 घंटे का समय निश्चित हुआ है। उसमें अभी मुख्य मन्त्री को बोलना है और जो मूवर हैं उनको भी आधे घंटे का समय देना है इसलिए 2–2, 3–3 मिनट का समय और माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, हमको 5–7 मिनट ही दे दें और हमारा समय काटकर हमारे मित्रों को दे दें।

श्री मन्जूर अहमद—

मगर आज मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया तो मैं बैठूंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नम्बर आ रहा है, आप चिल्लाइए नहीं। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता श्री राज मंगल पाण्डेय द्वारा जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं और इसलिए समर्थन करता हूं कि हमारी जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार है वह एक ऐसे नेता, एक ऐसे प्रधान मन्त्री की समर्थक है जो हरिजन विरोधी है, गरीब विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, महिला विरोधी है और ब्राह्मण विरोधी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रधान मन्त्री से क्या मतलब ?

श्री गनेशी लाल चौधरी—

आप सुनिए, उनसे सम्बन्ध है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

उनका यहाँ क्या सम्बन्ध है ? आप उनकी सरकार को कहिए ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

इस सरकार को ऐसे नेता का समर्थन प्राप्त है जो हरिजन विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है इसलिए मैं आदरणीय राज मंगल पाण्डेय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. . . .

एक सदस्य—

हरिजन विरोधी तुम हो. . . . .

श्री गनेशी लाल चौधरी—

आज मैं राज मंगल जी के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूं कि आज प्रदेश के हरिजन को उसके अस्तित्व का खतरा है। मैं इसलिए भी राज मंगल पाण्डेय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि आज देश की अखण्डता को खतरा हो गया है और आज देश का हरिजन यह सोचने लगा है कि इस हिन्दुस्तान में चौधरी चरण सिंह के प्रधान मन्त्री रहते हुए उसका कोई स्थान नहीं रह गया है, उनका समर्थन इस सरकार को प्राप्त है। इसलिए मैं पाण्डेय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज प्रदेश का जो हरिजन अधिकारी हैं, हरिजन कर्मचारी है वह भयभीत हो गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

उनके भाषण में जो आपत्तिजनक शब्द होंगे, उनको मैं निकाल दूंगा. . . .

(व्यवधान)

आपका समय समाप्त हो गया। आप कृपया बैठ जायं ।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं सदन में आया तो मैं समझता था कि उस कुर्सी पर श्री नारायण दत्त तिवारी बैठे होंगे लेकिन देखा कि वहाँ पर राज मंगल जी बैठ हैं, इसलिये मुझे कोई खास अफसोस नहीं हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।